सामुहिक बीमा योजना से संबंधित शासनादेशों का संकलन

संख्या-बीमा-1316/दस-16-80

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा
अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (बीमा)
अनुभाग

दिनांक: लखनऊ: 21 अक्टूबर, 1981।

विषय:—राज्य कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।

महोदय,

मुझे सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू की गई सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में वित्त (बीमा) अनुभाग द्वारा पारित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के संबंध में जो आदेश समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं उन्हें विभिन्न कार्यालयों में समुचित रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सका है जिसके फलस्वरूप यह देखने में आया है कि शासन स्तर पर जो दावे प्राप्त होते हैं उनमें अनेक कमियां तथा त्रुटियां पाई जाती हैं। इन त्रुटियों का निवारण कराने के लिये दावों को वापस करना होता है जिससे इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि पारित समस्त आदेशों का एक संहत आदेश जारी किया जाय जिससे इस योजना का कार्यान्वयन सही-सही रूप में सुनिश्चित हो सके।

1-सं0 बीमा-1/दस-2-80 दिनांक 19-2-80
2-सं0 बीमा-13/दस-2-80 दिनांक 17-3-80
3-सं0 बीमा-235/दस-2-80 दिनांक 12-5-80
4-सं0 बीमा-75/दस-2(2)-80 दिनांक 30-1-1981
5-सं0 बीमा-911/दस-81 दिनांक 18-8-81

2—सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक के वेतन से प्रत्येक मास कटौती की जायेगी जो प्रदेश के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "088-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अधिदान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर सेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत, यथास्थिति, क्रेडिट की जायेगी। उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह क्रेडिट दिनांक 1-4-1981 से किया जायेगा।

3—प्रत्येक सरकारी सेवक से जो कटौती उसके वेतन से होगी वह निम्न प्रकार की जायेगी:—

(1) पुलिस राजपत्रित अधिकारी .. .. रु0 40 प्रतिमास
(2) पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी .. .. रु0 15 प्रतिमास
(3) अन्य समस्त अधिकारी/कर्मचारी .. .. .. रु0 20 प्रतिमास

समूह 'घ' वर्ग के ऐसे कर्मचारियों से जो अभी तक रु0 165-215/रु0 170-225 के वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके माह सितम्बर, 1981 तक के वेतन से रु0 10 प्रतिमास की कटौती की जायेगी और दिनांक 30-9-81 तक उत्पन्न दावों का निस्तारण भी उसी आधार पर किया जायेगा, अर्थात् सेवारत मृत्यु होने पर बीमा धनराशि रु0 12,000 होगी और दिनांक 1-10-1981 तथा इसके उपरांत उत्पन्न होने वाले दावों में बीमा धन रु0 25,000 होगा तथा माह अक्टूबर, 81 के वेतन से मासिक कटौती भी रु0 20 की दर से की जायगी।

4—किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने पर उसके परिवार को बीमा धनराशि के अतिरिक्त उसके बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस लौटाई जायेगी। सेवानिवृत्त होने पर तथा सेवा से अन्यथा प्रथक होने पर, केवल त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने वाले मामलों को छोड़कर, सरकारी सेवक को बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जायेगी जो कम से कम उतनी धनराशि अवश्य होगी जो उससे उसकी सेवा अवधि में उसके वेतन से काटी गई हो। त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक को केवल बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जायेगी। बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की संगणना पूरे मास के आधार पर की जायेगी क्योंकि सरकारी सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम माह या उसके किसी भाग के लिये पूरा अभिदान जमा कराया जाता है और बचत खाते से पूरी धनराशि की वापसी भी की जाती है।

5—दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू सामूहिक बीमा योजना शासन के नियमित अधिष्ठान में नियुक्त राज्य सरकार के अधीन समस्त पूर्णकालिक स्थायी एवं अस्थाई सेवकों पर लागू होगी। यह योजना उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होगी। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी/कर्मचारी जो शासन के किसी भी पद पर नियुक्त हों अथवा बाह्य सेवा पर हों अथवा भारत सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हों इस योजना से आच्छादित रहेंगे। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान शासन को देना होगा चाहे वह ड्यूटी पर हों, चाहे अवकाश पर हों अथवा निलम्बित हों। अवकाश की अवधि तथा निलम्बन अवधि में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड (Coverd) रहेगा, इसलिये उक्त अवधियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो दिनांक 1 मार्च, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर हों, उनके बारे में संबंधित बाह्य सेवायोजक अथवा उस शासन द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहे हों ऊपर पैरा 2 में निर्धारित दर से कटौती माह मार्च, 1980 के वेतन से आरम्भ करके उत्तर प्रदेश शासन को ट्रेजरी चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजेंगे और इस प्रकार से जमा की गई धनराशि का पूर्ण विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, शासन के अधीन ग्रहण किया गया पद तथा विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा दिनांक तथा बैंक का नाम/ट्रेजरी का नाम देते हुए यह सूचना संबंधित बाह्य सेवा सेवायोजक/संबंधित शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में यह सूचना उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग–1, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग को तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संबंध में यह सूचना वन विभाग को भेजनी होगी।

6—शासन द्वारा लागू की गई उपरोक्त योजना ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो अल्पकालीन रिक्तियों में अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त किये गये हों। यह योजना शासन के कोषागारों में नियुक्त कैश स्टाफ पर भी लागू नहीं होती है। उक्त योजना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों पर भी स्वतः लागू नहीं होगी, परन्तु यदि वह इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो उन्हें इसके लिये अपना विकल्प देना होगा और उस विकल्प के अनुसार वह अपना अभिदान शासन को देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये भी यह योजना ऐच्छिक रहेगी, अर्थात् यदि वह चाहें तो विकल्प शासन को देकर अपना अभिदान दे सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा लागू की जाने वाली यह योजना संबंधित सरकारी सेवकों पर उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक ही प्रभावी रहेगी, अर्थात् उस माह की अंतिम दिनांक तक जिस माह में वह अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवा-निवृत्त होते हों, और यदि सेवानिवृत्ति अतिवयता आयु प्राप्त करने से पूर्व ही किसी अन्य कारण से होती है तो यह योजना उनकी ऐसी सेवा-निवृत्ति के दिनांक तक ही लागू रहेगी। प्रायः सेवा-निवृत्ति के उपरांत सरकारी सेवक सेवा में पुनर्योजित भी कर लिये जाते हैं अथवा उन्हें सेवा में प्रसार दे दिया जाता है। ऐसे मामलों में यह योजना उनकी सेवा में प्रसार की अवधि में लागू नहीं होगी और सेवानिवृत्ति के दिनांक के उपरांत की गई सेवा के लिये न तो उनके वेतन से कोई कटौती की जायेगी और न ही उस पर शासन का कोई अंशदान देय होगा। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इस योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों, सीजनल कर्मचारियों, कोषागारों के कैश स्टाफ तथा सेवा-निवृत्ति के उपरांत सेवा में बनाये रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों से कटौती नहीं की जानी है।

7—अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की गई मासिक कटौती अधिष्ठान बिलों के माध्यम से की जायेगी और इसके लिये प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक वेतन बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कटौतियां कर ली गई हैं और कटौती की कुल धनराशि वेतन बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना की कटौती के रूप में दिखा दी गई है। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों में भी जो अपना बिल स्वयं आहरित करते हैं यह कटौती बिल के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तुत की जायेगी। जिन विभागों में, जैसे सचिवालय के इरला योजना से आच्छादित अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चेक द्वारा भुगतान होता है, इन विभागों में भी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अधिष्ठान बिलों से कटौती कर लेने का प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार देना होगा। उपरोक्तानुसार सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती की धनराशि कोषागारों के लेखों में संक्रामक प्रविष्टि द्वारा नहीं ली जायेगी अपितु इसे सीधे ही महालेखाकार कार्यालय में भुगतान किये हुए बाउचरों से लेखा शीर्षक "088–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–अन्य प्राप्तियां–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–राज्य कर्मचारियों का अभिदान" के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में ले लिया जायेगा। वेतन बिल भुगतान हेतु पारित करने से पूर्व कोषाधिकारी यह देख लेंगे कि वेतन बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ने उपरोक्त प्रमाण पत्र दे दिया है और राजपत्रित एवं अराजपत्रित वेतन बिलों में सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती कर ली गई है।

8—किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने पर उसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य होता है। अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में उन सभी कटौतियों आदि का उल्लेख किया जाता है जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से प्रतिमास काटी जाती हैं। चूंकि सामूहिक बीमा योजना के संबंध में वेतन से मासिक कटौती नियमित रूप से की जाती है, इसलिये यह आवश्यक है

कि अंतिम वेतन-प्रमाण-पत्र में इस कटौती का भी उल्लेख किया जाना चाहिये। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यह उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अमुक दिनांक से अपना मासिक अभिदान निर्धारित दर से दिया है। इसी प्रकार सेवा-निवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा प्रथक होने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा/संबंधित कोषाधिकारी द्वारा/पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा तथा अन्य किसी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा, शासन को यह सूचना देनी होगी कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च, 1976 से अथवा इस के बाद नियुक्त होने की दशा में नियुक्ति के दिनांक से (नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए) अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 के उपरांत नियुक्त होने पर, नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए, अपना अभिदान संबंधित अवधि में निर्धारित दर पर निरंतर रूप से दिया है। इस सूचना के आधार पर शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाने वाले धन का संकलन किया जायगा और उसका भुगतान बचत खाते से 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर किया जायगा।

9—(क) सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को बीमा धन तथा मृतक कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की बचत खाते में जमा धनराशि वापस किये जाने तथा सेवा-निवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा प्रथक होने पर बचत खाते में जमा धनराशि की वापसी के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार शासन से दावे का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रपत्र संख्या—1 में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को 3 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पर कर्मचारी/लाभग्राही द्वारा 20 पैसे का रसीदी टिकट भी पहले से लगाना होगा। प्रपत्र संख्या—1 संबंधित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जायेगा और प्रविष्टियों को अपने अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, यथास्थिति, को प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र संख्या—1 के आधार पर समस्त दावों को संहत रूप से प्रपत्र सं0—2 के पृ0 1 में भरकर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को 3 प्रतियों में भेजेंगे। प्रत्येक दावे के प्रपत्र संख्या—1 की भी एक मूल प्रति रसीदी टिकट तथा अग्रसारण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ निदेशालय को भेजनी होगी।

(ग) प्रपत्र संख्या—2 के पृ0 1 के विभिन्न स्तम्भों में विवरण का उल्लेख साफ-साफ तथा सेवा-अभिलेखों से सत्यापित किये जाने के उपरांत भरा जायेगा। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, यथा-स्थिति, प्रपत्र—2 के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये प्रमाण-पत्र पर, दिनांक सहित हस्ताक्षर करके तथा अपनी मोहर लगाकर उक्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेंगे। प्रपत्र—2 के पृ0 2 के स्तम्भों में कोई भी प्रविष्टि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष आदि स्तर पर नहीं की जायेगी परन्तु विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र—2 के पृ0 2 पर भी अपने हस्ताक्षर एवं अपनी मोहर लगाकर दावा निदेशालय को भेजेंगे।

(घ) सामूहिक बीमा योजना निदेशालय प्रपत्र—1 तथा प्रपत्र—2 की प्रतियां प्राप्त होने पर आवश्यक जांच-पड़ताल के उपरांत दावेदारो/लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि प्रपत्र संख्या—2 के पृ0 2 पर दिये गये स्तम्भों में अंकित करेंगे तथा अन्य स्तम्भ भी भरे जायेंगे। प्रत्येक दावेदार/लाभार्थी को दी जाने वाली धन-राशि के लिये जारी किये गये चेक/चेकों की संख्या, दिनांक तथा धनराशि अंकित की जायेगी। धनराशियों के भुगतान का चेक मृतक अथवा सेवा-निवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक व्यक्ति के संबंध में उसके विभागाध्यक्ष के नाम से जारी किया जायेगा। चैक के साथ सामूहिक बीमा योजना निदेशालय विभागाध्यक्ष को मृतक/सेवा-निवृत्त आदि कर्मचारी के संबंध में प्रपत्र संख्या—2 की दो प्रतियां आवश्यक विवरणों सहित अपने हस्ताक्षर तथा मोहर सहित वापस लौटायेंगे। दावों के प्रस्तुत करने से पूर्व केवल न्यूनतम तथा अत्यन्त आवश्यक तथ्यों की जांच-पड़ताल ही पर्याप्त होगी परन्तु शासन से प्राप्त धनराशि का भुगतान करते समय समस्त सम्भावित तथ्यों की पुष्टि की जानी आवश्यक होगी जिससे धनराशि का भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा सके।

(च) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने नाम से एक खाता इस आशय का खोले जाने के आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या सा—3—2005 दस—79—14—77, दिनांक 17 सितम्बर, 1979 में जारी किये जा चुके हैं। धनराशियों के चेक उपरोक्त खाते में ही जमा किये जायेंगे और संबंधित विभागाध्यक्ष अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के मृतक कर्मचारियों के लाभार्थियों/सेवा-निवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा प्रथक कर्मचारियों के नाम से चेक जारी करेंगे जो "एकाउन्ट पेयी" होंगे। कार्यालयाध्यक्ष संबंधित व्यक्तियों के बारे में इस बात की पूरी जांच करके कि भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा रहा है, चेक जारी करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि संबंधित व्यक्ति को विभागाध्यक्ष से प्राप्त चेक दिये जाने की कार्यवाही तुरन्त एवं शीघ्रता से की जाय। संबंधित व्यक्ति द्वारा चेक प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में रसीद प्राप्त की जायेगी जिसे संबंधित कार्यालय बीमा योजना निदेशालय को रिकार्ड हेतु भेजेंगे। प्रस्तावित रसीद का प्रपत्र फार्म संख्या—4 में उपलब्ध है।

10—सामूहिक बीमा योजना के लिये वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या सा—3—2105/दस—14—77—नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। उपरोक्त आदेश यथावत् लागू रहेंगे। अतः यदि भुगतान के समय पुराने नामांकनों में इस बात का कोई विवाद उठता है कि अमुक व्यक्ति

मृतक कर्मचारी के संबंध में धनराशि प्राप्त करने का पात्र है या नहीं तो इस प्रश्न का निस्तारण विभागाध्यक्ष द्वारा शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार स्वयं कर दिया जाना चाहिये और उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

11—समस्त विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि वे अपने मुख्यालय पर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को बीमा योजना संबंधी समस्त कार्यों की देख-भाल तथा उनके निस्तारण हेतु नामांकित कर दें जो विभागाध्यक्ष की ओर से बैंक में खोले गये लेखों को भी सम्भालित करेगा।

12—इस योजना से संबंधित लेखा-प्रणाली की प्रक्रिया से भी आपको अवगत कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कटौतियों तथा भुगतानों का लेखा जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जायेगा। इस योजना की प्राप्तियां सरकारी सेवकों द्वारा दिये गये मासिक अभिदान तथा उस पर शासन द्वारा दिये गये अपने अंशदान पर आधारित होती हैं। इन प्राप्तियों की धनराशि में से एक अंश रिस्क फंड में जमा किया जाता है तथा शेष भाग बचत खाते में जमा होता है। सेवारत मृत्यु की दशा में बीमाधन का भुगतान रिस्क फंड में जमा धनराशि से होता है। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सरकारी सेवकों से लिये जाने वाले अभिदान तथा उस पर शासकीय अंशदान की दरें, रिस्क-फंड में जमा होने वाली धनराशि और बचत खाते में जमा होने वाली धनराशि की स्थिति निम्न प्रकार होती है:—

अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी	अभिदान की मासिक दर	शासकीय अंशदान की मासिक दर	रिस्क फण्ड में जमा वार्षिक धनराशि	बचत खाते में जमा वार्षिक धनराशि
	रु0	रु0	रु0	रु0
1—राजपत्रित पुलिस अधिकारी	40	3.40	186.00	334.80
2—अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी	15	3.08	93.00	123.96
3—अन्य समस्त सरकारी सेवक	20	1.70	93.00	167.40

नोट:—दिनांक 1-10-81 से पूर्व की अवधि के लिए रु0 165-215/170-225 के वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये मासिक अभिदान की दर रु0 10, शासकीय अंशदान की दर रु0 0.85 रिस्क फण्ड में जमा होने वाली वार्षिक धनराशि रु0 44.64 तथा बचत खाते में जमा वार्षिक धनराशि रु0 85.60 होगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जो धनराशि अंशदान के रूप में दी जाती है वह रिस्क फंड में क्रेडिट होती है और सरकारी सेवक के अभिदान से जमा होने वाली धनराशि इस सीमा तक कम हो जाती है।

13—समस्त कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में इस आशय का एक लेजर या रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मास प्रत्येक कर्मचारी से की गई कटौती का विवरण अंकित किया जायेगा। इससे यह लाभ होगा कि किसी भी समय यह ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक कर्मचारी की किस माह से कटौती उसके वेतन से आरम्भ हुई है और इस कार्यालय में कब तक यह कटौती की गई है। सम्बन्धित कर्मचारी के उस कार्यालय से स्थानांतरण होने पर इसी रजिस्टर से उसके अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि उसके वेतन से नियमित रूप से उसके स्थानांतरण तक प्राप्त किये गये वेतन से कटौती की गई है। प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किये जाने की दिशा में समुचित ध्यान रखेंगे।

14—चूंकि प्रत्येक कार्यालय के वेतन बिल चाहे वह राजपत्रित अधिकारियों के हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारियों के हों, प्रत्येक जिले के कोषागार द्वारा पारित किये जाते हैं, अतः प्रत्येक कोषागार में इस बात की सूचना उपलब्ध रहती है कि किस कार्यालय से किस माह में कितनी कटौती सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई है। प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा बीमा निदेशालय को प्रत्येक मास के अन्त में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई कटौतियों के आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। यह सूचना प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिये प्रपत्र संख्या-10 निर्धारित किया गया है। संबंधित कोषागार इसी प्रपत्र पर अपने कार्यालय में भी समुचित लेखा-जोखा रखेंगे तथा प्रत्येक उप-कोषागार से जो विवरण मांगने होंगे वह भी इसी प्रपत्र के अनुसार उनके कार्यालय में आयेंगे।

15—प्रत्येक दावा शासन को प्राप्त होने पर क्लेम्स रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यह रजिस्टर एक निर्धारित प्रपत्र म रखा जायेगा जिसका प्रारूप जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 3 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से फार्म संख्या 2 में जो सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर फार्म संख्या 3 रखा जायेगा। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 2 में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जो भी सूचना शासन को भेजी जायेगी वह सही होनी चाहिये। इसी क्लेम्स रजिस्टर में शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति को जो भुगतान स्वीकृत किया जायेगा उसकी प्रविष्टियां भी की जायेंगी तथा भुगतान चेक द्वारा अधिकृत किया जावेगा।

16—शासन द्वारा जो चेक जारी किये जायेंगे वह विशेष प्रकार के कागज पर मुद्रित फार्म पर लिखे जायेंगे। चेक का प्रारूप जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 7 में निर्धारित है। यह चेक जारी होने के दिनांक के माह से तीसरे महीने के अंतिम दिवस तक प्रभावी होंगे और उसके उपरांत वह स्वयं ही निरस्त समझे जायेंगे। यह चेक "नान-नेगोशियेबिल" तथा "एकाउन्ट पेयी" होंगे। शासन द्वारा जारी किये गये चेक केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया, अशोक मार्ग शाखा, लखनऊ, पर जारी किये जायेंगे और लेखा शीर्षक "870—बेक्स एन्ड बिल्स—अप इंस्योरेन्स स्कीम चेक्स" के नामे डाले जायेंगे। हस्तलिखित चेकों पर काल इन्ट्री भी की जायेगी। जारी किये गये चेकों का रजिस्टर जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 8 में निर्धारित है। चेकों के प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर बिल की संख्या तथा उसकी शुद्ध धनराशि को अलग-अलग दिखाया जायेगा और आवश्यकतानुसार योग भी निकाला जावेगा, जैसे यदि चेक किसी सेवारत मृतक कर्मचारी की विधवा को भुगतान हेतु जारी किया जा रहा है तो बीमा धनराशि, मृतक कर्मचारी के खाते में उपलब्ध धनराशि तथा उस पर ब्याज की धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी और उसका योग भी प्रतिपर्ण पर अंकित किया जावेगा।

17—प्रपत्र संख्या 10 द्वारा जो सूचना प्रदेश के कोषागारों द्वारा शासन को भेजी जायेगी वह पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अलग-अलग भेजनी होगी। यह सूचना प्राप्त होने पर शासन स्तर पर खोले गये प्राप्तियों के रजिस्टर में दर्ज की जायेगी जिसका प्रारूप जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 5 में निर्धारित किया गया है। इस रजिस्टर में कोषागारों में नकद जमा तथा बुक ट्रांसफर से जमा धनराशियों के विवरण भी इंगित किये जावेंगे। कुल प्राप्तियों का मासिक योग एक अन्य रजिस्टर में ले लिया जायेगा जिसका प्रारूप जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 6 में निर्धारित किया गया है। फार्म संख्या 6 में प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण दो प्रतियों में रखा जायेगा और माह के अन्त में इनका योग निकाला जायेगा तथा शेष धनराशि प्रदर्शित की जायेगी। इसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद को प्रति मास भेजी जायेगी। प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कार्यालय से प्रत्येक 6 मास पर किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रत्येक मास प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक विवरण शिडयूल्स तथा वाउचरों सहित संबंधित माह के आगामी माह की 5 तारीख तक भेजा जावेगा। इसलिये इस योजना के अन्तर्गत लेखे/जोखे नियमित रूप से रखने होंगे और प्रत्येक कोषागार से जो विवरण प्राप्त होंगे उन्हें समय के अन्दर ही प्राप्त करना होगा। अतः प्रत्येक कोषागार इस बात को भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि मासिक सूचनायें शासन को विलम्बतम 3 तारीख तक उपलब्ध हो जायें।

18—शासन द्वारा जो भुगतान चेकों से किये जायेंगे, वह तो एक निर्धारित अवधि तक ही प्रभावी होंगे जिसका उल्लेख ऊपर पैरा (4) में किया गया है। यह भी हो सकता है कि चेक जारी किया जाय वह किसी प्रकार खो जाय या फट जाय या विकृत हो जाय तो इस प्रकार निरस्तीकृत, कालातीत, खोये, फटे तथा विकृत चेकों का भुगतान संभव नहीं होगा और ऐसे चेक शासन को वापिस लौटाने होंगे। भुगतान न हुए चेकों की तीन सूचियां बनाई जायेंगी जिनमें से दो सूचियां मासिक लेखे के साथ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद को भेजी जायेंगी। पुराना चेक वापस प्राप्त हो जाने के उपरांत ही डुप्लीकेट चेक के रूप में नया चेक जारी होगा। नये चेक जारी करने के पूर्व पुराने प्राप्त हुए चेकों का भी लेखा-जोखा रखा जायेगा और यह लेखा-जोखा जी0 आई0 एस0 फार्म संख्या 9 में निर्धारित किया गया है।

19—चूंकि दिनांक 29–2–80 तक की अवधि के लिये सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया गया है और उस योजना के अन्तर्गत शासन ने प्रीमियम का भुगतान भी किया है, अतः दिनांक 29–2–80 तक उत्पन्न दावों के निस्तारण का दायित्व जीवन बीमा निगम का है। दिनांक 1–3–80 को जीवन बीमा निगम द्वारा शासन को "रिस्क प्लान" तथा "डिपाजिट ऐडमिनिस्ट्रेशन प्लान" के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियां वापस लौटानी हैं। इस प्रयोजन के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करके शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। शासन को प्राप्त होने वाली धनराशि की सही-सही स्थिति वास्तविक तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

20—सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है जिसमें शासन को कोई हानि का अवसर आये। इस योजना में हानि का अवसर उसी समय हो सकता है जब "रिस्क फन्ड" में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किसी वर्ष में बीमा धन के रूप में करने की आवश्यकता हो जाये। यदि ऐसा कभी कोई अवसर आयेगा भी तो शासन "रिस्क फन्ड" में जमा धनराशि से

अधिक धनराशि का भुगतान स्वयं सहन करेगा और इसके लिये किसी कर्मचारी से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, इस योजना में यदि कभी कोई हानि होगी तो उस हानि की सम्पूर्ति शासन द्वारा स्वयं की जायेगी।

21—इस योजना के अन्तर्गत "रिस्क फण्ड" में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध समस्त सेवारत मृत्यु के दावों का भुगतान होगा तथा वर्ष के अन्त में जो धनराशि शेष बचेगी वह लाभ होगा। इस लाभ का 20 प्रतिशत भाग शासन द्वारा सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी योजनाओं पर एक बेनीफोलेन्ट फन्ड गठित करके उपयोग किया जायेगा। इस फन्ड के गठन तथा इसकी कार्यविधि के लिये समुचित नियम बनाये जायेंगे और "रिस्क फन्ड" से प्राप्त लाभांस की धनराशि इस फण्ड में हस्तान्तरित की जायेगी।

22—सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में लेखा-जोखा राज्य सरकार के आय-व्ययक में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जायेगा :—

(1) समस्त सरकारी सेवक के मासिक वेतन से की गयी कटौती की धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक "088—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन कर्मचारियों का अभिदान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत जेविट की जायेगी।

(2) राज्य सरकार का इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक "288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—ख—अन्य बीमा योजनायें (1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन 6—सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता—" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

(3) सरकारी सेवकों से प्राप्त की गयी कुल धनराशि लेखा शीर्षक "088—" में जेविट की जायेगी जिसे अन्ततः सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-ख-अन्य बीमा योजनायें-(2) राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण-अन्तरलेखा संक्रमण" के अधीन प्राविधान रखा जायेगा।

(4) सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को प्राप्त होने वाली वह धनराशि जो संबंधित कर्मचारी के बचत खाते से देय होगी, 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित शासन द्वारा वापस की जायेगी। देय ब्याज की धनराशि का भुगतान आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "249-ब्याज का भुगतान-ख-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-6-बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज-राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज-2-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)" के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) सरकारी सेवकों से प्राप्त धनराशि, शासन द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि तथा ब्याज के लिये व्यवस्थित धनराशियां संहत रूप में आय-व्ययक के लोक लेखा पक्ष के लेखा शीर्षक "811" के अधीन आस्तियों के रूप में जेविट की जायेंगी और इसी लेखा शीर्षक के भुगतान पक्ष से समस्त भुगतान किये जायेंगे। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत एक निधि का सृजन भी करना आवश्यक है। अतः इस प्रयोजन के लिये लेखा शीर्षक "811-बीमा और पेंशन निधियां-ख-राज्य सरकार बीमा निधि-(1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के अधीन कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि गठित की गई है।

23—यह आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 से प्रभावी किये जाते हैं और ऊपर पैरा 1 के पश्चात में उल्लिखित शासनादेश इसी दिनांक से निरस्त किये जाते हैं।

भवदीय,

के० एम० माथुर
सचिव।

7

संख्या–बीमा–1316(1)/बस–16–80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(2) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।

(3) श्री राज्यपाल का सचिवालय ।

(4) कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेन्स, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक) कार्य विभाग, बीमा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या एफ0 81(11)–बीमा–11–79, दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के संदर्भ में ।

(5) भारत सरकार के गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली, को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

(6) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली को श्री एम0 पार्थ सारथी, निदेशक लेखा तथा लेखा परीक्षा के पत्र संख्या 439–लेखा/885–76, दिनांक 4–3–80 के संदर्भ में ।

(7) भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) लोक नायक भवन, (8 वां तल) नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 524019/1–79 टी0ए0/यू0पी0–867, दिनांक 29–2–80 के संदर्भ में ।

(8) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या टी0 एम0–1/12–398/486, दिनांक 27–2–80 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी ।

जी० आई० एस० फार्म संख्या—1

सेवा में,

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बचत एवं सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अपना दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूं :—

1—(अ) कर्मचारी का नाम

(ब) पिता का नाम

2—पद तथा वेतनमान

3—नियुक्ति का स्थान व पता

4—जन्म-तिथि

5—(अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक.....

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक.....

6—क्या कर्मचारी निर्गमन के समय सेवा में था.....हां/नहीं

7—निर्गमन का कारण

मृत्यु/सेवा निवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति (यदि मृत्यु हो गयी तो मृत्यु का कारण)

8—सेवा से निर्गमन का दिनांक

9—मृत्यु की स्थिति

लाभग्राही का (अ) नाम

(ब) पता

(स) सम्बन्ध

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंकन (रुपया)

जो उक्त योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण सन्तोष सहित प्राप्त।

दिनांक

स्थान

गवाह

हस्ताक्षर

20 पैसा का रसीदी टिकट

कर्मचारी/लाभग्राही के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान

दिनांक

पदाधिकारी के हस्ताक्षर

जिसके अन्तर्गत कर्मचारी कार्यरत था।

जी० आई० एस० फार्म संख्या—2

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बचत एवं सामूहिक बीमा योजना

स्तम्भ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भरे जायें (प्रथम पृष्ठ)

क्रम-सं०	कर्मचारी का नाम, पद व पता	नियुक्ति के स्थान का पता	जन्म तिथि सेवा अभिलेखों के अनुसार	प्रवेश करने की तिथि: सेवा में	प्रवेश करने की तिथि: योजना में	निकलने की तिथि	निकलने का कारण	मृत्यु का कारण	लाभग्राही का नाम तथा पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावा/दावों का भुगतान आग्रह करते हैं। उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चेक दिया जावे। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त कर्मचारी/अधिकारियों के (मृत्यु की दशा में) मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं तथा उक्त दावों का प्रपत्र तथा भुगतान इसके पहले कभी प्रेषित नहीं किया गया।

स्थान
दिनांक

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जावें (द्वितीय पृष्ठ) (द्वितीय पृष्ठ)

क्रम-सं०	माह और वर्ष: प्रवेश का	माह और वर्ष: निकलने का	अंशदान की संख्या	लाभ दिए बीमा धनराशि	बचत ब्याज सहित	बचत में अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्द्वारा शासन से रु० (रुपया) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई पूर्ण सन्तोष सहित दावों के उक्त विवरण अनसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

विभागाध्यक्ष/आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

1328-1

जी० आई० एस० फार्म संख्या–3

सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों से संबंधित रजिस्टर (क्लेम्स रजिस्टर)

क्रम-सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्ष का नाम	जन्म तिथि	सेवा में नियुक्ति का दिनांक	सेवा से निकलने का दिनांक	निकलने का कारण	राज्य कर्मचारियों द्वारा दिए गये अभिदानों की संख्या	लाभग्राही का नाम	स्वीकार किए गए तथा भुगतान किए गए दावों की धनराशि				जारी किए गए चेक की संख्या तथा दिनांक	वाउचर संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
										रिस्क प्लान के अधीन	बचत प्लान के अधीन	ब्याज की धनराशि	कुल योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

जी० आई० एस० फार्म संख्या—5

सेवा शीर्षक "088–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—अन्य प्राप्तियां–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन—राज्य कर्मचारियों का अभिदान"—के अन्तर्गत प्राप्तियों का रजिस्टर

क्रम-सं०	कोषागारों का नाम	सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों (पुलिस विभाग को छोड़कर) से प्राप्त धनराशियां		सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग से प्राप्त धनराशियां		राजकीय अंशदान की धनराशि		कुल योग जिसे एब्सट्रैक्ट रजिस्टर में ले जाया गया	अभ्युक्ति
		नकद जमा	बुक ट्रांसफर से जमा	नकद जमा	बुक ट्रांसफर से जमा	समस्त राज्य कर्मचारियों, केवल पुलिस विभाग को छोड़कर, के लिए	पुलिस विभाग के सेवकों के लिए		
						रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1339

जी० आई० एस० फार्म संख्या—4

(दावेदार से धनराशि प्राप्त होने की रसीद का प्रपत्र)

सेवा में,

.....

.....

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता)

महोदय;

मैंने शासन की सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए दावे के सम्बन्ध में

रु० (शब्दों में) की धन राशि का भुगतान चैक संख्या

दिनांक द्वारा सधन्यवाद पाया ।

स्थान भवदीय

दिनांक (दावेदार का नाम तथा पूरा पता)

बी० आई० एस० फार्म संख्या—6

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों से प्राप्त तथा उन्हें भुगतान की गई धनराशि तथा उपलब्ध अवशेष से संबंधित एब्सट्रक्ट रजिस्टर

तारीख / माह	प्राप्तियों और भुगतानों के विवरण	प्राप्तियां		भुगतान		शेष		अभ्युक्ति
		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	

12

1641-

प्राथमिकता

संख्या 6909/दो-5--19-1(149)-1980

प्रेषक,

श्री कर्नैल सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश सम्वर्ग के सम्बन्धित अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1981

विषय--अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियम, 1981 के नियम 3(1) के अधीन विकल्प।

महोदय,

नियुक्ति अनुभाग-5

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1981 में अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियम, 1981 प्रकाशित कर दिये हैं, जो 1 जनवरी, 1982 से भाव में आयेंगे। उक्त नियमों की एक प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (समूह बीमा) स्कीम, 1980 अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर तदनुसार लागू होगी और उस सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियम, 1981 के नियम 3(1) के अन्तर्गत आपके द्वारा यथावश्यक विकल्प भी दिया जाना है। इस क्रम में भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं0 11024/3/81-ए आई एस (II), दिनांक 10 नवम्बर, 1981 की प्रतिलिपि (एनेक्जर-एक की प्रति सहित) तुरन्त कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3--अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो 1 जनवरी, 1980 या उससे पूर्व से सेवा में हैं, को स्कीम के बाहर रहने का विकल्प होगा--इस विकल्प का प्रयोग वे 15 दिसम्बर, 1981 तक कर सकते हैं--वे सदस्य जो उक्त तिथि (15 दिसम्बर, 1981) तक स्कीम के बाहर रहने का विकल्प नहीं देते उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने स्कीम में शामिल होने का विकल्प दे दिया है। एक बार प्रयोग किया गया (या न प्रयोग किया गया) विकल्प अन्तिम समझा जायेगा और आगे कोई चुनाव उपलब्ध नहीं होगा। यदि सेवा के लिये सरकार इस प्रदेश में लागू राज्य कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना में अंशदान दे रहे हैं तो उन्हें यह चुनना होगा कि वे उसे जारी रखें अथवा इन्श्योरेंस स्कीम, 1980 को चुनें। इस सम्बन्ध में भी उन्हें अपना विकल्प 15 दिसम्बर, 1981 तक देना होगा जो अन्तिम होगा। उक्त तिथि तक ऐसा कोई विकल्प न दिये जाने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने इन्श्योरेंस स्कीम, 1980 को स्वीकार कर लिया है और 1 जनवरी, 1982 से उन्हें इस प्रदेश में चल रही सामूहिक बीमा योजना में अपना अंशदान देना बन्द कर देना होगा।

4--सेवा के सदस्यों जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 के बाद किन्तु 10 नवम्बर, 1981 के पूर्व सेवा प्रारम्भ की है--

(i) सीधी भर्ती वाले ऐसे सदस्यों पर यह स्कीम अनिवार्य रूप से लागू होगी और यदि वे इस राज्य में चल रही सामूहिक बीमा योजना में अंशदान दे रहे हों तो उन्हें 1 जनवरी, 1982 से उसे बन्द कर देना होगा। यदि ऐसे किसी सदस्य को उस राज्य में संयुक्त [illegible] किसी कारण से विलम्ब हो तो वे अपना निश्चित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें ताकि केन्द्र सरकार [illegible] उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें योजना के बाहर रखे जाने की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सके।

(ii) राज्य सेवा से प्रोन्नति द्वारा किसी भर्ती वर्ष के सदस्यों पर जो यह स्कीम अनिवार्य रूप से लागू होगी और यदि वे इस राज्य में चल रही सामूहिक बीमा योजना में अंशदान दे रहे हों तो उन्हें चुनना होगा कि वे उसे कायम रखें या इन्श्योरेंस स्कीम, 1980 को चुनें। उन्हें इस सम्बन्ध में अपना विकल्प 15 दिसम्बर, 1981 तक देना होगा।

5--10 नवम्बर, 1981 को या उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त--

(i) सीधी भर्ती के सदस्यों पर यह स्कीम अनिवार्य है। विकल्प का प्रश्न नहीं उठता।

(ii) राज्य सेवा से प्रोन्नति द्वारा किसी भर्ती वर्ष के सदस्यों पर जो पहले से ही राज्य में चल रही सामूहिक बीमा योजना में अंशदान दे रहे हों, को यह विकल्प होगा कि वे या तो उसे कायम रखें या इन्श्योरेंस स्कीम, 1980 को चुनें। इस सम्बन्ध में उन्हें अपना विकल्प तुरन्त ही देना होगा जो अन्तिम होगा। सेवा में भर्ती होने के तुरन्त बाद विकल्प न देने पर यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने इन्श्योरेंस स्कीम, 1980 को चुन लिया है और उन्हें भी 1 जनवरी, 1982 से इस राज्य में चल रही सामूहिक बीमा योजना में अंशदान देना बन्द कर देना होगा।

(11)

6—आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिकारी [illegible] ने आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1981 तक आगामी दो तीन महीनों में अवश्य भेज दें। यदि [illegible] अधिकारी पुलिस सेवा सदस्यों के सम्बन्ध में आदेश भेजने के संबंध में [illegible] के निर्देश जारी किये थे कि [illegible] को [illegible] से भेजे जायें। पश्चात् इस्तीयरा दिनांक 1980 [illegible] 1 जनवरी, 1982 [illegible] से [illegible] के द्वारा आदेश जारी किये जाने से स्पष्ट कर दिया है कि विलम्ब [illegible] के कारण [illegible] का [illegible] न होगा। इसी कारण आपसे विशेष आग्रह है कि कृपया उक्त तिथि से पूर्व ही आदेश भिजवाने [illegible] के [illegible] सुनिश्चित करें।

भवदीय,
कर्नैल सिंह,
सचिव।

संख्या 6999(1) / दो-6—19 - 1(149)-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—शासन के समस्त सचिव।

2—सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली।

3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, [illegible] इलाहाबाद।

4—निदेशक, राज्य अकादमी, भारतीय प्रशासन अकादमी, नैनीताल, को उत्तर प्रदेश की आवश्यक [illegible] की सूचना हेतु।

5—गृह (पुलिस सेवा) अनुभाग की अधिक [illegible] पुलिस सेवा के सदस्यों के सम्बन्ध में याद [illegible] सही हेतु।

6—सब अनुभाग—1 की अधिक [illegible] सेवा के अधिकारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7—फाइल।

आज्ञा से,
कर्नैल सिंह,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बीमा) अनुभाग

संख्या बीमा 1614/दस-81

लखनऊ, दिनांक, 21 दिसम्बर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

उपोक्तसाधारण को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 जुलाई, 1980 से लागू की गई सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु "राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के सृजन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार निधि की स्थापना 1-8-1980 से की जा चुकी है और इस निधि के संचालनार्थ बनाई नियमावली की एक प्रति सलग्नांक संलग्न है।

ज० एल० बजाज,
सचिव।

संख्या बीमा-1614(1)/दस-81

प्रतिलिपि (संलग्नक की प्रति सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-I, इलाहाबाद।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय तथा श्री राज्यपाल का सचिवालय।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी।

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 1980

निधि का नाम

यह निधि "राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" कहलाएगी।

निधि के प्रभावी होने की तिथि

यह निधि दिनांक 1 मार्च, 1980 से प्रभावी होगी।

निधि का प्रशासन

उक्त निधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित होगी।

निधि की राशि

इस निधि में समस्त सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाला मासिक अभिदान, शासन द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान तथा जमा धनराशि पर शासन द्वारा देय ब्याज की धनराशि सम्मिलित रहेगी।

निधि का उद्देश्य

निधि का सृजन सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सेवा-निवृत्त होने और सेवा से अन्यथा पृथक् होने की दशा में सरकारी सेवक द्वारा दिये गये अभिदान में से बचत खाते में जमा धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करना है।

निधि के लेन-देनों का वर्गीकरण

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि राज्य सरकार के लोक लेखा के सेक्शन "अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि खण्ड (ग) अन्य लेखे" के अधीन लेखा शीर्षक "811–बीमा और पेंशन निधियां–क–राज्य सरकारी बीमा निधि" के अन्तर्गत रखांकित की जायेगी। इस निधि के प्राप्ति पक्ष में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में धनराशियों का संकलन किया जायेगा:—

(1) "288–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेतर–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–अन्य बीमा योजनाएं–राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण–अन्तर्लेखा संक्रमण"

(2) "288–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेतर–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–अन्य बीमा योजनाएं–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"

(3) "249–ब्याज का भुगतान–आयोजनेतर–ख–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज–बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज–राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)"

ऊपर क्रमांक संख्या (1) और (2) पर उल्लिखित संक्रमणों से संबंधित धनराशियों का क्रेडिट पुलिस विभाग के लिए और अन्य समस्त विभागों के लिये अलग-अलग प्रदर्शित किया जायेगा। इसी प्रकार लेखा शीर्षक "811" के अन्तर्गत संवितरण पक्ष में भुगतानों को भी पुलिस विभाग के लिए तथा अन्य समस्त विभागों के लिए अलग-अलग दिखाया जायेगा।

(2) विभागीय स्तर पर उक्त निधि के दो भाग होंगे–(1) रिस्क खाता तथा (2) बचत खाता। सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाली धनराशि में से एक निर्धारित अंश रिस्क खाते (रिस्क फण्ड) में क्रेडिट होगा और शेष धनराशि बचत खाते में जमा होगी शासकीय अंशदान की धनराशि विभागीय स्तर पर रिस्क खाते में जमा होगी और सरकारी सेवकों के अभिदान से रिस्क खाते में जमा धनराशि इस सीमा तक कम करके बचत खाते में तदनुरूप वृद्धि कर दी जायेगी। सेवारत मृत्यु की दशा में मृतक सेवक के परिवार को बीमा धनराशि का भुगतान रिस्क खाते से होगा। सेविग खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने पर सरकारी सेवक को (अथवा सेवारत मृत की दशा में उनके परिवार को) वापस की जायेगी। बचत खाते में ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी।

निधि के लेखों का रख-रखाव

सरकारी सेवकों से प्राप्त मासिक अभिदान का प्रारम्भिक लेखा संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा। रिस्क फण्ड तथा बचत फण्ड में से भुगतान की जाने वाली धनराशियों तथा इन खातों में जमा रहने वाली धनराशियों का लेखा-जोखा निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा रखा जायेगा। निधि के लेखों का समग्र रूप से रख-रखाव महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

पी०एस०(यू०पी०)०–ए०सी० 196 सा० वित्त—22–12–81–(3088)–1982–12,000 (हिन्दी)

([illegible])

क्रम संख्या—14

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बीमा) अनुभाग

संख्या बीमा–1671/दस-81

लखनऊ, 30 जनवरी, 1982

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या बीमा 1316/दस-16–80, दिनांक 21-10-81 के प्रस्तर–5 को सन्दर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह निर्देश जारी किये गए हैं कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक बीमा योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान शासन को देना होगा, चाहे वह ड्यूटी पर हो, चाहे अवकाश पर हों अथवा निलम्बित हों। अवकाश की अवधि तथा निलम्बन की अवधि में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड रहेगा, इसलिए उक्त अवधियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है। इन निर्देशों के बारे में कुछ स्तरों से इस आशय की जिज्ञासायें प्राप्त हो रही हैं कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऐसी अवधियों, जिनमें उन्हें कोई अवकाश वेतन/वेतन देय नहीं होता है, से सम्बन्धित मासिक अभिदान जमा कराये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी अवधियों, जिसमें कोई अवकाश वेतन/वेतन देय नहीं होता, की समाप्ति पर जब सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर आये, तब उसके अगले वेतन बिल, जिसमें उसका वेतन आहरित किया जाये, से उस अवधि, जिसमें उसे कोई वेतन देय नहीं था, से बकाया अभिदान समायोजित कर लिया जाये। यदि असाधारण अवकाश की अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवारत मृत्यु हो जाती है, तो उस अवधि का अभिदान सम्बन्धित लाभार्थी से ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा लिया जाये और मृतक से सम्बन्धित दावा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निदेशालय को सन्दर्भित करते समय इस बात का स्पष्टतया उल्लेख कर दिया जाये कि अमुक अवधि से सम्बन्धित बकाया अभिदान ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा दी गई है।

शिवशंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं० बीमा-255/दस--82-80

प्रेषक

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

सचिव,
नियुक्ति विभाग/गृह विभाग/वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

महोदय,

लखनऊ : दिनांक 6 मार्च, 1982

र(बीमा।)
नभाग

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर दिनांक 1 जनवरी, 1982 से लागू की गई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के कन्ट्रोलर जनरल आफ एकाउन्ट्स, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई लेखा प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भी समुचित आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता हुई है और तदनुसार इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने जहां निम्न पैराओं में इंगित आदेश जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

2--अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू भारत सरकार की सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां उनके मासिक वेतन बिलों से कोषागारों द्वारा काटी जायेंगी और कटौती का यह धनराशि लेखा शीर्षक, "8658-अन्य मदें-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी ग्रुप बीमा योजना-अभिदान" के अन्तर्गत जमा की जायेगी। प्रत्येक माह प्रत्येक कोषाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इन कटौतियों की सूचना शासन को निर्धारित रूप से वेतन आहरण के दिनांक के दो दिन के भीतर उपलब्ध करायें। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक द्वारा मासिक कटौती का जो विवरण भेजा जाय उसमें वेतन बिल की संख्या और दिनांक के अतिरिक्त अधिकारी का नाम तथा उसकी सेवा का नाम भी दर्शित किया जाना चाहिये। अतः प्रत्येक कोषागार में आई० ए० एस०/आई० पी० एस०/आई० एफ० एस० अधिकारियों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाने चाहिये और उनमें प्रत्येक माह में की गई कटौतियों के विवरण प्रत्येक अधिकारी के नाम के अन्तर्गत दर्शित किये जायें जिसकी सूचना कोषागार द्वारा महालेखाकार और शासन को प्राप्त होती रहे। इसके यह भी लिखित रहेगा कि प्रत्येक जिले में कितने वेतन बिल के जिलने अधिकारी हैं और उनमें से प्रत्येक माह जितने अधिकारियों से कटौती की गई और जितने अधिकारी ऐसे शेष रहे जिनसे कोई कटौती नहीं हो सकी।

3--शासन स्तर पर वित्त विभाग के अधीन विशेष कार्याधिकारी (श्री शिवशंकर लाल श्रीवास्तव) कोष्ठक तालिका के कार्यान्वयन के लिए आहरण अधिकारी मनोनीत किया गया है। अतएव प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा उपरिवर्णित मासिक विवरण उक्त अधिकारी के नाम से भेजे जायेंगे। मनोनीत आहरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार से प्राप्त धनराशि एक बिल द्वारा सम्बन्धित कोषागार से आहरित की जायेगी। इस धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार धनराशि प्राप्त हो गई है। इस धनराशि का आहरण लेखा शीर्षक "8658 अन्य जेय अखिल भारतीय सेवा अधिकारी ग्रुप बीमा योजना के सम्बन्ध में अभिदानों का केन्द्रीय सरकार को अदायगी" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। बिल की यह धनराशि गृह मंत्रालय में वेतन और लेखा कार्यालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) नई दिल्ली के पक्ष में एक रेखित चैक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जायेगी और उसकी मनोनीत अधिकारी द्वारा प्रत्येक सेवा (आई० ए० एस०/आई० पी० एस०/आई० एफ० एस०) में अधिकारियों, जिनके लिये अंशदान धनराशि भेजी जा रही है, की संख्या सूचित करते हुये एक सारिणी के साथ भेजी जायेगी। इस धनराशि का प्रेषण माह जनवरी, 1982 से आरम्भ होने वाले प्रत्येक माह के सम्बन्ध में होगा। चूंकि राज्य सरकार के अधीन समस्त सरकारी सेवकों द्वारा किसी भी माह का वेतन उस माह के अगले माह की पहली तारीख से पूर्व देय नहीं होता है, अतः उस माह से सम्बन्धित कटौती की धनराशि भी अगले माह की पहली तारीख से पूर्व किसी भी दशा में प्राप्त नहीं हो सकती है। जब इस कटौती की सूचना कोषागारों द्वारा मनोनीत आहरण अधिकारी को प्राप्त होगी तो उसके उपरान्त ही समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् इस धनराशि का प्रेषण भारत सरकार को सम्भव हो सकेगा। भारत सरकार को भेजी जाने वाली धनराशि तीनों सेवाओं के अधिकारियों के सम्बन्ध में एक मुश्त होगी।

4--शासन के अधीन वन विभाग के यह कार्यालय जो जिला स्तर पर अथवा मण्डलीय स्तर पर हैं उनमें वेतन तथा मजदूरी कोषागारों से नहीं होता है बल्कि इन कार्यालयों में चेक पद्धति के अनुसार यह भुगतान किये जाते हैं। इन कार्यालयों कर्मचारियों/कर्मचारियों के वेतन से जो कटौतियां नियमानुसार की जाती हैं उनके विवरण भी कोषागारों को प्राप्त नहीं होते और यह सीधे ही महालेखाकार कार्यालय को भेज दिये जाते हैं। भारत सरकार की ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जो कटौती अखिल वन सेवा के अधिकारियों से की जायेगी उनके विवरण भी, जहां कोषाधिकारियों उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें सीधे ही मनोनीत आहरण अधिकारी को वेतन प्राप्त करने के दिनांक के आगामी दिवस को अवश्य ही उपलब्ध करा दिया जाना चाहिये।

5--अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति हैं उनके सम्बन्ध में मासिक कटौती की धनराशि को मनोनीत अधिकारी द्वारा भारत सरकार को भेजी जायेगी और बाह्य सेवा पर नियुक्त अधिकारियों/उनके कार्यालयों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपनी निज धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा मनोनीत आहरण अधिकारी को नियमित रूप से भेजते रहें। इस सम्बन्ध में नियुक्ति अनुभाग-1 (गृह (पुलिस-बैसाने) अनुभाग-1

वन अनुभाग-1 का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अनुभाग से सम्बन्धित सेवा के अधिकारियों को यह निर्देश जारी करेंगे कि प्रतिनियुक्ति की अवधि में उनसे प्राप्त होने वाली धनराशि सीधे ही मनोनीत अधिकारी को उनके द्वारा भेजी जायेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अपनी लेखा प्रक्रिया में यह निर्धारित किया है कि वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा जो धनराशि ग्रुप बीमा योजना में दी जायेगी उसका लेखा-जोखा सम्बन्धित महालेखाकार द्वारा रखा जायेगा। इस बारे में राज्य सरकार का सुनिश्चित मत है कि चूंकि इन अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रत्येक मास महालेखाकार से उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के आंकड़ों की मिलान करने के उपरान्त ही एक मुश्त धनराशि का प्रेषण सम्भव हो सकेगा और जिसमें काफी विलम्ब भी हो सकती है अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के स्थान पर ऊपर प्रस्तावित प्रक्रिया अधिक सुगम और सरल प्रतीत होती है और इसके अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

6—भारत सरकार की ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का भुगतान किये जाने की जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके अनुसार प्रत्येक दावेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेगा जो मनोनीत आहरण अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जायेगा और आहरण अधिकारी उसमें समुचित प्रविष्टि करके ही भारत सरकार को भेजेंगे भारत सरकार द्वारा जो चेक भेजा जायेगा वह सम्बन्धित व्यक्ति के नाम से प्राप्त होगा और नामित अधिकारी के माध्यम से ही भुगतान के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र की एक प्रति ही भुगतान के दावे के साथ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भेजी जायेगी जो भारत सरकार को प्रस्तुत हो जायेगी और इस प्रकार राज्य सरकार स्तर पर कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि जब भुगतान की धनराशि का चेक प्राप्त होगा तो उसके लिये अग्रिम कार्यवाही करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा दावा दो प्रतियों में शासन को भेजा जाय जिसमें से एक प्रति भारत सरकार को चली जायेगी और दूसरी प्रति राज्य सरकार स्तर पर रख ली जायेगी जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकेगा। भारत सरकार से प्राप्त चेक के विवरण भी सम्बन्धित अधिकारी के खाते में अंकित किये जायेंगे।

7—प्रदेश के प्रत्येक जिले में तथा शासन स्तर पर एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तैनात रहते हैं। इन अधिकारियों के पूर्ण विवरण शासन से सम्बन्धित विभागों के पास तो रहते ही है परन्तु मनोनीत आहरण अधिकारी के पास भी उपलब्ध रहने चाहिये और जब भी किसी पद पर या कार्यालय में इन अधिकारियों में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना तुरन्त ही मनोनीत आहरण अधिकारी को दे देना चाहिये जिससे वह अपने रजिस्टर में परिवर्तन की प्रविष्टि कर लेगा। स्थानान्तरण के अवसर पर अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में कटौती के विवरण का उल्लेख किया जायेगा। अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की एक प्रति आहरण अधिकारी के पास भी भेजी जानी चाहिये। शासन स्तर पर मनोनीत आहरण अधिकारी द्वारा लेखा-जोखा सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही उसी समय की जा सकेगी जब उसके लिये महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद से स्वीकृति प्राप्त हो जाये क्योंकि महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह कोषागार में बिल प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगा।

8—शासन द्वारा मनोनीत आहरण अधिकारी ग्रुप बीमा योजना से सम्बन्धित कार्य-प्रणाली अपनाये जाने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेंगे और इसके लिए आवश्यकतानुसार जो भी रजिस्टर, लेजर आदि खोले जाने की आवश्यकता होगी वह विधिवत खोले जायेंगे ताकि इन सेवाओं के अधिकारियों का लेखा-जोखा रहने में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विलम्ब न हो।

भवदीय,

जगमोहन लाल बजाज,
सचिव।

संख्या बीमा-255 (1)/दस-82-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), नई दिल्ली।
(3) लेखाकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग महालेखा नियन्त्रक, 8 वां तेल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली—11003 को उनके पत्र सं० 11013/2-81-टी० ए०/3845, दिनांक 26-12-81 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
(4) निदेशक, कोषागार एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) राज्यपाल के सचिव।
(6) शासन के मुख्य सचिव एवं अन्य समस्त सचिव।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए कृपया आदेशित करें तथा शासन को भी अवगत करायें।
(10) इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, लखनऊ।

आज्ञा से,

जी० गनेश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 276 सा० (वित्त)—15-3-82 (4148)—1982—5,000 (हिन्दी)।

संख्या–बीमा–2825/दस–85–5/1980

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द उबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 सितम्बर, 1985

विषय—राज्य सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत वृटिवश की गई कटौती की धनराशि के भुगतान के संबंध में संशोधित प्रक्रिया।

महोदय,

वित्त(बीमा) अनुभाग

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या बीमा–2437/दस/84–5/84, दिनांक 14 मई, 1985 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई वृटिवश कटौती की धनराशि के भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत किये जाने में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार की धनराशि के भुगतान हेतु दावे विभागाध्यक्षों द्वारा संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को संलग्न जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या 24 में प्रस्तुत किये जायं। इन आदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : जी0आई0एस0 प्रपत्र सं0 24

भवदीय,
हरगोविन्द उबराल,
विशेष सचिव।

संख्या–बीमा–2825 (1)/दस–85–5/1980

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, 31/62, प्रिंस काम्प्लेक्स, नेता किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,
हरगोविन्द उबराल,
विशेष सचिव।

जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या--24 (प्रथम पृष्ठ)

(सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश काटी गयी/जमा धनराशि की वापसी हेतु यह प्रपत्र तीन प्रतियों में बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है।)

1--अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम _____

2--नियुक्ति के स्थान का पता _____

3--त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि की अवधि _____

4--त्रुटिपूर्ण कटौती की गयी अभिदान की दर (अभिदानों की संख्या / कुल अभिदानों की धनराशि)

(क) रु0 5 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

(ख) रु0 10 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

(ग) रु0 15 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

(घ) रु0 20 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

(च) रु0 40 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

(छ) रु0 80 प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि _____ से _____ तक

5--त्रुटिपूर्ण हुई कटौती का कारण _____

6--त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि

(क) "बीमा निधि" के अन्तर्गत रु0--

(ख) "बचत निधि" के अन्तर्गत रु0--

(ग) कुल काटी गयी धनराशि रु0--

7--त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि जिस लेखाशीर्षक के _____

अन्तर्गत जमा हुई उसका पूर्ण उल्लेख _____

8--मृत्यु की स्थिति में लाभग्रही का

(अ) नाम _____

(ब) पता _____

(स) संबंध _____

9--प्रस्ताव भेजने में विलम्ब का कारण _____

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है, इसके आधार पर निदेशक, सामूहिक बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से त्रुटिवश काटी गयी धनराशि के भुगतान का आग्रह किया जाय। उक्त लाभग्रही/लाभग्रहियों के नाम दावे का चेक दिया जाये। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त दावे का प्रपत्र इसके पूर्व कभी नहीं प्रेषित किया गया है और न कर्मचारी/लाभग्रही को उक्त अवधि का भुगतान ही बीमा निदेशालय अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया है।

दिनांक--
स्थान--

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण
अधिकारी के समुहर हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष के कार्यालय के प्रयोगार्थ

संख्या दिनांक

सेवा में,

निदेशक,
सामूहिक बीमा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के उपरोक्त विवरण से मैं सन्तुष्ट हूं। कृपया उपरोक्त विवरण के आधार पर त्रुटिवश कटौती से संबंधित धनराशि रु0————————का चेक मुझे भेजने का कष्ट करें। भविष्य में इस प्रकार की कटौती न किये जाने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित कर दिया गया है।

चेक प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी/लाभार्थी को उसका भुगतान करके प्रपत्र-4 पर 20 पैसे के रसीदी टिकट पर भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त करके आपको प्रेषित कर दी जाएगी।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर

(द्वितीय पृष्ठ)

(इस प्रपत्र के स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जाते हैं।)

1—अधिकारी/कर्मचारी का नाम ————————————

2—त्रुटिवश काटी गयी धनराशि की अवधि से————————तक

3—त्रुटिवश काटे गये अभिदानों की संख्या ————————————

4—बीमा निधि से किये गये भुगतान की धनराशि ————————————

5—बचत निधि से किये गये भुगतान की धनराशि ————————————

6—कुल किया गया भुगतान ————————————

7—अन्य विवरण ————————————

हम एतद् द्वारा शासन से रु0·····(रु0·····) की धनराशि, जो त्रुटिवश उक्त योजना के अन्तर्गत काटी गयी है, दावों के उक्त विवरण के अनुसार पूर्ण सन्तोष सहित प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं
वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा मोहर

पी0एस0यूपी0-ए0पी0-142 सा0वित्त-7-11-85-(2506)-1986-5,000 (प्रो0)।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ
रजिस्टर्ड नं० 266/सा(प्र०)
6 DEC 1986

पत्र सं०: 8371/दो-1-19/1(10)1(1)/85

प्रेषक,

श्री कृष्ण बिहारी टण्डन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश संवर्ग के
समस्त आई०ए०एस० अधिकारी
(नाम से)

निबुक्ति अनुभाग-1- लखनऊ: दिनांक 10 नवंबर, 1986.

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना-1980
योजनान्तर्गत किसी अधिकारी से त्रुटिपूर्ण कटौती की वापसी ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर केन्द्रीय समूह बीमा योजना 1980 लागू होने के पश्चात शासन के संज्ञान में आया है कि कई ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी जो उक्त योजना के सदस्य नहीं हैं अर्थात उक्त योजना से पृथक होगए हैं, के वेतन से कटौतियाँ करके उक्त योजना के लेखा शीर्षक - "858-उपन्त लेखे-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना अभिदान" में जमा कर दी जाती हैं। इन त्रुटिपूर्ण कटौती किये गये अभिदानों के वापसी योजना के पदनामित अधिकारी द्वारा की जाती है।
उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों से त्रुटिपूर्ण किये गये अभिदानों की धनराशि वापस करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

1. संबंधित अधिकारी द्वारा तीन प्रतियों में संलग्न प्रपत्र-"क" पर आवश्यक विवरण दर्शाते हुए तथा संबंधित अवधि के त्रुटिपूर्ण कटौतियों के विवरण संलग्न प्रपत्र-ख पर सत्यापित करा कर निबुक्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत करेंगे।
2. निबुक्ति अनुभाग-1 द्वारा दावपत्र प्रपत्र "क" के साथ उक्त योजना के पदनामित आहरण अधिकारी, श्री जे०बी० सिंह, संयुक्त निदेशक, उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।
3. पदनामित आहरण अधिकारी के कार्यालय में सभी प्रकार से पूर्ण दावा प्राप्त होने पर पदनामित आहरण अधिकारी द्वारा दावे के भुगतान हेतु आदेश जारी करके प्रदत्त धनराशि को लेखा शीर्षक-"858-उपन्त लेखे" से आहरित किये जाने हेतु कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ में बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

(को कटौतियों के सत्यापित विवरण प्रपत्र "ख")

.... 2/-

चेक के प्राप्त होने पर पदनामित आहरण अधिकारी उसे संबंधित अधिकारी को भुगतान करने हेतु नियुक्ति अनुभाग-1 भेजेंगे। नियुक्ति विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी को सम्बन्धित धनराशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जायगी ।

यदि आपको वेतन से त्रुटिपूर्ण कटौती की गयी हो तो आप कृपया अपना पूर्ण दावा निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृष्ण बिहारी टण्डन)
उप सचिव ।

सं0: 8371111/दो-1-86, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को उनके पत्रांक: सामू0 बीमा0के0बी0ओ0/4-275-29511/85-30221/86 दिनांक 4-10-86 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(कृष्ण बिहारी टण्डन)
उप सचिव ।

प्रपत्र-क

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी साधू बीमा योजना-1980 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण कटौती किए गए अभिदानों की धनराशि की वापसी हेतु दावा प्रपत्र दो प्रतियों में तत्सम्बन्धित बीमा निदेशालय को प्रेषित है :--

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं पदनाम स्पष्ट अक्षरों में _____
2. केन्द्र संवर्ग का नाम _____
3. अन्तिम नियुक्ति के स्थान का पता= _____
4. त्रुटिवश काटी गई धनराशि की अवधि _____ से _____ तक
5. त्रुटिवश कटौती विवरण का विवरण _____

त्रुटिवश काटी गयी अभिदान की दर	अभिदानों की संख्या	अभिदानों की धनराशि रू0	लेखा अनुभाग, जिसके अधीनस्थ त्रुटिवश काटी गयी धनराशि जमा हुई।
1	2	3	4

6. त्रुटिवश काटी गयी कुल धनराशि रू0-

7. मृत्यु की स्थिति में नामोद्दिष्टी का
पिता का नाम स्पष्ट अक्षरों में
(ख) पेशा
(ग) सम्बन्ध

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है। इसके आधार पर योजना के अन्तर्गत भारण अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साधू बीमा निदेशालय, लखनऊ से त्रुटिवश काटी गयी धनराशि के भुगतान का आदेश दिया जाए। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त भुगतान का दावा पूर्व में नहीं किया गया है।

दिनांक --

भुगतान का दावा प्रपत्र इससे पूर्व प्रेषित नहीं किया गया है । उपरोक्त त्रुटिवश काटी गयी जनराशि की पुष्टि हेतु संबंधित कोषागार/कार्यालय का सत्यापित विवरण निर्धारित प्रारूप-ख संलग्न है ।

दिनांक --

स्थान -

संबंधित अधिकारी/
लाभग्राही के हस्ताक्षर

संख्या 3,47-29/87-17-147

प्रेषक,

श्री ज्ञानेन्द्र नारायण,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
नियुक्ति विभाग/गृह विभाग/वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

वित्त (बीमा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 1988

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना-1980 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1987-88 से परिवर्तित लेखा वर्गीकरण का प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस अनुभाग के पत्र संख्या बीमा-255/दस-52/80, दिनांक 6 मार्च, 1982 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 से नया लेखा वर्गीकरण प्रभावी होने के फलस्वरूप पुराना शीर्षक "858-उपन्त लेखे" अब बदलकर "8658-उपन्त खाता" हो गया है और उक्त "8658-उपन्त खाता" के अधीन एक लघु शीर्षक "123-ए0 आई0 ए0 अधिकारी समूह बीमा योजना" निर्धारित किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अभिदानों के रूप में की जाने वाली कटौतियाँ निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत जमा/वर्गीकृत की जायेंगी:-

"8658-उपन्त खाता-

123 ए0 आई0 एस0 अधिकारी समूह बीमा योजना-अभिदान।"

अभिदानों का केन्द्र सरकार को अग्रिम भुगतान निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा:-

—2—

"8650-अवन्त खाता-

123 ए0 आई0 एस0 अधिकारी समूह बीमा योजना-
ए0 आई0 एस0 अधिकारी सामूहिक बीमा योजना के संबंध में अंशदान की केन्द्रीय सरकार को अदायगी।

भवदीय,

ह0 ज्ञानेन्द्र नारायण।
अनुसचिव।

संख्या बीमा- 2905।।/दस-87-21/87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) नई दिल्ली।
3- लेखाकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा निर्यंत्रक, 8वाँ तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003।
4- निदेशक, कोषागार एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जयाहर भवन, लखनऊ।
5- राज्यपाल के सचिव।
6- शासन के मुख्य सचिव एवं अन्य समस्त सचिव।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
10- डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह0 ज्ञानेन्द्र नारायण।
अनुसचिव।

संख्या बीमा-20/दस-93-67(बी)-92

प्रेषक,

श्री सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

विषय:—"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत देय धनराशि में से अन्य शासकीय देयों की वसूली किया जाना।

लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 1993

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विचारार्थ समय-समय पर यह बिन्दु प्रस्तुत होता रहा है कि क्या "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को देय धनराशि में से शासकीय देयों की वसूली की जा सकती है अथवा नहीं। सामूहिक बीमा योजना एक कल्याणकारी योजना है, इसलिये इसके मूल उद्देश्य एवं प्रकृति का परिशीलन करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अधीन देय धनराशि में से शासकीय देयों की वसूली न किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान किये हैं।

2—कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव।

संख्या बीमा—20/(1)दस-93-67बी(92)-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;
2—श्री राज्यपाल का सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
3—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग; तथा
5—संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 3 सा0 वित्त—2:-4-93--(118)—1993--8,000 (हि0)।

संख्या बीमा—408/दस-97-105(ए)/91(टी० सी 1)

प्रेषक

श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाक 17 अक्टूबर, 1997।

विषय : लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवाकाल में लापता हुयें अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान उनके लाभार्थियों को सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किया जा सकता है।

2—वर्तमान नियमों के अन्तर्गत लापता सरकारी सेवकों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ—यथा; पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उसके आश्रितों को, लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कतिपय शर्तों के अधीन किया जा सकता है जबकि सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान सात वर्ष के उपरान्त ही किये जाने की व्यवस्था है। फलस्वरूप लापताकर्मी के आश्रितों/लाभार्थियों को दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस समस्या का निराकरण करने के साथ ही योजना की कल्याणकारी छवि को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए लापता अधिकारियों/कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करने के राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किये गये हैं :—

(1) लापता सरकारी सेवकों के मामलों में मासिक अभिदान की कटौती उसके लापता होने के माह तक ही की जायेगी तथा तद्नुसार ही उस माह में प्रभावी दरों पर योजनान्तर्गत देयों की गणना की जायेगी।

(2) सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बचत निधि में जमा धनराशि तथा उस पर देय ब्याज लापता होने के माह की अन्तिम तिथि तक का भुगतान किया जायेगा।

(3) बचत निधि में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभर्थियों द्वारा लापता होने के माह के एक वर्ष पश्चात् एक प्रार्थना-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपश-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि, अमुक व्यक्ति जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक स्थान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया है और लापता होने की तिथि से उसे आज तक कहीं देखा-सुना नहीं गया है। इस विषय में सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रपट की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जाये।

(4) उक्त प्रार्थना-पत्र, सरकारी सेवक की योजनान्तर्गत हुई कटौतियों के विवरण के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ अग्रसारित किया जायेगा कि चूंकि अमुक कर्मचारी उपरोक्त अवधि में कहीं देखा-सुना नहीं गया है, अतः सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत कुल देय धनराशि में से बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान ब्याज सहित उसके लाभार्थी/ लाभार्थियों को कर दिया जाय।

(5) परीक्षणोपरान्त, दावा यथाविधि सही पाये जाने पर, निदेशालय द्वारा बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान, ब्याज सहित, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) यदि किसी कर्मचारी का योजनान्तर्गत मासिक अभिदान किन्हीं कारणों से कतिपय अवधि/अवधियों के लिये नहीं काटा गया है और वह इस बीच लापता हो गया हो तो उक्त अवधि/अवधियों के अभिदान की कुल धनराशि उसके लाभार्थी/लाभार्थियों से ट्रेजरी चालान द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराई जायेगी और दावे के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इसकी प्रमाणित छाया प्रति भी अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

3—(1) बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मृत माने जाने की दशा में ही देय होगा।

(2) उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु लापता सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभार्थियों को लापता होने के माह के सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पुनः इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि अमुक व्यक्ति जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक स्थान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया था और विगत सात वर्षों से आज तक उसे कहीं देखा-सुना नहीं गया है। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रपट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। अतः "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के परिप्रेक्ष्य में उसे मृत परिकल्पित करते हुये सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत उसके बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान कर दिया जाय। प्रार्थना-पत्र में बचत निधि की धनराशि के भुगतान की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर कम से कम एक हिन्दी व एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय स्तर के तथा दो प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में विशिष्ट रूप से एतद्सम्बन्धी विज्ञापन, जिसका प्रारूप (हिन्दी व अंग्रेजी में) परिशिष्ट-एक में दिया गया है, प्रदर्शित कर आपत्तियां विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर आमंत्रित करेंगे। यदि इस आशय के कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों (लाभार्थी/लाभार्थियों का/ के प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित तथा विज्ञापन) की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करते हुये दावा निस्तारण/भुगतान हेतु निर्धारित रूप-पत्र पर अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा परन्तु; यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक (लापता) के जीवित होने अथवा कहीं देखे-सुने जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवाद प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरण में लाभार्थी/लाभार्थियों को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के अधीन सम्बन्धित लापता सरकारी सेवक के मृत घोषित किये जाने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गयी घोषणात्मक डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

4— प्रत्येक अवसर पर लाभार्थी/लाभार्थियों से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र (जिसका प्रारूप संलग्न परिशिष्ट–दो में दिया गया है) दो प्रतियों में भरवाया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजी जायेगी।

5— इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, भले ही इस प्रकार मानी गयी मृत्यु की तिथि सरकारी सेवक की अधिवर्षता प्राप्त करने की तिथि के बाद ही क्यों न पड़ती हो।

6—कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इन आदेशों से अवगत करा दें।

भवदीय,

कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

संलग्नक: विज्ञापन का प्रारूप–परिशिष्ट–एक; तथा क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का प्रारूप–परिशिष्ट–दो

संख्या बीमा—408/दस-97-105(ए)/91(टी० सी० 1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;

2—समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

3—श्री राज्यपाल का सचिवालय;

4—माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग;

6—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय; तथा

7—अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आलोच्य अवधि में निष्पादित कराये गये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्रों का एक संहत विवरण प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–एक

विज्ञापन का प्रारूप

लापता सरकारी सेवक का चित्र

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी ----------

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री ----------

निवासी----------

जिनका चित्र बाईं ओर दिया है, इस कार्यालय में ----------

पद पर कार्यरत थे जो दिनांक ---------- से कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं।

उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी---------- के / की----------(सरकारी सेवक से सम्बन्ध) श्री/श्रीमती/कुमारी---------- ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा श्री---------- ने इस आशय का एक शपथ-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------- दिनांक----------को ---------- स्थान से कहीं लापता हो गये हैं और विगत सात वर्षों की अवधि में उन्हें कहीं देखा-सुना नहीं गया है। अतः "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मृत परिकल्पित करते हुये उनके उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना सम्बन्धी दावे का निस्तारण करके देय धनराशि का भुगतान उन्हें कर दिया जाय।

अतः सर्वसाधारण को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह कृपया अपनी आपत्ति/दावा सुसंगत साक्ष्य सहित पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आपत्ति सुसंगत साक्ष्य सहित प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अवश्य प्राप्त हो जाय। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....को मृत परिकल्पित करते हुये उनके सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावे का निस्तारण करके देय धनराशि का भुगतान उनके उक्त लाभार्थी/लाभार्थियों को कर दिया जयेगा।

कार्यालय का नाम व पता :–

आहरण एवं वितरण अधिकारी
का नाम व पद

ENGLISH VERSION

ANNEXURE–I

Proforma for advertisement

PHOTOGRAPH OF MISSING GOVT. EMPLOYEE

As per office records Sri/Srimati/Kumari.....
.....Son/Daughter/Wife/Widow of Sri.....resident of ....., whose photograph is given on the left, was working on the post of.....in this office is reported to have been absent since.....

Sri/Srimati/Kumari.....son/daughter/wife/widow of Sri.....who is..... (relationship with the Govt. employee) of Sri/Srimati/Kumari..... has preferred an affidavit in this office that Sri/Srimati/Kumari..... has been missing since.....from.....(place) and has not been heard of or seen for the last seven years. Therefore, under the provisions of Section 108 of "Indian Evidence Act, 1872" presuming him/her to be dead, his/her claim under "U.P. State Employees Group Insurance & Savings Scheme" may be disposed of and the amount due be paid to him/her/them.

Therefore, this is published for general information that if any one has any objection with regard to the above proposed action he/she may file his/her objection/claim duly supported by relevant evidences to the undersigned by registrered post or personally, subject to the condition that such objection alongwith relevant evidences is positively received in the office of the undersigned within one month from the date of publication of this advertisement. If no objection is received during the above period presuming Sri/Srimati/Kumari.....to be dead, his/her claim under Group Insurance Scheme will be disposed of and the amount due will be paid to his/her beneficiary/ beneficiaries.

Name of Office & Address.

Name & post of Drawing & Disbursing Officer.

ANNEXURE–II

INDEMNITY BOND

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the.....day of.....19 .....corresponding to Saka Samvat the .....day of.....19 .....Between (1).....son/daughter/husband/widow of Sri/Srimati..... residing at.....(hereinafter called "the Bounden I" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his/her heirs, executors, admnistrations & legal representatives) and (2)..... son/daughter/wife/widow of Sri/Srimati.....residing at..... (hereinafter called "the Bounden II" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his/her heirs, executors, administrators and legal representatives) of the one part AND the Governor of the State of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Governor" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors–in–office and assigns) of the other part.

WHEREAS Sri/Srimati/Kumari.....son/daughter/wife/ widow of Sri.....was in the employment of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Government") as.....in..... Department and as such he/she was enrolled as a member of U.P. State Employees Group Insurance and Savings Scheme;

AND WHEREAS the aforesaid Sri/Srimati/Kumari..... has been missing since.....and has not been heard of for one year therefore, the sum of Rs.....(Rupees.....only) was due to Sri/Srimati/Kumari.....on account of Savings Fund deposited under U.P. State Employees Group Insurance Scheme with interest incurred thereon.

AND WHEREAS the aforesaid Sri/Srimati/Kumari..... has been missing since.....and has not been heard of for seven years therefore, under the provisions of Section 108 of "Indian Evidence Act, 1872" he/she is presumed to be dead (hereinafter called "the deceased")

AND WHEREAS the sum of Rs..... (Rupees.....only) was due to the deceased on account of Group Insurance in respect of his/her said enrolment from the Government;

AND WHEREAS the Bounden I who is.....of the deceased and the Bounden II who is.....of the deceased (hereinafter Jointly called "the Boundens") claim to be entitled to the aforesaid sum;

AND WHEREAS on the request of the Boundens the Government is willing to pay the aforesaid sum to the Boundens on the condition that they should first execute a Bond being these presents, to indemnify and save the Government harmless against all claims to the amount so due to the deceased before the said sum could be paid to the Boundens.

NOW THIS DEED WITNESSES THAT:—

1. In consideration of the Government agreeing to pay the Bounden/Boundens the sum as aforesaid the Boundens hereby jointly and severally covenant with the Government that, if after payment has been

made to the Boundens they shall in the event of a claim being made by any other person or by the missing Government servant, in case the deceased Government servant appears before the Government and makes any claim against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs..... (Rupees.....only), refund to the Government the sum of Rs.....(Rupees.....only) and shall otherwise indemnify and save the Government harmless from all liability in respect of the aforesaid sum and all costs incurred in consequence of any claim thereto, then this bond shall be void but otherwise the said bond shall remain in full force, effect and virtue.

2. Without prejudice to any other legal remedy the Government may on a certificate of the Additional Director, U.P. State Employees Group Insurance Directorate, Lucknow which shall be final, conclusive and binding on the Bounden/Boundens recover all dues hereunder from him/her them as arrears of land revenue.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

In witnesses where of the parties hereto have hereunto set their hands on the day and the year first above written.

Signed by .....
(Bounden I)

Signed by.....
(Bounden II)

Witnesses:—

(1).....

.....

.....

(Name & address)

(2).....

.....

.....

(Name & address)

Note: Delete Whichever is not applicable.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 113 सा० वित्त—22-11-97—(1824)—5,000—कम्प्यूटर /आफसेट।

संख्या बीमा—768/दस-99/61/A/99

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 1999।

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

शासनादेश संख्या बीमा-145/दस-94-55(बी)/1992, दिनांक 5 फरवरी, 1994 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1994 से समस्त सरकारी सेवकों के सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के देय धनराशि के दावे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सीधे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाने एवं निदेशालय द्वारा कर्मचारी/लाभार्थी के नाम चेक बनाकर सीधे संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के आदेश इस निर्देश के साथ प्रसारित किये गये थे कि उक्त चेक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी/लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

2—उपरोक्त निर्धारित की गयी प्रक्रिया में शासन द्वारा कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि वर्तमान व्यवस्था में, पूरे प्रदेश के दावे मात्र लखनऊ स्थित निदेशालय में प्रस्तुत करने से जहां विलम्ब एवं कर्मचारी/लाभार्थी को तरह-तरह की असुविधा होती है, वहीं सामूहिक बीमा निदेशालय स्तर पर प्रदेश के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों की सूची रखना तथा उनके हस्ताक्षर नमूने को अद्यावधिक रखना कठिन कार्य है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1999 से बीमा एवं बचत योजना के दावे का भुगतान कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के माध्यम से बचत एवं बीमा निधि की धनराशि के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय :—

(1) दिनांक 30 सितम्बर, 1999 को सेवानिवृत्त अथवा मृतक अधिकारी/कर्मचारी के दावे जी०पी०एफ० की भांति कोषागार के लिये निर्धारित सामान्य देयक प्रपत्र पर दावा तथा आगणन शीट संलग्न कर संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भेजा जायेगा। मुख्यालय से बाहर भुगतान की मांग पर गवर्नमेंट बिजनेस ब्रांच से निःशुल्क सरकारी ड्राफ्ट भी बनवाया जा सकता है, बिल फार्म पर बजट साहित्य के खण्ड-2 में मुख्य लेखा शीर्षक 8011—बीमा एवं पेंशन निधियों के अन्तर्गत लघु शीर्षक/उप शीर्षक आदि दर्शाया जाय। निर्धारित सूचना/लेखा सामूहिक बीमा निदेशालय एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को कोषागार के अन्य लेखों/डम्पुट जो वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजा जाता है, के साथ पूर्व निर्धारित तिथि तक विशेष वाहक द्वारा भेजा जायेगा।

(2) राज्य कर्मचारी बीमा योजना निधि नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अधीन सरकारी सेवकों से प्राप्त मासिक अभिदान को प्रारम्भिक लेखा संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा। बीमा एवं बचत निधि की प्राप्तियों तथा इससे भुगतान की धनराशियों का लेखा-जोखा निदेशक, राज्य सामूहिक बीमा द्वारा रखा जायेगा। निधि के लेखों का समग्र रूप से रख-रखाव प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा।

(3) निदेशालय स्तर से पूर्व की भांति बजट नियंत्रण, बजट अनुमान तैयार करना, राज्य स्तरीय लेखों का संकलन, कोषागार के वाउचर्स/कटौतियों के आधार पर महालेखाकार कार्यालय से प्रतिमाह लेखों का मिलान, उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड संबंधी समस्त कार्य, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सामूहिक बीमा संबंधी समस्त कार्य, सामूहिक बीमा संबंधी राज्य स्तरीय समन्वय, आहरण-वितरण अधिकारियों/कोषागारों द्वारा वांछित मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण पर निर्देश/मार्गदर्शन, आहरण-वितरण अधिकारी/कोषागार का निरीक्षण/सम्प्रेक्षा आदि किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों/प्रपत्रों/एन०आइ०सी० के सहयोग से रेडीरेकनर का संकलन/प्रकाशन तथा वांछित स्तरों को यथा समस्त कोषागार, आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराने का कार्य बीमा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बीमा निदेशालय द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पादित किया जायेगा :–

(क) कोषागार के कैशबुक में पूर्णतया में 8011—बीमा एवं पेंशन निधियों के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष से डी०डी०ओ० वार भुगतान के योग से मिलान, दोहरे भुगतान आदि पर नियंत्रण रखना।

(ख) समय-समय पर नियमों एवं प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन को शासन के संज्ञान में लाना तथा शासन से परिवर्तन आदि की स्वीकृति के बाद कोषागार, डी०डी०ओ० आदि को अवगत/प्रशिक्षित करना।

(ग) राज्य स्तर पर सामूहिक बीमा संबंधी सम्प्रेक्षा आपत्तियों के अनुपालन का अनुश्रवण, ड्राफ्ट/लोक लेखा समिति के प्रस्तारों के निस्तारण की कार्यवाही।

(घ) लम्बित मुकदमों के निस्तारण पर प्रभावशाली कार्यवाही एवं शिथिलता पर दायित्व निर्धारण।

(4) शासनादेश संख्या बीमा—2084/दस–87–10/1987, दिनांक 31 जुलाई, 1987 के अनुसार सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का प्रेषण जी०आई०एस० फार्म संख्या–26 पर प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार सेवारत मृत अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण में जी०आई०एस० फार्म संख्या–27 पर प्रस्तुत किया जायेगा (मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नामांकन सहित)। दोनों प्रपत्रों में मात्र इतना संशोधन किया जाय कि प्रेषण "निदेशक राज्य सामूहिक बीमा निदेशालय" के स्थान पर संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के अधिकारी को संबोधित किया जाय। कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक में प्राप्त होने वाले तीन दावा प्रपत्रों में एक दावा प्रपत्र आहरण हेतु प्रस्तुत "कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र" के साथ लगाया जायेगा, दूसरा सामूहिक बीमा निदेशालय को भुगतान संबंधी अभिलेखों के साथ भेजा जाय, तीसरी प्रति कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक में सम्प्रेक्षा आदि हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। मृत्यु के प्रकरण में मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नियमानुसार नामांकन दावा के साथ प्रेषित किया जाय।

(5) आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–26 या 27 (जैसी स्थिति हो) प्रस्तुत होने से तीन कार्य दिवसों के अधीन दावे का परीक्षण, आहरण-वितरण अधिकारीवार बनाये गये लेजर (संलग्न जी०आई०एस० प्रपत्र–28) पर प्रविष्टि करके निस्तारित करना अनिवार्य होगा। जांच के बाद यदि दावा सही पाया जाय तब उसे कम्प्यूटर पर उपलब्ध साफ्टवेयर की सहायता से कटौतियों की धनराशि एवं अवधि के आधार पर ब्याज का आगणन किया जाय। कटौती की धनराशि में आगणित ब्याज शामिल करते हुये बचत निधि की आगणन शीट तैयार करना चाहिये। आगणन शीट तीन प्रतियों में तैयार की जानी चाहिये। एक प्रति कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक की दावा पत्रावली में तथा दो प्रति आहरण वितरण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक जी० आई० एस० प्रपत्र–29) पर भेजनी चाहिये। आहरण-वितरण अधिकारी को चाहिये कि दावा प्रस्तुत करने के दिनांक से तीन कार्य दिवसों में एक प्रति दावा तथा प्रति आगणन शीट कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक से प्राप्त कर लें। आगणन प्राप्त होने के दिनांक से दो दिन के अन्तर्गत जिस प्रपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का आहरण होता है (कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र), पर देय धनराशि का विवरण, मुख्य लेखाशीर्षक 8011—बीमा तथा पेंशन निधियां एवं उसके अधीन अन्य सुसंगत लेखाशीर्षक का उल्लेख, दावा की एक प्रति, आगणन शीट की एक प्रति (जो कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी गई हो) संलग्न कर कोषागार में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाय जिस प्रकार आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा अन्य अधिष्ठान संबंधी देयक (बिल) कोषागार में प्राप्त कराये जाते हैं। आहरण-वितरण अधिकारी को देयक पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि चेक कर्मचारी/लाभार्थी के नाम निर्गत किया जाय जिसका बैंक खाता संख्या दर्शाया गया है। बैंक तथा शाखा का नाम एवं खाता संख्या इस प्रकार के देयक प्राप्त होने के दिनांक से दो कार्य दिवसों के अधीन कर्मचारी/लाभार्थी के नाम कोषागार के चेक/निर्धारित चेक "एकाउन्ट पेयी" लिखकर चेक निर्गत किया जाय तथा आहरण-वितरण अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय। आहरण-वितरण अधिकारी का निजी दायित्व होगा कि विलम्बतम तीन दिन के अन्तर्गत कर्मचारी/लाभार्थी को चेक निर्धारित प्राप्त रसीद लेकर उपलब्ध करावे। यदि किसी प्रकरण में दी गई समय-सारिणी में विलम्ब हो तब दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण अभिलेखों में दर्शाया जाय कि विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है?

(6) सामूहिक बीमा दावा पंजी के प्रपत्र–28 के सभी स्तम्भों को सही ढंग से भरना चाहिये तथा चेक हस्तान्तरण के साथ-साथ कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के अधिकारी द्वारा आवश्यक अभ्युक्ति के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा।

(7) प्रतिमाह लेखा तैयार करने के साथ-साथ निर्धारित तिथि पर महालेखाकार-1 के कार्यालय में सामूहिक बीमा संबंधित वाउचर, पोस्टिंग शिड्यूल आदि उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक द्वारा विशेष वाहक से विलम्बतम् दस तारीख तक इनपुट भेजने का प्राविधान है। अतः इनपुट के साथ सामूहिक बीमा निदेशालय को उसी विशेष वाहक से निम्नलिखित अभिलेख भेजे जायें:-

(क) दावा पंजी (जी० आई० एस० प्रपत्र-28) के प्रारूप पर प्रतिमाह दावे के भुगतान का विवरण तथा लम्बित दावे की सूचना।

(ख) प्रत्येक दावे की एक प्रति (प्रपत्र 26 या प्रपत्र 27)

(ग) आगणन शीट संबंधी आदेश की एक प्रति।

(घ) 8011—बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन कुल प्राप्तियां तथा श्रेणीवार प्राप्तियां, जैसा कि वेतन बिल के साथ प्रपत्र में कटौतियों के अधीन दर्शाया गया है (वर्ग "क" तथा "ख" के अधीन)

(ङ) 8011—बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन भुगतान प्रपत्र 47 ख पोस्टिंग शिड्यूल की प्रति।

(च) 8011—बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन निर्गत चेक के आधार पर पेड/अनपेड चेक तथा कालातीत चेक का विवरण।

(8) सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा कोषागार से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर राज्य स्तरीय लेखा-जोखा तैयार कर महालेखाकार को बी० एम० 12 तथा शासन के वित्त विभाग को बी० एम०-13 प्रपत्रों पर मासिक सूचना भेजेंगे। प्राप्त सूचनाओं में किसी भी प्रकार की कमी से संबंधित अधिकारी को तत्काल अवगत करावेंगे एवं तब तक उसका अनुश्रवण करेंगे जब तक कमी दूर न कर ली जाय।

(9) समस्त आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिये कि प्रत्येक 15 जनवरी तक अगले दो कलेण्डर वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वर्गवार विवरण संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। बचत निधि पर अनुमानित व्यय तथा अनुभव के आधार पर बीमा निधि के भुगतान का बजट अनुमान का प्रस्ताव-कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक द्वारा बीमा निदेशालय को तथा बीमा निदेशालय द्वारा शासन को निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाय।

(10) सामूहिक बीमा निदेशालय के अधिकारी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रशिक्षित करने हेतु शासनादेशों का संग्रह तथा अन्य अध्ययन सामग्री तैयार कर वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ से सम्पर्क कर कार्यवाही करें।

(11) सामूहिक बीमा में कम्प्यूटर आगणन के साफ्टवेयर में एन० आई० सी० के सहयोग से यथावांछित परिवर्तन कराकर कोषागार के कम्प्यूटर में "लोड" कराने तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(12) एन० आई० सी० की राज्य इकाई के सहयोग से प्रतिवर्ष कटौतियों की तिथि/धनराशि के आधार पर "रेडी रेकनर" बनवाया जाय एवं सभी स्तरों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(13) 30 सितम्बर, 1999 तक के दावे सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा पूर्व प्रक्रिया की भांति निस्तारित किये जायें।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन निर्धारित स्तरों पर तत्काल से किया जाय जिससे क्रियान्वयन में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। शासनादेश सं० 145/दस-94-55 (बी)/92, दिनांक 05 फरवरी, 1994 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक: उपर्युक्त

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–बीमा–768/दस–99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3—श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4—रेजीडेन्ट कमिश्नर/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।

5—इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

6—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7—निदेशक, राज्य सामूहिक बीमा निदेशालय।

8—निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान।

9—निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

10—प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश को 5 प्रतियां कि महालेखाकार लेखा तथा महालेखाकार-सम्प्रेक्षा को भी उपलब्ध करायी जा सके।

11—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

12—तकनीकी निदेशक, एन० आई० सी० राज्य इकाई, उत्तर प्रदेश 6 वां तल योजना भवन लखनऊ।

13—संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र सिंह,
अनु सचिव।

बी०आई०एस० प्रपत्र संख्या–28

राज्य सामूहिक बीमा दावा पंजी

(कोषागार .....)

आहरण वितरण अधिकारी ..... (पदनाम) विभाग .....

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद नाम	लाभार्थी का नाम	कर्मचारी के समूह तथा सेवा निवृत्ति/पृथक/ मृत्यु की तिथि	योजना में कटौती कब से कब तक	दावा प्राप्त होने की तिथि तथा कुल कटौती की धनराशि	आवंटन/ अपत्ति की तिथि/विवरण	वाउचर संख्या	बचत निधि रुपये	बीमा निधि रुपये	कुल देय धनराशि रुपये	चेक संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

-374-

6

जी० आई० एस० प्रपत्र संख्या–29

पत्रांक .....

दिनांक .....

प्रेषक,

कोषागार अधिकारी,

.....

सेवा में,

.....

.....

(आहरण वितरण अधिकारी)

विषय :–..... (नाम) के सामूहिक बीमा की कटौतियों के आधार पर देय धनराशि का आगणन।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... से संबंधित सामूहिक बीमा की कटौतियों के विवरण के आधार पर ब्याज के आगणन के बाद बचत निधि में रुपये .....
(शब्दों में) ..... कर्मचारी/लाभार्थी बीमा निधि में रुपये .....
(शब्दों में) ..... को कुल रुपये..... (शब्दों में).....
..... देय होगा।

कृपया दावा की एक प्रति एवं आगणन शीट आदेश (इस पत्र) की एक प्रति संलग्न करते हुये "कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र" पर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करें। शासनादेश के अनुसार इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से दो दिन में कोषागार में बिल प्रस्तुत करना तथा चेक प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत कर्मचारी/लाभार्थी को चेक उपलब्ध कराना होगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपर्युक्त

कोषागार अधिकारी।

जी० आई० एस० फार्म संख्या–26
(प्रथम पृष्ठ)

(यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सभी स्तम्भों को संबंधित कार्यालय द्वारा भरकर सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है)

(सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी (मृत्यु की दशा को छोड़कर) का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हूं:–

1—अधिकारी/कर्मचारी का नाम .....

2—पिता/पति का नाम .....

3—पद नाम .....

4—राजपत्रित/अराजपत्रित .....

5—वेतनमान .....

6—राजपत्रित के मामलों में–

(क) समूह "क" में आने का दिनांक .....

(ख) समूह "ख" में आने का दिनांक .....

7—(क) विभाग .....

(ख) विभागाध्यक्ष .....

8—जन्म तिथि–

(क) अंकों में .....

(ख) शब्दों में .....

9—(अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक .....

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक .....

10—(अ) रु० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

(ब) रु० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

(स) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

(द) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

11—योजना से निर्गमन की तिथि .....

12—योजना से निर्गमन का कारण .....

13— (अ) लाभग्रही का नाम .....

(ब) पता .....

(स) संबंध .....

8

1—प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त नहीं था।

2—प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना संबंधी कटौती नियमित रूप से एवं निर्धारित दर से अधिकारी/कर्मचारी की अधिवर्षता आयु/सेवा से अन्यथा पृथक होने तक की गयी है।

3—प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी की जन्म तिथि का सत्यापन संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है।

4—प्रमाणित किया जाता है अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषद प्रेषण बार किया जा रहा है और इससे पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5—मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि उपरांकित विवरण सही हैं और उक्त विवरणों के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूं। मैं यह भी आश्वस्त करता हूं कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्रही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

कार्यालयाध्यक्ष/

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम .....

कार्यालय की मोहर .....

संख्या-26 (द्वितीय पृष्ठ)

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे किन्तु दावा प्रेषण से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी इस प्रपत्र पर अपने समुहर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे

क्रम-संख्या	कर्मचारी/लाभार्थी का नाम	माह और वर्ष		अभिदान की संख्या	बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित में	बचत निधि में जमा धनराशि अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
		योजना में प्रवेश का	योजना से निकलने का					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्द्वारा शासन से रु० ..... (रुपया .....) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अनुबन्ध दिनांक.....के अन्तर्गत देय हुई, संपूर्ण दोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/

जाइरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

बी० आई० एस० फार्म संख्या-27 (यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सामूहिक बीमा
(प्रथम पृष्ठ) निदेशालय को प्रेषित करना है)

(केवल राज्य सरकार के सेवारत मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मृत अधिकारी/कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूं–

1—(अ) अधिकारी/कर्मचारी का नाम .....

(ब) पिता/पति का नाम .....

2—(अ) पदनाम .....

(ब) राजपत्रित/अराजपत्रित .....

(स) वेतनमान .....

(द) राजपत्रित के मामलों में–

(अ) समूह "क" में आने का दिनांक .....

(ब) समूह "ख" में आने का दिनांक .....

(त) विभाग .....

(थ) विभागाध्यक्ष .....

3—जन्म तिथि–

(अ) अंकों में .....

(ब) शब्दों में .....

4—(अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक .....

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक .....

5—(अ) रु० 10 प्रतिमाह अभिदाय देने की अवधि ..... से ..... तक

(ब) रु० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

(स) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

(द) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ..... से ..... तक

6—मृत्यु की तिथि .....

7—अधिकारी/कर्मचारी विवाहित था अथवा अविवाहित..... .....

8—यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विवाह किया गया हो तो निम्न विवरण दिया जाए एवं यदि दूसरा विवाह अनुमति से किया गया है तब अनुमति सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।

	नाम	विवाह की तिथि	उनसे उत्पन्न संतानों के नाम	जन्म तिथि
पहली पत्नी				
दूसरी पत्नी				

9—यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके जीवनकाल में सामूहिक बीमा योजना संबंधी नामांकन पत्र भरा गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें भी उपलब्ध करायें :–

क्रम-संख्या	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों * के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/ जन्म तिथि	प्रत्येक को देय अंश	संरक्षक का नाम (अवयस्क होने की दशा में)	नामितों में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु का दिनांक भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6	7

* यदि नामितों में कोई अवयस्क हो और नामांकन प्रपत्र में संरक्षक का नाम अंकित न हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा उसके नियुक्त किये गये संरक्षक के संबंध में जारी संरक्षता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

10—यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामूहिक बीमा योजना संबंधी नामांकन पत्र न भरा गया हो तो अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक को शासनादेश संख्या बीमा–56/दस–86-36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 के प्रस्तर–3 (ग) में दिये गये क्रमानुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट करें :–

क्रम-संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/ जन्म तिथि	विवाहित अथवा अविवाहित/विवाह की तिथि	यदि कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो उसकी मृत्यु तिथि भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6

नोट :– संख्या (1) * 1—शासनादेश संख्या बीमा–56/दस–86-36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे :–

1—पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)

2—पुत्रगण

3—अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियों सहित)

4—भाई (18 वर्ष आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई/बहनों सहित)

5—पिता तथा माता

6—विवाहिता पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित) तथा

7—पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियां।

उपर्युक्त शासनादेश का प्रस्तर 3 (ग) निम्न प्रकार है :-

3 (ग)--यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिये :-

1—अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो

2—अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां

3—वयस्क पुत्र

4—माता व पिता

5—अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें

6—विवाहिता पुत्रियां तथा

7—पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां।

नोट संख्या :-(2) **स्तम्भ-5 में केवल पुत्रियों के मामले में यह स्पष्ट करें कि विवाहित हैं अथवा अविवाहित तथा विवाहित होने की स्थिति में पुत्री के विवाह की तिथि भी स्तम्भ-5 में ही दर्शायें।

11—यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार में प्रस्तर संख्या 10 में दर्शाया गया कोई सदस्य न हो और उसके द्वारा नामांकन भी न भरा गया हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का विवरण देते हुए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि वसूलने का उल्लेख करें।

क्रम संख्या	घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम	आयु/जन्म तिथि	देय अंश
1	2	3	4

12—लाभार्थी का निर्धारण:-

(कृपया जैसी स्थिति हो उसके सम्मुख (√) अंकित करें और जो लागू न हो उसे काट दें)

(अ) सामूहिक बीमा योजना संबंधी भरे गये नामांकन प्रपत्र के अनुसार किया गया———————

*(ब) शासनादेश संख्या-बीमा—56/दस—86-36/1981, दिनांक 10-1-86 के प्रस्तर-3 (ग) में दिये गये व्यवस्थानुसार किया गया है ———————

(स) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अनुसार किया गया है ———————

13—निर्धारित लाभार्थी/लाभार्थियों का नाम———————

14—मृतक से सम्बन्ध ———————

15—अवयस्क की स्थिति में उसके नियुक्त संरक्षक का नाम———————

16—पता———————

1—प्रमाणित किया जाता है कि मृत अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त नहीं था।

2—प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना संबंधी कटौती योजना में प्रवेश की तिथि से निकलने की तिथि तक नियमित रूप से एवं निर्धारित दरों के अनुसार की गयी है।

3—प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र/नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (जैसी स्थिति हो) की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

13

4—प्रमाणित किया जाता है कि मृत अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है और इससे पूर्व अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी को देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5—प्रमाणित किया जाता है कि मृत अधिकारी/कर्मचारी की जन्मतिथि का सत्यापन संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है।

6—मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि ऊपर अंकित विवरण सही है और उक्त विवरणों के आधार पर दावे के भुगतान का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी आश्वस्त करता हूं कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्राही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण एवं वितरण अधिकारी

दिनांक :———————

स्थान :———————

के हस्ताक्षर———————

हस्ताक्षरकर्ता का
नाम———————

हस्ताक्षरकर्ता का
पद नाम———————

कार्यालय की मोहर———————

बी०आई०एस० फार्म संख्या—27 द्वितीय पृष्ठ

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे किन्तु दावा प्रेषण से पूर्व संबंधित अधिकारी इस प्रपत्र पर अपने समुचर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे।

अधिकारी / कर्मचारी का नाम	माह और वर्ष		अंशदान की संख्या	लाभ देय बीमा धनराशि	बचत खाता संख्या	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकलने का					
1	2	3	4	5	6	7	8

हम एतद्द्वारा शासन से रु० ..... (रुपया .....) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिविडेंट (बचत) शीर्षक के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण सन्तोष सहित दावो के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण एवं वितरण
अधिकारी के हस्ताक्षर .....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....
हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम .....
कार्यालय की मोहर .....

बी०एस०डब्लू०पी०—ए०पी० 58 सा० वित्त—(832)—31-7-99—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

1-382-1

संख्या-एस0ई0-684/दस-2002-61एफ/99

प्रेषक,

श्री राम राज सिंह,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विक्रमादित्य चतुर्थतल (छठां लेविल), 22स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक :: 27 मार्च, 2002

विषय:-स्वयं आहरण-वितरण अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति पद से सेवा निवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावे के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का विकेन्द्रीकरण शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99, दिनांक 16.7.99 द्वारा किये जाने के फलस्वरूप कतिपय प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में कृपया अपने पत्र संख्या-सामू0बीमा-लेखा संकलन-निर्देशन-21/4/2001, दिनांक 2.11.2001 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय सामूहिक बीमा योजना के दावों के निस्तारण की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उ0प्र0 द्वारा संचालित सामूहिक बीमा के विकल्प दिये है तथा प्रशासनिक सिविल सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी के दावे उ0प्र0शासन के इरला चेक, वेतन पर्ची प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, सामू0 बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

2- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रादेशिक सिविल सेवा से/अन्य प्रादेशिक सेवा वर्ग से पदोन्नत होकर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाते है और उनके द्वारा केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प दिया गया है, कि दावे उनके प्रदेश, सेवा से संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।

3- अखिल भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित समूह बीमा योजना

...2

के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हो जाते है, के दावे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

4- अखिल भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक वन सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय वन सेवा के सदस्य हो जाते है, के दावे प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

5- वित्त एवं लेखा सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी एवं न्यायिक सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी के दावे निदेशक, कोषागार (शिविर कार्यालय, इलाहाबाद) के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

6- राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तर-1 से 5 में उल्लिखित संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक हो जाते है, के दावे प्रस्तर-1 से 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार तथा उससे भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे उनके मूल विभागाध्यक्षों के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

7- उपरोक्त श्रेणियों से भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे पूर्ववत शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16.7.1999 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किये जाते रहेंगे।

8- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16.7.1999 के साथ संलग्न बी0एम0-12 एवं बी0एम0-13 के स्थान पर योजना संबंधी मासिक प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण संलग्न प्रारूप पर निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम राज सिंह)
सचिव।

....3

(3)

संख्या-एस0ई0-684(1)/दस-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- 1- श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- रेजीडेन्ट कमिश्नर/दि एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ कि समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारियों/कोषाधिकारियों को तद्नुसार सूचित करें।
7- रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
8- निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय।
10- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 को 5 प्रतियां कि महालेखाकार-सम्प्रेक्षय को भी उपलब्ध करायी जा सके। (सम्प्रेक्षी)
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0, 6वां तल, योजना भवन, लखनऊ।
13- संयुक्त निदेशक, कोषागार (सिविल कार्यालय), इलाहाबाद।
14- निदेशक, विभागीय लेखा, उ0प्र0, लखनऊ।
15- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

क्र०सं०	कोषागारों के नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को किया गया भुगतान			पुलिस विभाग के कर्मचारियों को किया गया भुगतान			महायोग
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	5+8

वर्ष ---------- माह ----------

पृपत्र संख्या-5 (संशोधित)

लेखा शीर्षक-8011-बीमा तथा पेंशन निधि-107-राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-01-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बीमा निधि-0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0102-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचत निधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि 0202-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि

क्र0सं0	कोषागार का नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			महायोग 5+8 का योग।
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)	9

1-G88-

जी0आई0एस0पत्र सं0-15 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली अभिदानों की कटौतियों का ब्यौरा

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार करके बिल के साथ संलग्न किया जायेगा।

1. लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत कटौतियों को जमा किया जाना है:-
"8011-बीमा तथा पेंशन निधियाँ-107-राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-01-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बीमा निधि-0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0102-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचतनिधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0202-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि"

2. कोषागार का नाम .....

3. माह ..... के वेतन बिल से, जिसका भुगतान ..... के प्रथम कार्य दिवस को किया जायेगा, की गयी अभिदानों की कटौती का विवरण निम्नवत् है:---

क्रमांक	विभाग/अधिष्ठान का नाम	योजना के अन्तर्गत अभिदाताओं की कुल संख्या				योजना के अभिदान की कटौती की कुल धनराशि			अभ्युक्ति
		पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य विभागों के		पुलिस विभाग के					
		समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" कर्मचारी के अधिकारी	समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" कर्मचारी के अधिकारी	बीमा निधि	बचतनिधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12

× × ×

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पकालीन रिक्तियों में और भोजनावकाश के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य समस्त नियमित अधिष्ठान में नियुक्त राज्य सरकार के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों से सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित दर से कटौती कर ली गयी है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के समुचित
पदनाम सहित हस्ताक्षर

1329-1

1069/SI-A-0
26/10/02

संख्या: एस0इ0-1904/दस-2002-ई0एस016/2001

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2002

विषय:-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत "बचत निधि" में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में संशोधन ।

=======

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या: बीमा-1027/दस-90-87/83, दिनांक 05-07-1990 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में व्यवस्था है कि "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक अभिदानों में बचत निधि में जमा धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जायगा । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि चूँकि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7(1)/संस्था-V/2001 दिनांक 21-01-2002 द्वारा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना हेतु "बचत निधि" पर दिनांक 01-01-2002 से ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष संयोजित त्रैमासिक कर दी गयी है अत: शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01-03-2002 से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु उक्त निधि में जमा धनराशि पर ब्याज 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष संयोजित त्रैमासिक की दर से दिया जायगा ।

2- उक्त संशोधन इस प्रतिबंध के अधीन है कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व भुगतानित प्रकरण पुनर्समंजित नहीं किये जायेंगे ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना का क्रियान्वयन " केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना" के अनुरूप किया जाता है, अत: यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना" हेतु बचत निधियों की ब्याज दरों में जो भी परिवर्तन किया जायेगा, तदनुसार "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अंतर्गत "बचत निधि" में जमा धनराशि पर ब्याज की दरें भी स्वत: संशोधित मानी जायेंगी ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
सचिव।

---2/-

संख्या: एस0ई0-1904(1)/दस-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
3- श्री राज्यपाल सचिवालय ।
4- कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेंस, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बीमा शाखा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली ।
5- गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
6- भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
7- भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) लोक नायक भवन (8वां तल) नई दिल्ली ।
8- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
9- निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उ0प्र0, 10 वीं मंजिल ब्लाक जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11- निदेशक, उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ ।
12- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
13- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ ।
14- निदेशक, एन0आई0सी0लखनऊ ।

आज्ञा से,

(एम0एस0वी0 सिद्दीकी)
अनुसचिव।

01-10-2002

संख्या-7429/दो-1-2002 (25)/03

सेवा में,

श्री राजनाथ त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ अधिकारीगण,
(जिनके सूची संलग्नक है)

निदेशक, अनुभाग-1।

विषय- बीमे के अंशदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपकी अधीनस्थ सेवा में पदोन्नति 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हुई है। अतः आप उक्त कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के सदस्य हैं।

2- अतएव आप अपने बीमे के अंशदान तैसवीफिक "2011-बीमा एवं पेंशन निदेशालय" में जमा करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजनाथ त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-7429(1)/दो-1-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री हीरालाल वर्मा, निदेशक एवं पदेन अपर सचिव, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय एवं केन्द्रीय समूह बीमा योजना के उनके अधीनस्थ कार्यालय पत्रांक 7429/अधि0सु0एवम्/4-1572/31482/2002, दिनांक 13-09-2002 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजनाथ त्रिपाठी)
उप सचिव।

हरिश्चन्द्र आर्य
अपर सचिव
वित्त (बीमा एवं पेंशन) निदेशालय
उत्तर प्रदेश शासन

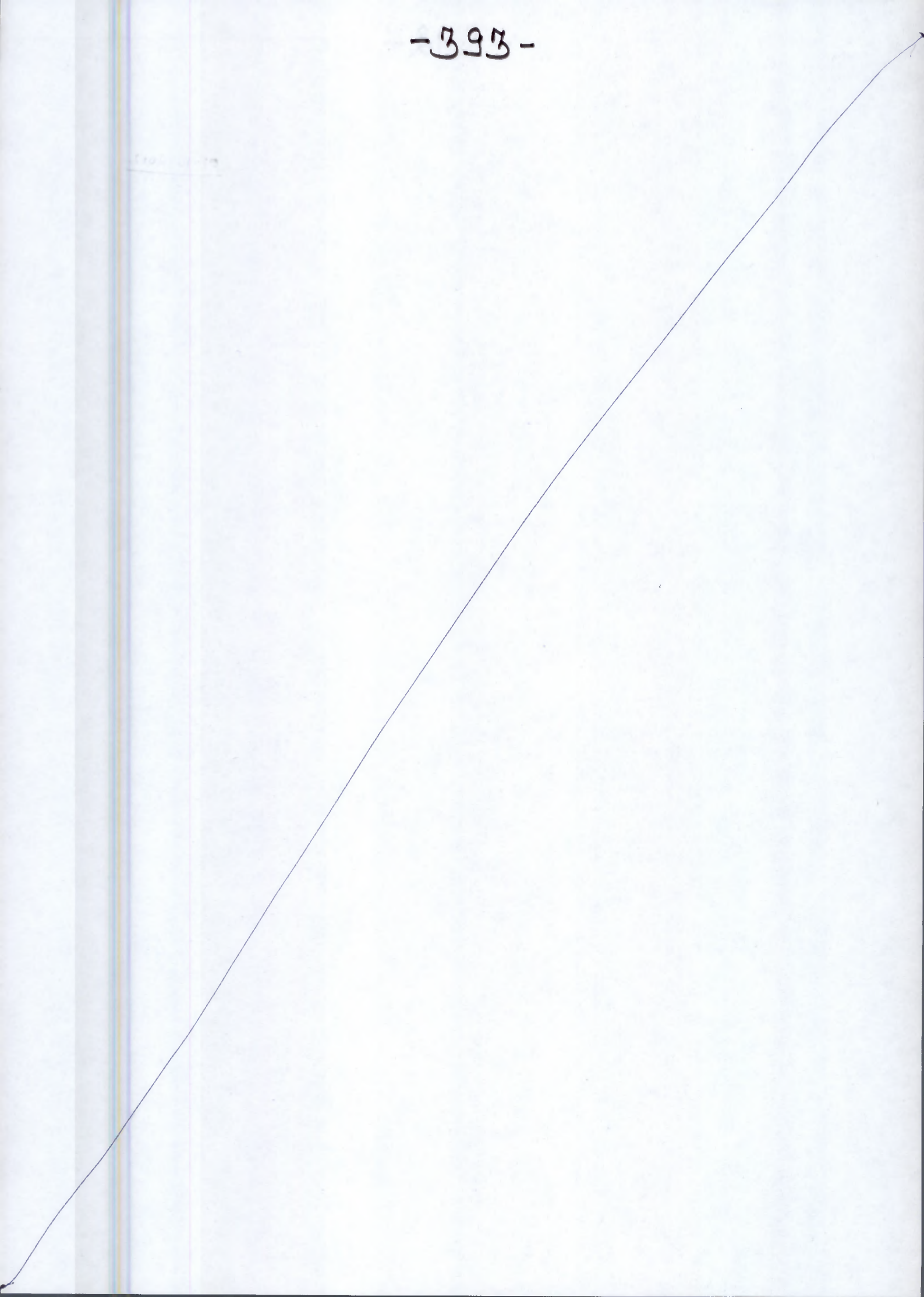

संख्या:एस0ई0-2474/दस-2003-बीमा-19/2002

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त(सेवायें)अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2003

विषय: "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अंतर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-बीमा-959/दस-93-189(ए)/99, दिनांक 25 जून, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(पद मान दण्ड निर्धारण)अनुभाग के शासनादेश संख्या: प0मा0नि0-356/दस-22(ए)मा/97, दिनांक 23-12-1997 द्वारा दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25-06-1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक ।	120	36	84	1,20,000
2-	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13,500 तक	60	18	42	60,000
3-	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30,000

----------2/--

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायगा :-

(क) उक्त आदेश दिनांक 01-09-2003 से प्रभावी माने जायेंगे ।

(ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01-01-1996 के पूर्व रू0 1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200 था तथा दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500-125-7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30/- की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000/= होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01-09-2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान की दर रू0 60/- तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 60,000/= होगी ।

(ग) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा ।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा की जमा के अंतर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है ।

(ङ) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं अवसर योजना के संबंध में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
सचिव ।

संख्या:एस0ई0-2474(1)/दस-2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री राज्यपाल सचिवालय ।
2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4- निदेशक, कोषागार व लेखा, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या:सा0बी0नि-लेखा संकलन अनु0-1/निदेशन-70/110/2002, दिनांक 04-05-2002 के संदर्भ में ।
6- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- पुधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0/इरला पेक/ भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(एस0एन0 सिद्दीकी)
अनुसचिव ।

संख्या:एस0ई0-188/दस-2004-ई0एम0-16/2001

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22-स्टेशन रोड,
लखनऊ ।

दिनांक : 5 फरवरी 2004

विषय (सेवायें) अनु0-1

विषय: उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-सामू0बीमा-वि0यो0 लेखा संक0/48/2001/92651/2004, दिनांक 27-1-2004 का संदर्भ लें, जिसमें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0-7(2)/ई बी/2003, दिनांक 08 जनवरी, 2004 द्वारा 'केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना' हेतु 'बचत निधि' पर दिनांक 01-01-2004 से ब्याज की दर 8 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) कर दिये जाने के फलस्वरूप 'उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना' के अंतर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर को भारत सरकार के अनुरूप संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शासनादेश संख्या एस0ई0-1994/दस-2002-ईएम-16/2001, दिनांक 21 अगस्त, 2002 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार 'उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना के अंतर्गत 'बचत निधि' में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 8 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) किया जाना है ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-एस0ई0-1904/दस-2002-ईएम-16/2001 दिनांक 21-8-2002 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

4- कृपया तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(एस0 आर0 मीना)
सचिव ।

---------2/-

संख्या एस0ई0-188(1)/दस-2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- निदेशक, कोषागार व लेखा,उ0प्र0, 10 वीं मंजिल ,जवाहर भवन,लखनऊ ।
3- कन्ट्रोलर आफ इम्पोरेंस,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(एस0एस0पी सिद्दीकी)
अनुसचिव ।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–4

संख्या 41/वि0अनु0–4/2004
देहरादून, 06 फरवरी, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सरकारी सेवकों हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 1980" के अनुक्रम में "उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003" जिसमें सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु "राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के सृजन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। तदनुसार प्रश्नगत निधि की स्थापना जो पूर्व से ही की जा चुकी है, और इस निधि के संचालनार्थ बनाई गई नियमावली की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

संख्या–41(1)/वि0अनु0–4/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि (संलग्न की प्रति सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3–सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4–विधान सभा उत्तरांचल तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तरांचल।
5–निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इन्टरनेट पर डालने हेतु।

आज्ञा से,
टी0 एन0 सिंह,
अपर सचिव।

उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003

निधि का नाम–

यह निधि "उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" कहलायेगी।

निधि के प्रभावी होने की तिथि–

यह निधि राज्य गठन की तिथि से प्रभावी होगी।

निधि का प्रशासन–

उक्त निधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित होगी।

निधि की राशि–

इस निधि में समस्त सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाला मासिक अभिदान, शासन द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान तथा जमा धनराशि पर शासन द्वारा देय ब्याज की धनराशि सम्मिलित रहेगी।

निधि का उद्देश्य–

निधि का सृजन सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सेवानिवृत्त होने और सेवा से अन्यथा पृथक होने की दशा में सरकारी सेवक द्वारा दिये गये अभिदान में से बचत खाते में जमा धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करना है।

संख्या-213/वि0अनु0-4/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

(1)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरॉचल।
(2)समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरॉचल।

वित्त अनुभाग-4 देहरादूनः दिनॉकः 9 जुलाई, 2004

विषयः-राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रकिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संख्या बीमा-768/दस-99/ए/99 दिनॉक 16 जुलाई, 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश की गयी कटौती की धनराशि का भुगतान भी अन्य दावों की भॉति सम्बन्धित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट ऑफिस/इरला चैक के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त के दृष्टिगत जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या-24 में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषण में निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर सम्बन्धित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट ऑफिस/इरला चैक ऑफिस को सम्बोधित किया जायेगा। सम्बन्धित प्रारूप संख्या-24 संलग्न है।

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रकिया के विकेन्द्रीकरण की अन्य समस्त प्रकिया शासनादेश संख्या बीमा-768/दस-99/61/ए/99 दिनॉक 16 जुलाई, 1999 के अनुसार ही रहेगी तथा सामूहिक बीमा निदेशालय का सारा कार्य लेखा एवं हकदारी निदेशालय द्वारा पूर्ववत सम्पादित किया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या-213(1)/वि0अनु0-4/2004, तद्दिनॉकित :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरॉचल शासन।
2- विधानसभा/सचिवालय, उत्तरॉचल, देहरादून।
3- श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तरॉचल, देहरादून।
4- रेजीडेन्ट कमिश्नर /पे एण्ड एकाउन्ट ऑफिस, नई दिल्ली।

शेष पृष्ठ -2/-

5- इरला चैक अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरॉचल, देहरादून।
7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरॉचल, देहरादून।
8- महालेखाकार, उत्तरॉचल।
9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10- समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरॉचल शासन।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या–24 (प्रथम पृष्ठ)

(सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत त्रुटिवश काटी गयी/जमा धनराशि की वापसी हेतु यह प्रपत्र तीन प्रतियों में कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चैक को प्रेषित किया जाता है)

1– अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद नाम .....

2– नियुक्ति के स्थान का पता .....

3– त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि की अवधि .....

4– त्रुटिपूर्ण कटौती की गयी अभिदान की दर

	अभिदानों की संख्या	कुल अभिदानों की धनराशि
(क) रू0 5/–प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		
(ख) रू0 10/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		
(ग) रू0 15/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		
(घ) रू0 20/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		
(च) रू0 40/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		
(छ) रू0 80/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक		

1 मार्च 1990 से संशोधित दर

समूह "क" 120/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

समूह "ख" 60/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

समूह "ग" 30/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

समूह "घ" 30/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

1 जुलाई 1993 से संशोधित दर

वेतनमान का अधिकतम रू0 4001 या इससे अधिक
120/– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

वेतनमान का अधिकतम रू0 2300/–से रू0 4000 तक
60 /– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

रू0 2299 तक
30 /– प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

1-1-96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर

1 जूलाई 1993 से संशोधित दर

वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक
120/- प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि.....से.....तक
वेतनमान का अधिकतम रू0 7000/-से र0 13500 तक
60 /- प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि.....से.....तक
वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक
30 /- प्रतिमाह अभिदान देने की
अवधि.....से.....तक

5-त्रुटिपूर्ण हुयी कटौती का कारण .....

6-त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि

(क) "बीमा निधि" के अन्तर्गत रू0-
(ख) "बचत निधि" के अन्तर्गत रू0-
(ग) कुल काटी गयी धनराशि रू0-

7-त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि जिस .....
लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा हुयी .....

उसका पूर्ण उल्लेख .....

8-मृत्यु की स्थिति में लाभग्राही का

(अ) नाम .....

(ब) पता .....

(स) संबंध .....

9-प्रस्ताव भेजने में विलम्ब का कारण .....

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है इसके आधार पर कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चैक से त्रुटिपूर्ण काटी गयी धनराशि के भुगतान का आग्रह किया जाय । उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चेक दिया जाये । हम यह भी पुष्टि करते है कि उक्त दावे का प्रपत्र इसके पूर्व कभी नहीं प्रेषित किया गया है और न ही कर्मचारी/लाभग्राही को उक्त अवधि का भुगतान ही बीमा निदेशालय अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा विभाग द्वारा पूर्ण निर्धारित प्रकियानुसार किया गया है ।

दिनांक.....
स्थान.....

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण
अधिकारी के समुहर हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष के कार्यालय के प्रयोगार्थ

संख्या ..... दिनांक.....

सेवा में,

कोषागार अधिकारी / लेखाधिकारी

कोषागार / पे एण्ड एकाउन्ट आफिस / इरला चैक

.....

महोदय,

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी के उपरोक्त विवरण से मै संतुष्ट हूँ । कृपया उपरोक्त विवरण के आधार पर त्रुटिपूर्ण से संबंधित धनराशि रू0.....का चेक मुझे भेजने का कष्ट करें । भविष्य में इस प्रकार की कटौती न किये जाने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित कर दिया गया है ।

चेक प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी / लाभार्थी को उसका भुगतान करके प्रपत्र-4 पर 01 रूपये के रसीदी टिकट पर भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त करके आपको प्रेषित कर दी जायेगी ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर

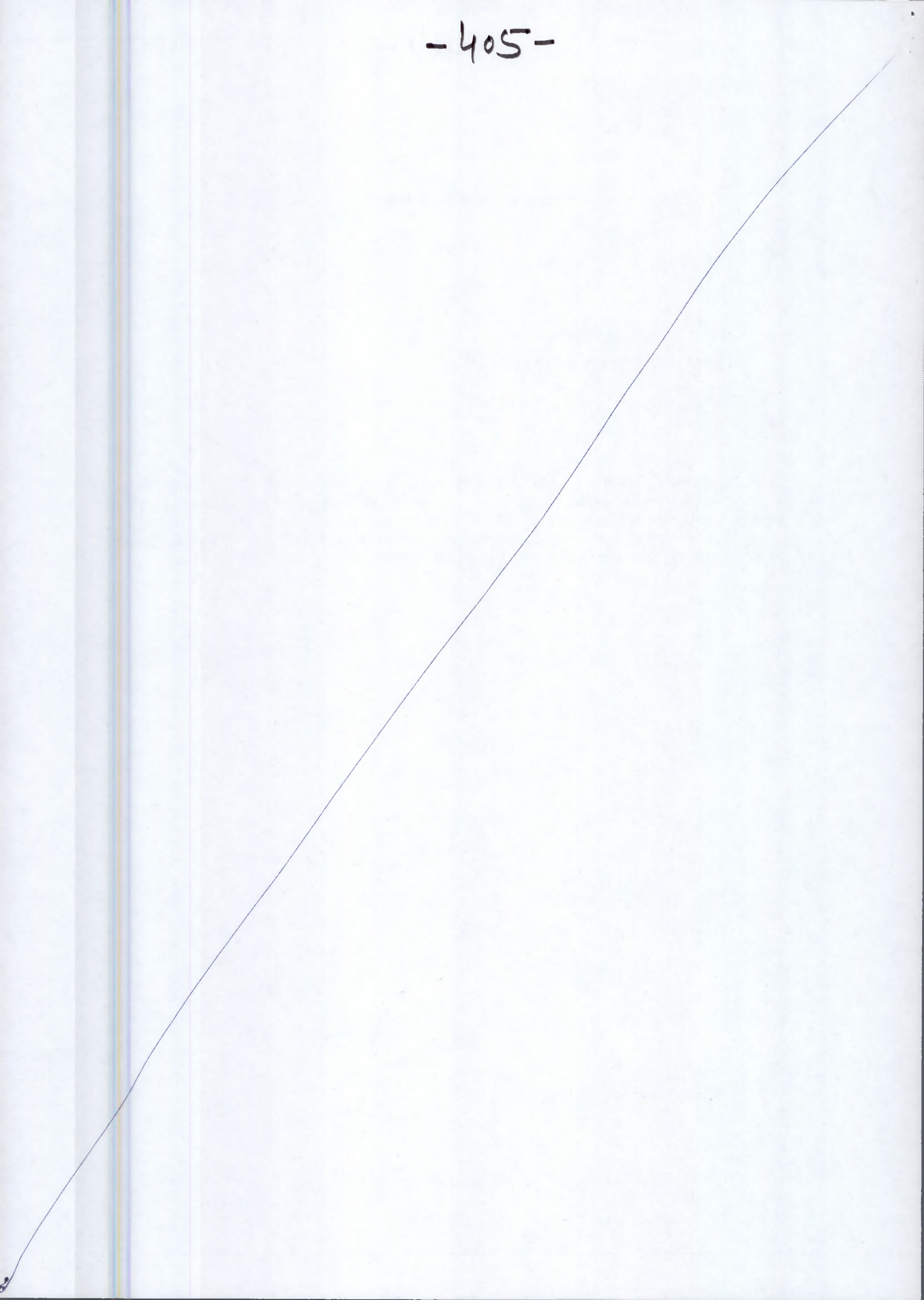

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

16/5/05

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल,
23- लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

05 मई

वित्त अनुभाग-1 देहरादून,दिनांक: अप्रैल, 2005

विषयः- उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 6872/नि0ले0ह0/38/सामू0 बीमा/2004 -05, दिनांक 31.01.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुरूप दिनांक 01.01.2004 से 8 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) किया जाता है।

3- कृपया तदानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या 413 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तददिनांक

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल।
3. सचिव, विधानसभा, सचिवालय।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
6. कन्ट्रोलर ऑफ इश्योरेंस, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)।
7. बीमा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
8. गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
10. भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।
11. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
12. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर0 सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव, वित्त

Berry/14.

[illegible]

[illegible] दिनांक 03-8-2005

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि अखिल भारतीय सेवा(मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर लाभ) नियमावली-1991 के नियम संख्या-3(3)के अन्तर्गत राज्य सरकार(कार्यकारी शाखा) के [illegible] को आई0ए0एस0 में नियुक्ति होने पर या तो केन्द्रीय सरकार(सामूहिक बीमा) योजना-1980 की सदस्यता ग्रहण करनी होती है अथवा यदि वे पहले से ही राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के सदस्य हैं तो उन्हें राज्य सामूहिक (सामूहिक बीमा योजना) या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी(सामूहिक बीमा) योजना-1980 में से एक योजना को चुनने का विकल्प देना होता है यदि अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी(सामूहिक बीमा)योजना-1980 की सदस्यता ग्रहण कर ली है और तदनुसार उनके द्वारा राज्य कर्मचारी(सामूहिक बीमा)योजना में अंशदान देना बन्द कर दिया जायेगा ।

2- [illegible] सेवा से आई0ए0एस0 में नियुक्त अधोहस्ताक्षरी के राज्य सरकार के पत्र सं0-487/[illegible]-1-2005-12(6)/2005 दिनांक 9 मई, 2005 में लगाई विकल्प दिनांक 20-6-2005 तक नहीं गये थे। उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि उक्त अवधि तक विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि अधिकारी केन्द्रीय कर्मचारी(समूह बीमा) योजना-1980(निरसन योजना)के सदस्य बने रहने के इच्छुक हैं । अतएव अखिल भारतीय सेवा(सामूहिक बीमा)नियमावली-1991) के नियम संख्या-3 तथा केन्द्रीय सरकारी [illegible] सामूहिक बीमा) योजना-1980 के नियम संख्या-4.2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उनके [illegible] दी गई तिथि से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा) योजना-1980(निरसन योजना) के सदस्य होने अतः नियम-3(1) अन्तर्गत तिथि से राज्य कर्मचारी(समूह बीमा)1976 में अंशदान देना बन्द कर दें ।

अधिकारी का नाम	[illegible]	आई0ए0एस0 में नियुक्ति की तिथि	योजना में सदस्यता की तिथि
1	2	3	4
[illegible]	[illegible]	24-2-2005	1-1-2005
[illegible]	[illegible]	24-2-2005	1-1-2005

[illegible] मोहन भण्डारी आई0ए0एस0	[illegible]	24-2-2005	1-1-2005
गिरिजा शंकर जोशी आई0ए0एस0	[illegible]	24-2-2005	1-1-2005
[illegible] शर्मा आई0ए0एस0	[illegible]	24-2-2005	1-1-2005
विनोद कुमार गोयल आई0ए0एस0	अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, [illegible]	24-2-2005	1-1-2005
श्री अजय सिंह चविंयाल आई0ए0एस0	जिलाधिकारी, चमोली	24-2-2005	1-1-2005
डा0दिलवाग सिंह आई0ए0एस0	[illegible] मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून	24-2-2005	1-1-2005

भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि से केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना की सदस्यता रु0 120/- प्रतिमाह की दर से अंशदान प्रारम्भ होने तक की अवधि में उपर्युक्त समस्त अधिकारियों के वेतन से भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप सं0-7(3)/संस्था-5/86,दिनांक 31-1-89 में दिये गये निर्देशानुसार रु0 36/- प्रतिमाह की दर से बीमा रक्षण की कटौती सुनिश्चित की जाये।

4. राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना में जमा धनराशि की वापसी शासन द्वारा की जायेगी।

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव

संख्या- 391 (1)/वित्त-1-2005-1(45)/2005 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- इसके पेक अनुभाग समस्त उक्त अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना-1980 की सदस्यता की तिथि अंकित करने तथा सचिवालय में तैनात अधिकारियों की सदस्यता की तिथि से इनके वेतन से प्रतिमाह केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी अंशदान की कटौती सुनिश्चित करने तथा लेखाशीर्ष "8658-रोकड़ खाता-00-120-एम0आई0एस0 अधिकारी समूह बीमा योजना के सम्बन्ध में अंशदान की केन्द्रीय सरकार की अदायगी में जमा कराये जाने का उनका उत्तरदायित्व होगा।

2— समाधिकारी ,जल संस्थान,उत्तरकाशी ,गोपेश्वर,चमोली एवं देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वेतन आहरण से सम्बन्धित प्रपत्र-2 के अनुसार केन्द्रीय समूह बीमा योजना के मासिक अभिदान की धनराशि(यदि कोई अवशेष हो सहित) कटौती कर लेखाशीर्षक "8658—अदेन्स खाता—00—123—ए0आई0एस0 अधिकारी समूह बीमा योजना के सम्बन्ध में अंशदान की केन्द्रीय सरकार की अदायगी"में जमा किया जाय । इस अभिदान इन्श्योरेन्स कवर की कटौती सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी सम्बन्धित कोषाधिकारियों का होगा ।

3— सम्बन्धित अधिकारीगणों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया तदनुसार केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी अभिदान की अदायगी सुनिश्चित करने का कष्ट करें, तथा राज्य सामूहिक बीमा योजना में जमा धनराशि की वापसी हेतु शासन को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें । बाह्य सेवा में तैनात अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि में वेतन से रू0 120/— प्रतिमाह की दर से अभिदान की कटौती निरंतर की जाती रहेगी ।बाह्य सेवा पर नियुक्त अधिकारी /उनके बाह्य सेवायोजक कार्यालय का यह दायित्व होगा कि बीमा अभिदान की धनराशि रू0 120/— प्रतिमाह किस्त की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल,देहरादून के पक्ष में निर्गत हाना को अनिवार्यरूप से निदेशालय मे उपलब्ध करायेंगे ।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि कृपया संलग्न नामांकन प्रपत्र 7 एवं 8 (जो भी उन पर पर लागू हो) की तीन प्रतियों में अपने हस्ताक्षर सहित ,जिस पर गजट के हस्ताक्षर भी लाग पेंसा सहित अंकित हो उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4— निदेशक,लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड,देहरादून ।
5— सचिव,भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
6— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम),उत्तरांचल,देहरादून ।
7— उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
8— सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

आज्ञा से

(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या 16 /XXVII(7) सा0बीमा/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 7 देहरादून, दिनांक : 24 अक्टूबर, 2005

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– बीमा–9 59/दस–93–189 (ए)/89, दिनांक 25 जून, 1993 के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या– प0मा0नि0–356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23.12.1997 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.06.1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	120	36	84	120000
2	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13500 तक	60	18	42	60000
3	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30000

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरें एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा :–

(ब) उक्त आदेश दिनांक 01.09.2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

(स) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 के पूर्व रू0 1350-2200 था तथा दिनांक 01.01.01996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500--7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30/- की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000/- होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.09.2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान के दर रू0 60/- तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 60,000/- होगी।

(ग) पूर्व में निस्मारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नही किया जायेगा।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा इसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहो के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(ड) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 16 (1)/XXVII(7) सा0बीमा/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्री राज्यपाल सचिवालय।
3. विधान सभा सचिवालय।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निर्देशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून को उनके पत्र संख्या--9390/वि0ले0ह0/मा0 बी0--38/2003, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून एकक, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्या-एस0ई0-1586/दस-07-बीमा-22/04 टी0सी0-1

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2007

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत दोहरे भुगतानों पर नियंत्रण।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अतर्गत भुगतान प्रकिया का विकेन्द्रीकरण शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99-81ए/99, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 से किया जा चुका है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (5) को शासनादेश संख्या-बीमा-1084/दस-1999, दिनांक 16-12-1999 द्वारा संशोधित करते हुये यह व्यवस्था लागू की गई कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-26 या 27 (जैसी स्थिति हो) कोषागार में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के तीन कार्य दिवसों के अन्दर दावे का परीक्षण कोषाधिकारी द्वारा कोषागार में आहरण वितरण अधिकारीवार बनाये गये लेजर (जी0आई0एस0 प्रपत्र-28) पर प्रविष्टि करके किया जाय। आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से एक ही कर्मचारी के सामूहिक बीमा दावा प्रपत्र-26 एवं 27 (यथास्थिति) कोषागार कार्यालयों में एक से अधिक बार तैयार कर प्रस्तुत कर देने की स्थिति में दोहरे भुगतान की सम्भावना प्रबल हो जाती है। किसी भी सरकारी सेवक का भुगतान स्वीकृत होने से पूर्व, यह सुनिश्चित करना कि अमुक प्रकरण का निस्तारण एक ही बार हो रहा है, यह कोषागार स्तर पर आहरण वितरण अधिकारीवार बनाये जाने वाले लेजर (जी0आई0एस0 प्रपत्र-28) में प्रविष्टि करके किया जा सकता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक के दावे की प्रविष्टि संलग्न जी0आई0एस0 प्रपत्र-28 में अंकित करके ही निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इसका रख-रखाव आहरण वितरण अधिकारीवार कोषागार स्तर पर सही/समुचित ढंग से किया जाय ताकि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यदि किन्हीं कारणों से किसी कर्मचारी का दावा दोबारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कोषागार स्तर पर परीक्षण के समय ही जांच कर आहरण वितरण अधिकारी को वापस लौटा दिया जाय और दोबारा भुगतान स्वीकृत न होने पाये।

3- किसी भी सरकारी सेवक का दावा एक ही बार प्रेषित करने का

-2-

उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होता है। कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से दोबारा दावा अग्रसारित न होने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सामूहिक बीमा के उत्पन्न दावों के प्रेषण एवं उनके निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त भुगतान संबंधी चेकों आदि का विवरण एक पंजिका में वर्षवार रखा जाय। इस हेतु जी0आई0एस0 प्रपत्र सं0–30 का प्रारूप संलग्न कर इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि तात्कालिक प्रभाव से सभी सामूहिक योजना संबंधी दावों का विवरण इस पंजिका में अंकित कर ही निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस पंजिका को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्यालय स्तर पर अद्यावधिक रखते हुए निदेशक, सामूहिक बीमा द्वारा योजना संबंधी किये जाने वाले निरीक्षण कार्यो के दौरान निरीक्षण दल को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– दोहरे भुगतान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से दिनांक 01–04–2008 से उत्पन्न होने वाले सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के निस्तारण हेतु समूह 'क' 'ख' एंव 'ग' वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दावा प्रपत्र–26 या 27 (जैसी स्थिति हो) पर उनका सामान्य भविष्य निर्वाह निधि संख्या आई.डी. नम्बर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। इसी प्रकार समूह 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के मामलों में विभाग का कोड तथा कर्मचारी का क्रमांक उसके आई.डी. नम्बर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की संख्या तथा संबंधित विवरण उसके कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित करके अग्रसारित किये जावेगें।

5– सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के त्वरित निस्तारण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–बीमा–2337/दस–83–2–1980, दिनांक 28–11–1983 के प्रस्तर–3, शासनादेश संख्या–बीमा–2289/दस–87–59/1987, दिनांक 11–09–1987 के प्रस्तर–2 तथा शासनादेश संख्या–बीमा–768/दस–99/61ए/99, दिनांक 16–07–99 के प्रस्तर–2 (5) में निर्धारित की गई समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– अतः उपरोक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

संलग्नक–उपर्युक्त।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

——3/–

संख्या–एस0ई0–1566(1)/दस–2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– रेजीडेन्ट कमिश्नर/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।
5– इरका चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।
8– निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एंव शोध संस्थान।
9– निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
10– प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को 5 प्रति कि महालेखाकार लेखा तथा महालेखाकार–समप्रेक्षा को भी उपलब्ध कराई जा सकें।
11– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उत्तर प्रदेश 6वां तल, योजना भवन, लखनऊ।
13– अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(भगवान दास)
उप सचिव।

जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–28

राज्य सामूहिक बीमा दावा पंजी
(कोषागार.....)

आहरण वितरण अधिकारी.....(पदनाम) विभाग.....

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	लाभार्थी का नाम	कर्मचारी के समूह तथा सेवानिवृत्ति / पृथक / मृत्यु की तिथि	योजना में कटौती कब से कब तक	दावा प्राप्त होने की तिथि तथा कुल कटौती की धनराशि	आगणन / आपत्ति की तिथि / विवरण	बाउचर संख्या	बचत निधि रूपये	बीमा निधि रूपये	कुल देय धनराशि रूपये	चेक संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–30

विभाग :————————————

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम————————————

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी उत्पन्न होने वाले दावों को अग्रसारित करने एवं उससे संबंधित प्राप्त चेकों के विवरण की पंजिका

क्र0 सं0	कर्मचारी / अधिकारी का नाम तथा पिता / पति का नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति / सेवा से अन्यथा पृथक / मृत्यु की तिथि	लाभग्राही का नाम व कर्मचारी से सम्बन्ध	दावा प्रपत्र कोषागार को अग्रसारित करने का पत्र सं0 व दिनांक	कार्यालया –ध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक	कोषागार से आगणन शीट प्राप्त होने की तिथि	कोषागार में देयक प्रस्तुत करने का दिनांक	कोषागार चेक संख्या व दिनांक	चेक की धनराशि (रूपयों में)	कर्मचारी / लाभग्राही को चेक प्राप्त कराने का दिनांक	कार्याल –याध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

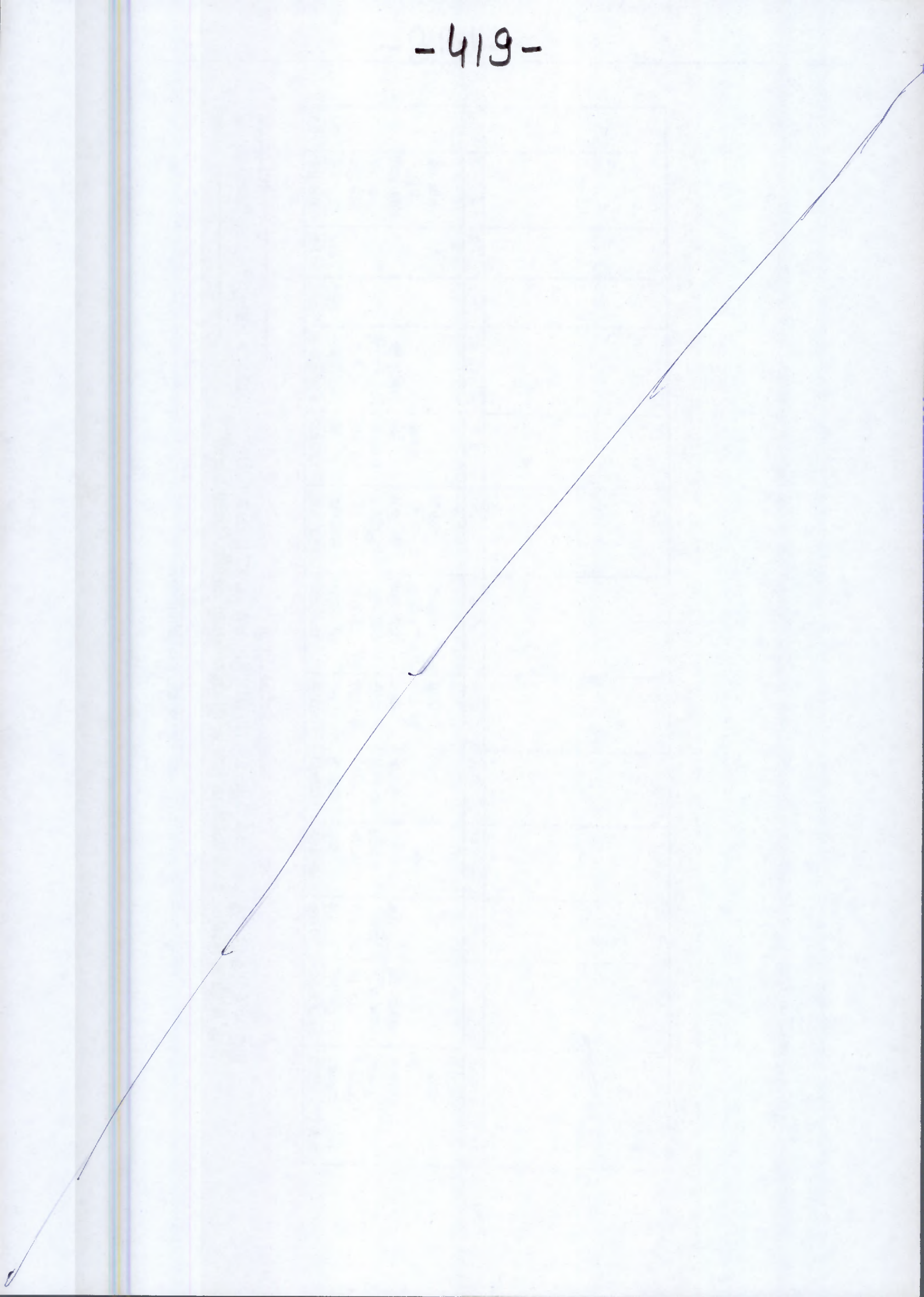

संख्या–एस0ई0–2314./दस–2008–बीमा–19/2002

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

विषयः– **वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एंव आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियो को कतिपय संशोधनो के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–2008–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एंव आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एंव बचत निधि की पुनरीक्षित दरो को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3	रू0 2800 तक	100	30	70	1,00,000

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानो की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एंव बीमा

2/------

आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धो के आधीन लागू किया जायेगाः-

(क) उक्त आदेश दिनांक 01-12-2008 से प्रभावी माने जायेगें।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नही किया जायेगा।

(ग) वेतनमानो की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नही है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-एस0ई0-2314(1)/दस-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री राज्यपाल, सचिवालय।
2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- निदेशक कोषागार व लेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।
6- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(भगवान दास)
उप सचिव।

संख्याः 30 / xxvii(7) / 2009

प्रेषक,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव,वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
23–लक्ष्मी रोड,डालनवाला।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 6 फरवरी,2009

विषयः–केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना–1980,दिनांक 01–01–2009 से 31–12–2009 तक की अवधि की बचत निधियों के लिये लाभों की सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–11024 / 08 / 2009–AIS–II दिनांक 16 जनवरी,2009 के साथ संलग्न भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–7(2) / EV / 2008 दिनांक 22 दिसम्बर,2008 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के लिये दिनांक 1–1–2009 से 31–12–2009 तक बचत निधि के आगणन की तालिका विषयक कार्यालय–ज्ञाप सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 37/xxvii(7)सा0बी0या0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:13फरवरी,2009

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

कमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रू02800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400	200	60	140	2,00,000
3	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक

अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क)उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च,2009 का वेतन देय 1 अप्रैल,2009 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख)पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(ग)वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(घ)उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर,2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 37 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

No. 11021/1/81-AIS (II)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

(KARMIK AUR PRASHASNIK SUDHAR VIBHAG)

New Delhi, the 10th November, 1981.

NOTIFICATION

G. S. R. In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules, namely :—

1. *Short title and commencement*—(1) These Rules may be called the All India Services (Group Insurance) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official *Gazette*.

2. *Definitions*—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980" means the Group Insurance Scheme detailed in the Annexure to the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O. M. No. F. 15 (2) /78-WIP, dated the 31st October, 1980, and as set out in the Schedule.

(*a*) "Family" shall have the meaning assigned to it in the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955 ;

(*c*) "Member of the Scheme" means a member of the Service enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 ;

(*d*) "Member of the Service" means a member of an All India Service as defined in section 2 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) ;

(*e*) "Schedule" means the Schedule appended to these rules ;

(*f*) "State Government" means—

(i) in relation to a member of the Service borne on a State Cadre, the Government of that State ;

(ii) in relation to a member of the Service borne on a Joint Cadre, the Government of the constituent State ; and

(iii) in relation to a member of the Service borne on the Cadre of Union Territories ; the Central Government ;

(*g*) "State Group Insurance Scheme" means an insurance scheme, by whatever name it may be called, introduced by a State Government in the case of State Government servants.

3. *Application of Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980*—(1) Subject to the provisions of these rules, the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, as applicable to the officers of Central Civil Services Group 'A' shall *mutatis mutandis* apply to the members of the Service :

Provided that a member of the Service who was appointed to the Service on or before the 1st November, 1980, shall exercise an option in such form and within such time as may be specified by the Central Government in this behalf expressing his willingness or otherwise to subscribe to the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 and such option once exercised shall be final and in case he does not exercise such option he shall be deemed to have opted for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 :

Provided further that

(i) a member of the Service who has opted, or deemed to have opted, for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, under the above proviso, or

(ii) a person appointed to the service after the 1st November, 1980, under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 or under sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, or under sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966,

shall be required, if he is subscribing to a State Group Insurance Scheme, to elect in such form and within such time as the Central Government may specify in this behalf either continue to subscribe to the State Group Insurance Scheme or to subscribe to the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 and in the absence of such election he shall cease to subscribe to the State Group Insurance Scheme and shall be demmed to have opted for the Cental Covernment Employees Group Insurance Scheme, 1980.

(2) A member of the Service enrolled as a member of the Scheme shall be informed accordingly by the State Government in such form as may be specified by the Central Government in this behalf.

(3) The collection of subscription and payment of dues under the Scheme shall be regulated by such instructions as may be issued by the Central Government in this behalf.

4. *Application of State Group Insurance Scheme*—Save as provided in rule 3, a member of the Service shall not be a member of a State Group Insurance Scheme.

5. *Amendment of Schedule*—The Central Government may, after consultation with the Government of the States concerned, amend the Schedule.

6. *Interpretation*—If any question arises as to the interpretation of these rules, the Central Government shall decide the same.

THE SCHEDULE

(*See* RULE 3)

Annexure to the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F-15(3)/78-WIP, dated the 31st October, 1980:

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

Date of effect

The Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, hereinafter referred to as the "Scheme" shall be notified on November 1, 1980 and shall come into force with effect from the forenoon of January 1, 1982.

Objective ...

2. The "scheme" is intended to provide for the Central Government employees, at a low cost and on a wholly contributory and self-financing basis, the twin benefits of an insurance cover to help their families in the event of death in service and a lump-sum payment to augment their resources on retirement.

Application ...

3. The "scheme" shall apply to all Central Government servants including those in the Railways, Posts and Telegraphs and Defence except members of the armed and para-military forces who have already a separate scheme of their own. Contract employees, persons on deputation from State Governments, public sector undertakings, or other autonomous organisations, locally recruited staff in the Indian Missions abroad, casual labourers, part-time and *ad hoc* employees will not be covered by the "scheme". The "scheme" will also not apply to persons recruited under the Central Government after attaining the age of 50 years. Such Central Government servant to whom the "scheme" applies will hereafter be referred to as "employees".

Membership

4.1 The "scheme" will be compulsory for all those "employees" who enter Central Government service after the "Scheme" is notified *i.e.* all those "employees" entering Central Government service after November 1, 1980, will be compulsorily covered under the "scheme" from the date it comes into force.

4.2 Those 'employees' who are already in Central Government service on the date the "scheme" is notified will have an *option to opt out the "scheme"*. This option should be exercised by December 31, 1980. Those "employees" who do not opt out of the "scheme" by that date will be deemed to have become members of the "scheme", from the date the "scheme" comes into force. The option, once exercised (or "not exercised") will be treated as final and no further choice will be available.

4.3 After the "scheme" has come into force all "employees" who enter service in a month other than January shall be enrolled as members of the "scheme" on the next anniversary of the "scheme".

Subscription for members

5.1 The subscription for the "scheme" will be in units of Rs.10 per month. A Group D employee will subscribe for one unit, a Group C employee for two units, a Group B employee for four units and a Group A employee for eight units. Thus, the rate of subscription for a member of the "scheme" shall be Rs.10, Rs.20, Rs.40 and Rs.80 per month for Group D, C, B and A employees respectively.

5.2 In the event of regular promotion of an employee from one Group to another, his subscription shall be raised, from the next anniversary of the "scheme", to the level appropriate to the Group to which he is promoted. Until the date of the next anniversary of the "scheme" he shall continue to be covered for insurance for the same amount for which he was eligible before such promotion.

For example, if the "scheme" comes into force, w.e.f. January 1, 1982, a Group D employee promoted on regular basis to Group C in February, 1982, shall continue to subscribe at the rate of Rs.10 per month up to December, 1982 and be eligible for the insurance cover of Rs.10,000 only in addition to the benefits from the Savings Fund appropriate to his subscription. From January, 1983, his subscription will be raised to Rs.20 per month and he will become eligible for an insurance cover of Rs.20,000 in addition to appropriate benefits from the Savings Fund.

Premium and insurance cover for "employees" other than members

6. The "employees" entering service in a month other than January, falling after January, 1982, will be given benefit of appropriate insurance cover from the date of joining Government service to the date of their becoming members of the "scheme" on payment of a subscription of Rs.3 per month as the premium for every Rs.10,000 of the insurance cover. From the date of anniversary of the "scheme" they will pay subscription at the rate indicated in para 5.1 above.

For example, if the "scheme" comes into force, w.e.f. January 1, 1982, a Group D employee entering service in February, 1982, shall pay a subscription of Rs.3 per month as premium for an insurance cover of Rs.10,000 for a period of 11 months until December, 1982 and from January, 1983 his subscription will be raised to Rs.10 per month and he shall become eligible for the benefits from Savings Fund in addition to the insurance cover of Rs.10,000. Similarly, a Group C employee entering service in February, 1982, will pay a subscription of Rs.6 per month as the premium for an insurance cover of Rs.20,000 for a period of 11 months up to December, 1982 and from January, 1983, his subscription will be raised to Rs.20 per month and he shall become eligible for the benefits from the Savings Fund in addition to insurance cover of Rs. 20,000.

Insurance Fund and Insurance Cover for members

7.1 In order to provide an insurance cover to each member of the "scheme" a portion of the subscription shall be credited to an Insurance

Fund to be held in the Public Account of the Central Government. The amount of insurance cover will be Rs.10,000 for each unit of subscription. It will be paid to the families of those "employees" who unfortunately die, due to any cause, while in Central Government service.

7.2 The positive or negative balance under the Insurance Fund shall be credited or debited, as the case may be, with the amount of interest calculated at the prevailing rate of interest on the Post Office Savings Bank deposits, which at present is 15½ per cent per annum.

Savings Fund

8.1 The balance of the subscription shall be credited to a Savings Fund. The amount in the Savings Fund will be held by the Central Government in Public Accounts. The total accumulation of savings together with interest thereon will be payable to the member on his retirement after attaining the age of superannuation or on cessation of his employment with the Central Government or to his family on his death while in service.

8.2 The benefits from the Savings Fund will be as per illustration table attached herewith. This benefit is illustrative and in practice could be a little more or less than the amount shown in the table which has been constructed on the basis of in[illegible] ed by the cost of insurance at mortality rate of 2.75 per thousand and the compound interest of 10 per cent thereon. If at any time the rate of interest changes and/or the cost of insurance changes the benefits available from the Savings Fund will also change correspondingly.

8.3 In the case of death of a member the payment of the amount of Insurance will be in addition to the payment from the Savings Fund.

8.4 The positive balance under the Saving Fund shall be credited with the amount of interest calculated at the rate of interest notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for the purpose.

8.5 Interest will be allowed at 10 per cent per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for a block of five years commencing from the date the scheme comes into force.

Recovery of subscription

9.1 The subscription of a member for a month shall fall due at the commencement of the normal working hours on the first of that month.

9.2 The subscription as a premium for the insurance cover from the date of joining Government service to the date of membership of the "scheme" shall initially fall due from the date of joining and subsequently from the commencement of he normal working hours on the first of that month.

9.3 The subscription for a month shall be recovered by deduction from the salary/wage of the "employee" for that month irrespective of the date of actual payment of salary/wage for that month.

9.4 The subscriptions shall be recovered every month including the month in which the "employee" ceases to be in employment on account of retirement, death, resignation, removal from service, etc.

9.5 The Drawing and Disbursing Officer shall recover the subscription from the "employees" irrespective of their being on duty, leave or suspension.

9.6 No interest shall be levied on arrears of subscriptions if the non-recovery is due to delayed payments of the salary/wage.

9.7 If an "employee" is on extraordinary leave and there is no payment of his salary/wage for any period, his subscriptions for the months for which no payments of salary/wage are made to him shall be recovered with interest admissible under the "scheme" on the accretions to the Savings Fund in not more than three instalments commencing from his salary/wage for the months following the month in which he resumes duties after leave. If an "employee" dies while on extraordinary leave the subscriptions due from him shall be recovered with interest admissible under the "scheme". On the accretions to the Savings Fund from the payments admissible to his family under the "scheme".

For example, if a Group D employee proceeds on ten months' extraordinary leave from February 5, 1982 to December 4, 1982 and no salary/wage is paid to him for any day for March, 1982 to November, 1982, his subscriptions totalling Rs.80 will be recovered together with the interest calculated at the compound rate of interest of 10 per cent per annum in not more than three instalments commencing from January, 1983.

9.8 If an "employee" proceeds on deputation or on foreign service, the borrowing authority/foreign employer shall be requested to effect the recovery of the subscription and credit the same to the relevant head of account. It shall be ensured that the necessary clause to this effect is included in the terms of deputation/foreign service in future. The recovery of this amount will be watched in the same manner as applicable to leave salary and pension contribution. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the "scheme" on the accretions to the Savings Fund in not more than three instalments.

Financing of subscription from General/Contributory Provident Fund

10.1 It will not ordinarily be permissible to finance the "scheme" from the General/Contributory Provident Fund. However, if at any stage the position of an individual member does not permit him to subscribe to the "scheme" and to the General/Contributory Provident Fund at the same time, he may be permitted to make, as a separate transaction, a non-refundable withdrawal from the General/Contributory Provident Fund of an amount equivalent to a year's subscription paid for the "scheme".

10.2 The subscription to the "scheme" will form part of deductions allowable in respect of life insurance premia, contributions to provident fund, etc., in computing the total income of the subscriber for the purposes of income-tax, except to the extent of the amount finally withdrawn from the General/Contributory Provident Fund on account of such subscription.

Payment from Insurance Fund/Savings Fund

11.1 If an "employee" retires in attaining the age of superannuation or otherwise ceases to be in Central Government service and his service book discloses that he has been a member of the "scheme", the Head of Office shall issue a sanction for the payment of the member's accumulation in his Savings Fund after obtaining a simple application in Form No. 4.

11.2 If an "employee" dies while in service and his service book discloses that he was a member of the "scheme", the Head of Office shall address the nominees/heirs of the Government servant concerned in Form No. 5 to submit an application in Form No. 6, and on receipt thereof shall issue a sanction for the payment of the amount of insurance and the accumulation in the Savings Fund to him (them).

11.3 The amount payable to the nominees/heirs of an "employee" who has the benefit of an insurance cover only will be the amount of insurance appropriate to his Group.

11.4 The amount payable to the nominees/heirs of a member of the "scheme", who dies while in service, shall be—

(*a*) the amount of appropriate insurance to which he was entitled at the time of his death; plus

(*b*) the amount due to him out of the Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group; and

(*c*) the amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Group for the period from which the rate of subscription was raised to the date of his death.

For example, if a Group D employee, who is a member of the "scheme", acquires a membership in Group C and Group B after 5 years and 15 years of service respectively and dies while in service after 30 years of total membership in all these Groups, his nominee or nominees shall be paid the sum of the following amounts:

(i) the amount of insurance of Rs.40,000 due on a monthly subscription of Rs.40, being a Group B employee on the date of his death;

(ii) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10 for 30 years;

(iii) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10 (Rs.20—Rs.10) for 25 years; and

(iv) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.20 (Rs.40—Rs.20) for 15 years.

11.5 The amount payable to the "employee" who ceases to be in employment with the Central Government on account of resignation, retirement, etc., shall be—

(*a*) the amount due to him out of the Savings Fund for entire period of his membership in the lowest Group; and

(*b*) the amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Group for the period from which the rate of subscription was so raised to the date of cessation of his membership.

For example, if a Group D employee who is a member of the "scheme" acquires a membership in Group C and Group B after 10 and 20 years of service respectively and retires on superannuation after 30 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts:

(i) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10 for 30 years;

(ii) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10 (Rs.20—Rs.10) for 20 years; and

(iii) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.20 (Rs.40—Rs.20) for 10 years.

11.6 If any "employee" dies during a month before the recovery of subscription for that month from him, his dues shall be paid after deducting the subscription.

11.7 If any "employee" joins later on All India Service, his case shall be regulated in such manner as may be decided by the Ministry of Finance.

Withdrawals from Insurance/Savings Fund

12.1 It will not be permissible for any member or other beneficiary of the "scheme" to withdraw any amount out of the Insurance Fund to which he has been subscribing. The amount due from the Fund on the death of a member of the "scheme" while in service, shall be worked out in accordance with para 11 and paid to his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

12.2 It will also not be permissible for any member of the "scheme" to withdraw any amount of the Savings Fund to which he has been subscribing. The amount due to him from the fund on his cessation of employment on account of resignation, retirement etc. shall be worked out in accordance with para 11 and paid to him or his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

Loans/advances from or against accumulations in Insurance Fund/Savings Fund

13. No loans or advances shall be paid to any member or other beneficiary of the "scheme" from or against his accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund to which he has been subscribing.

Utilisation of accumulations in Insurance Fund/Savings Fund

14. The accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund shall be at the disposal of the Central Government. Since the "scheme" is wholly self-financing and self-supporting, the funds of these accumulations are proposed to be utilised for ownership housing schemes and other schemes for the benefit of the members of the "scheme".

Mode of notification of the "scheme"

15. The "scheme" shall be notified to the "employees" by displaying a copy thereof on the notice board or where no such notice board is provided, at a prominent place in the premises where the employees are working. A few copies of the "scheme" may also be supplied to the recognised unions/associations of the employees.

Action on notification of the "scheme"

16. By the 10th of every month following the month in which the "scheme" is notified, the Head of Office shall supply to the Drawing and Disbursing Officer names, Groups dates of birth and dates and appointment of persons who may be appointed to any service or post under the Central Government during the preceding month and who would be eligible to be the members of the "scheme" in terms of para 8 of the "scheme".

Action on the "scheme", coming into force

17.1 By the 10th of the month in which the "scheme" comes into force, the Head of Office shall supply to the Drawing and Disbursing Officer a statement indicating the name, the Group and the date of Birth of every "employee" who has been in the Central Government service on the date the "scheme" is notified but has not opted out of the "scheme".

17.2 Every member of the "scheme" shall be informed, in Form No.1 the date of his enrolment, the subscription to be deducted and the benefits to which he would be eligible. On his regular promotion from One Group to another he will be similarly informed in Form no. 2.

17.3 The option exercised by the "employees" who are already in Central Government service on the date the "scheme" is notified shall be in Form no. 3 and will be pasted in the service book of the individuals concerned.

Register of members

18. The Head of Office shall ensure that Group-wise register of members is maintained in the Form no. 9 and kept up-to-date. This register shall be sent to the D.D.O. concerned once a year to verify whether appropriate subscriptions are being recovered from all employees who have joined the Insurance Fund or both the Insurance Fund and the Savings Fund under the "scheme" and to record a certificate to this effect.

Nomination

19.1 The Head of Office shall obtain from every Government servant, who is a member of the "scheme", a nomination conferring on one or more persons, the right to receive the amount that may become payable under this "scheme" in the event of his death before attaining the age of superannuation. In the case of "employees" who are already in Central Government service on the date the "scheme" is notified and who do not opt out of the "scheme", such nomination shall be obtained simultaneously with the options obtained from others and in the case of "employees" who join Central Government service after the date on which the "scheme" is notified, such nomination shall be obtained along with the joining report.

19.2 If a member of the "scheme" happens to be minor, he will be required to make nomination on his attaining the age of majority.

19.3 If a member of the "scheme" has a family at the time of his making the nomination he shall make such nomination only in favour of a member or members of his family. For this purpose, family will have the same meaning as assigned to it in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

19.4 If a member nominates more than one person under para 19.1 he should specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount payable under the 'scheme', failing which the amount payable under the 'scheme' shall be equally distributed among the nominees.

19.5 The nomination shall be made in Form no. 7 or Form no. 8, as is appropriate in the circumstances.

19.6 A member of the "scheme" may at any time cancel a nomination by sending a notice to the Head of Office along with a fresh nomination made in accordance with the above provision.

19.7 The nomination received from the members shall be counter-signed by the Head of Office and pasted on their service books. The Head of Office shall also make an entry in the service book that the nomination has been duly received.

The existing Insurance Scheme

20. The existing insurance scheme introduced *vide* Department of Expenditure O. M. no. 60/14/77-IC, dated 23rd June, 1977 will continue for those "employees" who would be in service on 1st November, 1980, if they opt out of the new "scheme", till they cease to be in employment with Central Government on account of retirement, resignation, death, etc. As regards the other "employees" the new "scheme" will replace the existing insurance scheme w.e.f. 1st January, 1982, and the amount which would have been due to them under the existing insurance scheme had they ceased to be in employment with the Central Government in the afternoon of the day preceding the day on which they become members of the new "scheme" will be credited to their respective General Provident Fund accounts.

Accounting

21. The transactions relating to the "scheme" shall be accounted for in accordance with the procedure laid down separately.

Interpretation and Clarification

22.1 If any categories of "employees" are not specifically classified into Group A, Group B, Group C or Group D, their classification shall be assumed in accordance with the principles laid down in this regard under the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

22.2 In the actual implementation of the "scheme", if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provisions of this "scheme" or if any point requires clarification, the matter may be referred to the Ministry of Finance, whose decision shall be final.

Review of the "scheme"

23. The working of the "scheme" will be reviewed every three years to ensure that the "scheme" remains self-financing and self-supporting.

TABLE

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

The amounts are likely to the Savings Fund if the rate of interest is 10 per cent per annum

No. of years contributions paid	Net annual savings Rs. 82.50 (corresponding to Rs. 10 per month contributions)	Net annual savings Rs. 165 (corresponding to Rs. 20 per month contributions)	Net annual savings Rs. 330 (corresponding to Rs. 40 per month contributions)	Net annual savings (corresponding to Rs. 80 per month contributions)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
5	528	1,056	2,112	4,224
10	1,380	2,760	5,520	11,040
15	2,750	5,500	11,000	22,000
20	4,958	9,916	19,832	39,664
25	8,513	17,026	34,052	68,104
30	14,239	28,478	56,956	1,13,912
35	23,460	46,920	93,840	1,87,680
40	38,311	76,622	1,53,244	3,06,488

Form No. 1

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF.....

Department/Office.....

Dated .....

MEMORANDUM

Shri*....., a Group ..... employee has been enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 with effect from.....His monthly subscription of Rs..... (Rupees.....) shall be deducted from his salary/wage commencing from the month of.....and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group.....with effect from.....

(*Head of Office*)

To

Shri*.....

**Name and designation of the employee.*

Form No. 2

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF.....

Department/Office.....

Dated.....

MEMORANDUM

Shri*.....has been promoted on a regular basis, from Group.....to Group.....with effect from..... His monthly subscription for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 shall be raised from Rs.....to Rs.....from the month of ..... and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group.....with effect from.....

(Head of Office)

To

Shri*.....

*Name and designation of the employee.

Form No. 3 (Para 11·3)

To

(Head of Office)

SIR,

I have read and understood/I have been explained the details of the new Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. I opt to remain outside the is new Scheme.

Yours faithfully,

( )

Name and designation of the employee.

Place :

Date :

Form No. 4 (Para 11·1)

To

THE.....

.....

Subject :—**Application for payment of accumulation under Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980**

SIR,

I have been a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 since .....** I have retired from service after attaining the age of ..... years/I have ceased to be in employment with the Central Government with effect from ....I was holding the post of..... before retirement/cessation of employment with the Central Government. I request that the amount due to me under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully,

( )

*Designation and address of the Head of Office.

**Month and the year of becoming a member of the scheme may be indicated here.

Form No. 5 (Form 11·2)

No.....

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF.....

Department of.....

Office of.....

Dated.....

To

Subject :—**Payment of the amount due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980**

DEAR SIR/MADAM,

I am directed to state that the late Shri.....has nominated you for payment of full ..... per cent of amounts due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. You are therefore requested to submit an application in the enclosed form No. 6 for arranging payment.

Yours faithfully,

( )

*Name and address of the nominee.

-436-

Form No. 6 (Rule 8)

To

*The

Subject **Application for payment of amount due to late Shri ..... under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980**

Sir,

With reference to your letter no. ..... dated ....., I hereby request that the full/ ..... per cent of amount due to late Shri ..... under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully,

*Name and address of the Office from where Form No. 5 is received.

Form No. 7 (Rule 19(3))

Nomination for benefits under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

When the Government servant has no family and wishes to nominate one person or more than one persons

I, having no family, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Names and addresses of nominee/ nominees	Relationship with Government servant	Age	*Shares of amount to be paid to each	Contingencies** on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the Government servant
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					

Dated, this day of 19 at

Two witnesses to signature:

1.

2.

Signature of Government Servant

N. B. The Government servant should draw line across the blank space below his last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the Insurance Scheme.

**Where a Government servant who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

Form No. 8 (Para (195

Nomination for benefits under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member thereof

I, hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are member(s) of my family and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government under the Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Names and addresses of nominee/ nominees	Relationship with Government servant	Age	*Share to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the Government servant.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

N. B.—The Government servant should draw line across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Dated this day of 19 at

Signature of two witnesses :

1.

2.

Signature of Government Servant

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the Insurance Scheme.

Form No. 9 (para (12)

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

REGISTER OF MEMBERS

GROUP

Section 1—**Particulars of employees subscribing to the Insurance Fund only**

Sl. no.	Name	Designation	Date of birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/Date of transfer to other Departments	Date of death	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Section II—**Particulars of employees subscribing to both Insurance Fund and Savings Fund**

Sl. No.	Name	Designation	Date of birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/ Date of transfer to other Departments	Date of cessation of membership and reason therefor	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SMT. CHITRA CHOPRA,
Deputy Secretary to the Government of India.

No. 11024/1/81—AIS (II), New Delhi, the 10th October, 1981.

A copy is forwarded for information to :

1. Chief Secretaries to the Governments of all States.
2. All the Ministeries/Departments of Government of India.
3. Comptroller and Auditor General of India.
4. All the Accountant General of States.
5. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat (Committee Branch)
6. Department of Justice.
7. M.H.A. (IPS Section)
8. M.H.A. (UTS Section)
9. Deptt. of Agriculture IFS Section.
10. Official Languages (L) Commission, Bhagwan Das Road, New Delhi.
11. Director LBS National Academy of Administration, Mussoorie.
12. All attached/subordinate offices of Department of Personnel and A. R. and the Ministry of Home Affairs.
13. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.

SMT. CHITRA CHOPRA,
Deputy Secretary to the Government of India.

Copy to AIS III Section.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 38 सा० (नियुक्ति)—1-12-81-(2836)-1981—2000+25 (मेक०)।

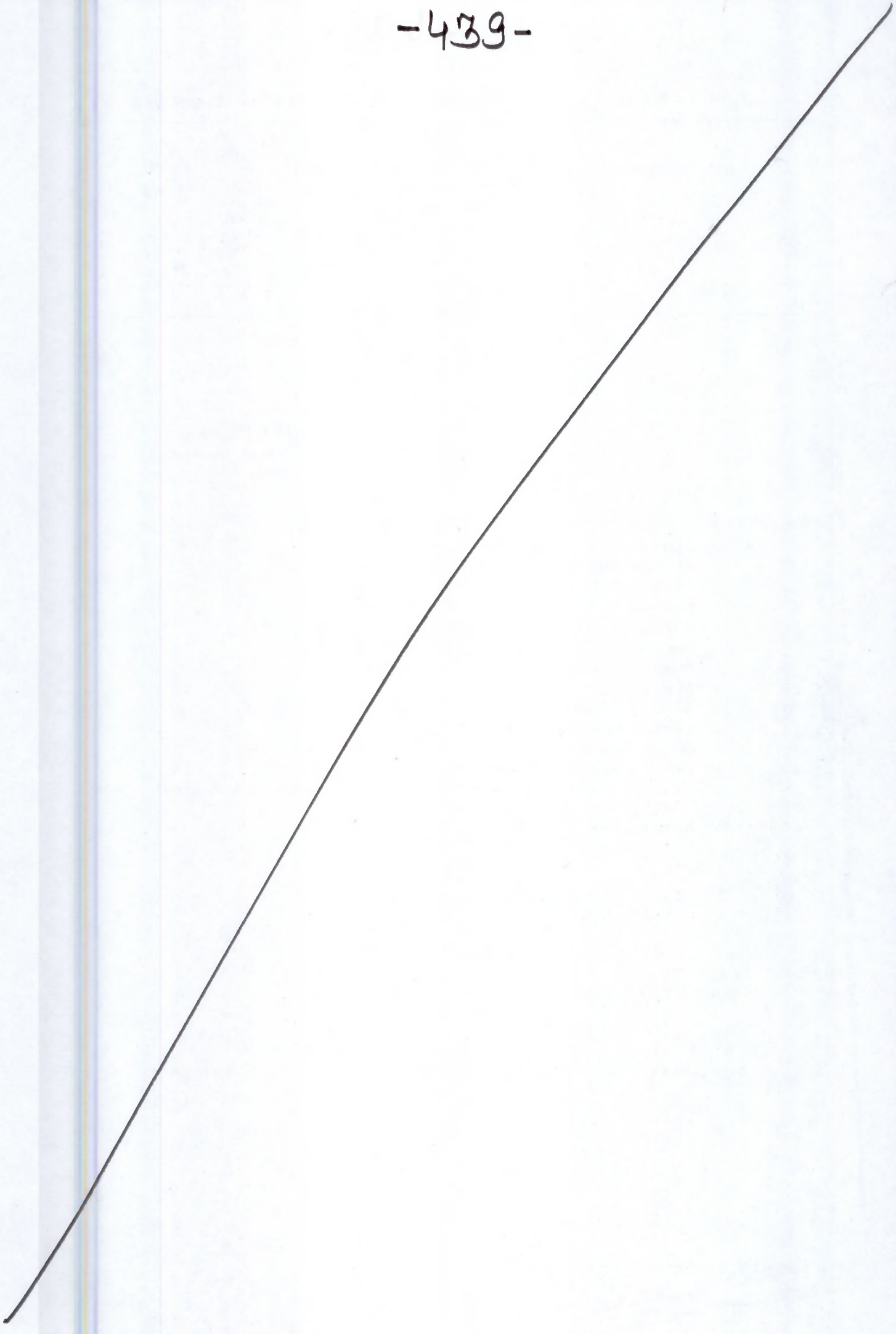

Circular No. 5 /81-TA

No.S-11013/2/81/TA/3845
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Controller General of Accounts
8th Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi - 110003.
*****

Dated the 26th December, 81.

Office Memorandum

Subject: Accounting Procedure relating to extension of the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme 1980 to All India Services Officers.

Accounting procedure in connection with the Central Government Employees Insurance Scheme 1980 as extended to All India Services as per All India Services (Group Insurance) Rules, 1981 (notified vide Ministry of Home Affairs, D.P.A.R. No.11024/1/81-AIS(II) dated 10.11.1981) is appended herewith for necessary action by all concerned.

R. Ramanathan

(R. Ramanathan)
Accounts Officer(TA)

To:-

1. Chief Secretaries to the Governments of all States (with 2 spare copies).
2. C.&.A.G. of India.
3. All the Ministries/Departments of Govt. of India.
4. All the Accountants General.
5. M.H.A. (UTS Section).
6. M.F.A. (IPS Section).
7. Department of Agriculture (IFS Section).
8. Secretary, U.P.S.C.
9. Chief Secretaries/Administrators of All Union Territories.
10. Director, L.B.S. National Academy of Administration, Mussoorie.
11. Dean, Forest Research Institure and Colleges, Dehradun.
12. Director, S.V.P. National Police Academy, Hyderabad.
13. All the attached/subordinate offices of Ministry of Home Affairs and Deptt. of Personnel & A.R.
14. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
15. Ad.I Section, Deptt. of Personnel & A.R.
16. Controller of Accounts, M.H.A. (With spare copies for PAO D.P&A.R.)
17. Controller of Accounts Delhi Administration.
18. Pay and Accounts Office, Pondicherry.
19. Director of Accounts, Goa, Daman & Diu, Panaji.
20. Director of A/cs and Budget, A&N Island Port Blair.

21. Dy.D.G. Postal A/cs. New Delhi (5 copies).
22. Director Development Accounting, Railway Board, N.D.(5Copies)
23. C.G.D.A., New Delhi.
24. Ministry of Finance, Budget Dn.(Sh.V.R.Srinivasan,A.O.)
25. Dy.D.G.Telecom. A/cs. Sanchar Bhavan, New Delhi.
26. Director of A/cs., Cabinet Sectt.
27. Secy., Staff side National concil of J.C.M. Windsor Place, New Delhi (55 copies) (all members).
28. P...O. Presidents Sectt.
29. Jt.CGA(B)/JT.CGA(G)/Jt.CGA(K)
30. Dy.CGA(M)/Dy.CGA(D)/Dy.CGA(G)/Dy.CGA(R)/CGA(P)
31. All A.Os. and Section of C.G.A.

*

* * * * *

* * *

*

ACCOUNTING PROCEDURE RELATING TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980 AS EXTENDED TO ALL INDIA SERVICES.

The All India Services (Group Insurance) Rules, 1981, framed under the All India Services Act, 1951, were notified in the Gazette on 10.11.1981 vide notification No. 11024/1/81-AIS(II), dated 10.11.1981. In view of the provisions contained in rule 3 of these rules, the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, as applicable to officers of Central Civil Services Group 'A' shall mutatis mutandis apply to the members of All India Services with effect from 1.1.1982.

2. According to provisos to rule 3 ibid read with Department of Personnel & A.R. circular No.11024/3/81-AIS(II) dated 10.11.1981, a member of the Service is required to submit an option in triplicate to the State Government/U.T. Administration in the prescribed form. One copy of the option shall be retained by the State Government/U.T. Administration in their custody and the other two copies will be sent to the Ministry of Home Affairs(DP&AR), New Delhi. Out of this, one copy shall be sent by the latter to the Pay and Accounts Office functioning under Controller of Accounts, D.P.A.R.(hereafter referred to as P.A.O., D.P.A.R.) for record and reference.

3. Maintenance of list of members.

A list of members of the All India Services subscribing to the Insurance Scheme will be drawn up by the Department of Personnel & A.R. (D.P.A.R.) as on 1.1.1982, to which will be added list of officers (direct recruits) appointed to the service and those appointed to the service on promotion ~~under sub-rule (1) or~~ (2) of rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954, sub-rule (1) of rule 9 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954, or sub-rule (1) of rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1966, on or after 1.1.1982 and who are subscribing to the Scheme and the

.....2/-

casual-ties etc. arising from time to time shall be dele... This will be recorded by the D.P.A.R. in a special register service-wise keeping separate folios for the cadre of each State and for the cadre of Union Territories as a whole. This register in respect of members of the Indian Police Service and Indian Forest Service shall be retained by the D.P.A.R. till the work relating to these two services is transferred to the Ministry of Home Affairs (Police Division) and the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

4. Recovery of Subscriptions.

4.1 Each State Govt./U.T.Administration shall be responsible for the recovery of subscriptions under the scheme from members of the Service who are to subscribe in terms of the Scheme envisaged in the A.I.S.(G.I.) Rules,1981. The monthly deductions to be made from the salary bills of the A.I.S. officers covered by the scheme on account of the subscriptions, will be classified in the bills, as indicated below. This will be effective from the salary bills for January'82, payable on 1.2.82 or, on the last working day of January,'82.

(a) In respect of officers of a State Cadre serving in the State, the deductions will be classified under the major etc. head of account

858 - Suspense Accounts
- A.I.S. officers Group Insurance Scheme
- Subscriptions

pending its adjustment against advance payment made by the State Government to the Central Government(PAO, D.P.A.R.) in the manner indicated in Para 5.1 below.

(b) Recoveries from members of the scheme belonging to a State Cadre effected in the Central books while on deputation with the Central Government, shall be classified under:

858 - Suspense Accounts
- PAO Suspense
- Items adjustable by the Accountant General on account of Group Insurance Scheme.

.....3/-

These recoveries, along with similar recoveries on account of GPF subscriptions etc. arising in the central books shall be settled with the State Accountant General concerned by issue of Crossed Govt. Account cheques by the Central P.A.O. On receipt of the valuable, the Accountant General of the State concerned shall classify the receipt to the head of account indicated at (a) above.

(c) In respect of members of the scheme belonging to a State Cadre placed on foreign service in India or abroad, watch over the recovery of the subscriptions, which will be initially made by the foreign employer, shall be kept by the Accounts Officer of the State concerned who is responsible for watching the P.F. subscriptions of the officer. These, on receipt by cheque or bank draft, will be credited to the head of account indicated at (a) above in the State section of accounts.

(d) Deductions under this scheme from members belonging to U.T. Cadre, effected while serving under any U.T. Govt./Administration or while on deputation with the Central Government, will be classified under the major etc. head of account indicated below in the central Section of books of the Accounts Officer concerned:

811 - Insurance and Pensions Funds
- Central Government Employees Group Insurance Scheme

(e) In respect of U.T. cadre members on foreign service in India or abroad, watch over receipt of subscriptions by way of bank drafts from the foreign employers, shall be kept by the PAO(Sectt.) functioning under the ~~Controller of Accounts, Delhi Administration~~ who is ~~already~~ responsible for maintaining the GPF accounts of such officers and shall classify the same under the head of account indicated at (d) above.

(f) In respect of U.T. cadre members on deputation other than to Central Government, deductions under the scheme appearing in the bills shall be classified under the major etc. head of account

....4/-

858 - Suspense Accounts
- PAO Suspense
- Items adjustable by PAO(Sectt), Delhi Administration on account of Group Insurance Scheme.

These recoveries, alongwith similar recoveries on account of GPF subscriptions etc. shall be settled by the Accounts Officer concerned with the PAO(Sectt.) functioning under the Controller of Accounts, Delhi Administration by issue of a Crossed Government Account Cheque etc. On receipt of the valuable the PAO(Sectt) of Controller of Accounts, Delhi Administration shall classify the same to the head of account indicated in (d) above.

4.2 In respect of members of the scheme placed on deputation with Central Govt. or on foreign service etc., a suitable indication should be given in the L.P.C. being issued by the appropriate authorities, about the recoveries made till then during the year, and the month from which/rate at which recoveries are to be effected on this account thereafter as well as the date on which he became a member of the Scheme.

5. Remittance to Central Govt. of amounts of subscriptions recovered from salary bills of officers of State Cadre serving in States.

5.1 It has been decided that against the recoveries to be effected from the salary bills of the A.I.S. etc. officers serving in the State those of the State Cadre on deputation or on foreign Service, all of which will be credited to the State accounts under the suspense head referred to in para 4.1 (a) above, the State Govts. should arrange to remit in one lump sum the amounts on the last working day of every month (commencing from January'82) (except that remittance in respect of March pay bills may be made in the 1st week of April) by cheque/demand draft to the P.A.O. of D.P.A.R. working under the Controller of Accounts, D.P.A.R., Ministry of Home Affairs, by adopting the following method of Computation indicated in (a) and (b) below and arriving at the total amounts.

.....5/-

(a) The No. of members of the Service covered under the scheme who are serving in the State or on deputation or foreign service and who are to subscribe at the composite rate of Rs.80/-p.m. may be multiplied by 80 to arrive at the total subscription due (covering Insurance portion and savings portion).

(b) The number of such members of the service (serving in the State or on deputation or foreign service) as on the last day of the relevant month (2nd in the Case of January), who are required to subscribe only to the premium for insurance cover at Rs.24/-p.m., may be multiplied by 24.

The amount required to be remitted in this manner, may be drawn through a bill upon the treasury/State Head Quarter's P.A.O. by a designated drawing officer in the department of the State Govt. administratively or otherwise dealing with the movement/events etc. relating to the A.I.S. officers of the State such as the home Deptt., the General Administration Deptt., the Chief Secretariat etc. The designated drawing officer, who may be nominated by the State Govt. for the purpose, may after ascertaining the details required for the amount to be remitted in the manner indicated in (a) and (b) above in respect of all the members of A.I.S. of the State, draw a bill for the amount classifying the same under "858-Suspense Accounts-A.I.S. officers Group Insurance Scheme-Payment to the Central Govt. of the subscriptions in respect of A.I.S. officers Group Insurance Scheme". The amount of the bill should be obtained in the form of a crossed account payee Demand draft in favour of the P.A.O. (D.A.P.R.) New Delhi in the Ministry of Home Affairs, and sent to him by the designated drawing officer with a covering schedule indicating the no. of officers in each cadre (IAS/IPS/IFS) for whom the remittances as computed in (a) and in (b) above are sent. The remittance should be made on the last working day of each month, commencing from January, 1982 (First week of April in respect of recoveries relating to March).

.....6/-

5.2 The credit on account of the subscriptions recovered from the officers and adjusted intially in the State books of the As.G. with reference to the accountal of the salary vouchers of the A.I.S. officers, and the cash recoveries effected in respect of officers on deputation or on foreign service, which will appear under the suspense minor/sub-head "A.I.S. officers Group Insurance Scheme-Subscriptions", under '858' should periodically and at the close of each financial year be equal to the debits on account of the payments which will be appearing under the minor/sub head "A.I.S. officers Group Insurance Scheme-Payments to the Central Govt. of subscriptions in respect of the A.I.S. officers Group Insurance Scheme" under the same major head, with reference to the accountal of the vouchers in respect of the bills referred in para 5.1 above. A reconciliation of thise credits/debits to ensure their equality periodically and at the close of the financial year, will be ensured by the As.G. in consultation with the concerned administrative department of the State Govt. under whom the designated drawing officer is working, and by keeping a suitable broadsheet.

5.3 The demand drafts received from the designated drawing officers every month by the P.A.O. (D.P.A.R.) will be credited by him in his books under the head "811-Insurance and Pension Funds-Central Govt. Employees Group Insurance Scheme" under the appropriate sub-heads Savings Fund, Insurance Fund.

6. Payments of dues to the beneficiaries

6.1 If a member of the Service retires from service on attaining the age of superannuation or dies while in service (whether actually serving under the State Govt. or on foreign service but other/on deputation with Central Government) or otherwise ceases to be a member of the Service the designated drawing Officer of the State Govt. concerned shall take action to obtain a pre receipted claim from the beneficiary (beneficiaries) in the proforma at Annexure III, fill in necessary details therein (enclose a duly attested copy of the death certificate in the case of claims arising due to death of a member) and forward it

/than

.....7/-

to the D.P.A.R. in the Government of India. The latter shall verify the details including entitlement under savings fund etc. with reference to the documents available with them vide Para 3 above and submit the bill to the P.A.O(DPAR) for payment. The P.A.O. shall exercise ~~necessary~~ usual checks and also with reference to the record maintained by him and will draw a crossed cheque/crossed bank draft in favour of the officer concerned or nomiee(s) or legal heir(s) as the case may be, and send it to the Drawing Officer in the DPAR who shall arrange to transmit the same to the designated Officer of the State Govt. The latter shall be responsible to hand over the valuable to the Officer/nominee(s) etc. as the case may be, against necessary acknowledgement.

In the case of those retiring from service on superannuation, the claim for payment from the savings fund shall be prepared and submitted three months prior to the actual date of retirement. In all other cases, such claims shall be preferred as soon after the date of quitting service by the member or death, as possible.

Note A claim arising in the case of a member of the Scheme while on deputation to the Govt. of India, shall be processed through D.P.A.R. and its P.A.O.(who shall exercise necessary prechecks), by the D.D.O. of the Central Govt. Ministry/Department in which the Officer was serving at the time of the relevant event under intimation to the designated officer of the State/U.T. Govt. concerned. Suitable entry shall be made in col. 6 of Annexure I-Parts II & III.

The Payment would be classified under the respective sub heads below Major etc. heads indicated below:

8dd - Insurance and Pension Funds
Central Govt. Employees Group Insurance Scheme
Insurance Fund (Sub head)
Savings Fund (Sub head)

6.2 Provision of para 6.1 and note thereunder shall be applicable mutatis mutandis to claims pertaining to members of the All India services borne on the Union Territories Cadre.

...../-8/-

7.1 The Pay and Accounts Officer, Department of Personnel and A.R. shall credit the amounts received in terms of Para 5.1 above to the head of account "811-Insurance and Pension Funds - Central Govt. Employees Group Insurance Scheme", and keep a note of the amount realised from each State Government etc. service-wise in a register (part I of the Proforma at Annexure-I) with separate folios for each State.

7.2. During the first week of each year the Department of Personnel & A.R. shall furnish a list (servicewise) indicating the total number of officers who are members of the Scheme and borne on each State/U.T. Cadre as on 1st January and also indicating how this is worked out with reference to the opening balance as on 1st January of the preceding year. Additions/deletions each month during the year should also be furnished similarly in the first week of the following month. Similarly the number of officers (Cadre and service-wise) who are required to subscribe towards insurance cover only during each month of the year should be furnished by the D.A.P.A.R. to its Pay and Accounts Office, during the first week of every month. The credits realised each month from each State will be verified with this list by the Pay and Accounts Office, DPAR, to ensure that actual credits due each month have been received from the States concerned. Any discrepancy shall be taken up with the State Government/ A.G. concerned under intimation to the D.P.A.R.

7.3 The Accounts authority of each Union Territory Administration shall furnish every month necessary information to the P.A.O., D.P.A.R. about the total subscription credited during the month indicating the number of officers service-wise who contributed at the composite rate (Rs.80/-) and who contributed at the insurance rate only (Rs.24) so as to enable him to maintain details in the prescribed proforma. P.A.O., D.P.A.R. shall tally the details received from various accounts authorities with those received in terms of para 7.2 above and cases of discrepancy, if any, shall be settled with D.P.A.R. and accounts authorities concerned.

.....

.....9/-

7.4. P.A.O., D.P.A.R. shall maintain registers in the proforma at Annexure I for preparing annual reports prescribed for the purpose. The annual report in the form as at Annexure II shall be prepared by him (with the assistance of D.P.A.R. wherever necessary) and submitted to the organisation of the Controller General of Accounts so as to reach them by the 10th February every year from 1983 on wards.

8. The functions of the Pay and Accounts Office, Department of Personnel and A.R. as set out above in the case of members of the Indian Police Service and India Forest Service shall be performed by the Pay and Accounts Office, (Sectt.) Ministry of Home Affairs (Department of P & A.R.) and the Pay and Accounts Office (sectt.), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) after the work pertaining to these two services are transferred to them.

9. Organisation of the Controller General of Accounts will perform functions stated in paras 8, 10 & 11 of the Appendix to O.M. No.3.11013/2/81/TA/2907 dated 22nd September, 1981 of Ministry of Finance (Department of Expenditure, Controller General of Accounts) after taking into account the receipts, payments and other information flowing from the scheme as extended to all India Services.

****
* * *
*

(D.P.A.R.)

ANNEXURE - I (To be maintained by PAO/etc. vide para 8.10

REGISTER RELATING TO ALL INDIA SERVICES (GROUP INSURANCE) RULES, 1981 STATE.....

(Separate registers to be maintained for each Cadre viz. I.A.S., I.P.S., I.F.S. with separate folios for each State) CADRE.....

PART - I NO. OF SUBSCRIBERS AS IN JANUARY, 19.....

Month.	Cheque/Bank draft No. and date.	Number of employees in respect of whom payment received at	
		Composite Rate	Insurance rate only.
1	2	3	4
January			
February			
March.			
.....			
December			

PART - II

Month. Payment made during 19..... in respect of members on their demise while in service.

Voucher No.	Name of Officer.	Amount of payment		* Post held while on deputation with Central Govt. at the time of death
		Insurance Fund.	Saving fund.	
1	2	3	4	5	6

contd.....

1451

ANNEXURE - I

PART - III

Payment made to members during 19... on their retirement, resignation etc.

Month	Voucher No.	Name of Officer.	Amount of payment.	*Post held while on deputtion with Central Govt. at the time of the event.
1.	2.	3.	4.	5.

*to be filled in for payments under note below para 6.1.

ANNEXURE - II (To be submitted by PAO(DPAR) etc. to CG, vide para 8.4)

ANNUAL STATEMENT FOR 19..... SHOWING THE NUMBER OF ~~AIS~~ OFFICERS SUBSCRIBING UNDER ALL INDIA SERVICES(GROUP INSURANCE) RULES AND THE NUMBER FOR WHOM PAYMENTS WERE MADE.

Name of PAO: PAO(DPAR), New Delhi.
Year of Report: 19.....

PART - I - A

Name of State	Number of members of the All India Services(Group Insurance) Rules Who subscribed at composite rate.	
	On 1st January, 19..... (Previous Year)	On 1st January, 19.....(Current Year)
1.	2.	3.
Andhra Pradesh		
TOTAL :		

Part I - B Statement showing number of members and amounts realised from States towards Insurance Fund only during the Calendar Year 19...

State	January Rs.	February Rs.	March Rs.	April Rs.	May Rs.	June Rs.	...	December Rs.	TOTAL.
1.	2.								
Andhra Pradesh									
TOTAL :-									

PART - II & III

Statement showing the number of cases in which payments were made during the previous year 19.... because of

State.	DEATH		OTHER CASES	
	Number	Amount	Number	Amount
Andhra Pradesh				
TOTAL :-				

1452

ANNEXURE - XII (Refer Para 11)

Receipted Bill.

Received the sum of Rs. ( ) being the total of entitlement of Rs. from the *Insurance Fund, and/or of Rs. from the Savings Fund, accrued to.....

Name.....

Designation.....

Name of State on whose cadre borne.....

under the All India Services Group Insurance Rules, 1981.

Signature(s) of Re ent(s)

Dated: (Name in block letters)

FOR USE IN DEPARTMENTAL OFFICE

(a) Date on which the officer became a member of the Scheme.....

(b) Description of the event (retirement / death etc.) /resignation, and date thereof.....

(c) Countersigned for payment of Rs.....(Rupees.....) to claimant(s). Crossed cheque/demand draft to be issued in favour of claimant(s):

Signature

Date

Designation of DDO

FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE.

Passed for payment of Rs. (Ruppes.....)

Payment through Cehque(s) No(s). Date: Accounts Officer

*Delete whichever as inapplicable.

IMMEDIATE

No.11024/42/83 - AIS.II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Department of Personnel & Administrative Reforms
(Karmik Aur Prashasnik Sudhar Vibhag)

. . . . .

New Delhi, the 13 June, 1983.

To

The Chief Secretaries to the
Governments of ALL States.

Subject: All India Services (Group Insurance) Rules, 1981 - Payment from saving fund under Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the case of a member of the Service who is permitted to retire from Service to get absorbed in Public Sector Undertakings etc.

. . . .

Sir,

I am directed to say that sub-rule(1) of rule 5A of the All India Services (DCRB) Rules, 1958 provides that a member of an All India Service, who has been permitted by the Central Government to be absorbed in service or post in or under a Corporation etc. wholly or substantially owned or controlled etc. by the Central Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption. Invariably in such cases, orders are issued by the Central Government permitting the officer to retire from service to get absorbed in the organisation referred to in the above mentioned rule with effect from a date earlier than the date of issue of orders. A question has been raised as to whether in such cases, if the officer was subscribing to the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, the date of issue of orders or the date of retirement from service, should be treated as the date of cessation of his membership of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 for determining the amount payable to him from the savings fund under the Scheme.

2. The Ministry of Finance (Department of Expenditure) who were consulted, have clarified that if orders are issued permitting an officer to retire from Service, to get absorbed in an organisation referred to in rule 5A(1) ibid with retrospective effect, he ceases to be a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, with effect from the date of issue of orders and not from the date of retirement from Service and accordingly, claim for payment from the savings fund under the Scheme should be settled.

.....2/-

3. I am to request that the above clarification may be brought to the notice of all concerned, for their information and guidance.

Yours faithfully,

Chitra Chopra

(Smt. Chitra Chopra)
Deputy Secretary to the Government of India.

No.11024/42/83 - AIS.II Dated the 15 June, 1983.

Copy forwarded for information and guidance to:-

1. All the Ministries and Departments of the Government of India.
2. Ministry of Finance (Department of Expenditure - WIP Cell), with reference to their U.O. No.318-WIP/83, dated the 16th May, 1983.
3. Ministry of Home Affairs (UTS Section).
4. Ministry of Home Affairs (IPS Section).
5. Ministry of Agriculture & Cooperation (Department of Agriculture - IFS Section).
6. The Controller of Accounts, Department of Personnel and A.R., Room No.278-A, North Block, New Delhi.
7. The Chief Secretaries/Administrators of all Union Territory Administrations.
8. Attached and Subordinate offices of the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and A.R.

Chitra Chopra

(Smt. Chitra Chopra)
Deputy Secretary to the Government of India.

asr/

तत्काल

संख्या 11024/42/83-अ0भा0से0-1।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 13-6-1983

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के
मुख्य सचिव

विषय:- अ0भा0से0 (सामूहिक बीमा) नियमावली 1981 - सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 की बचत निधि से अदायगी जिसे इसलिए सेवा-निवृत्त होने की अनुमति दी गई है ताकि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में अन्तर्लयित हो सके।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 5-क के उप नियम (1) में यह व्यवस्था है कि अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को जिसे केन्द्रीय सरकार ने किसी ऐसे निगम आदि के अधीन सेवा या पद पर अन्तर्लयित होने की अनुमति दे दी हो, जो पूर्णतया अथवा मूल रूपसे केन्द्रीय सरकार का है अथवा उसके नियंत्रणाधीन आता है तो इसे ऐसे अन्तर्लयन की तारीख से सेवा-निवृत्त समझा जाएगा। ऐसे मामलों में किसी अधिकारी को आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले की किसी तारीख से सेवा-निवृत्त होने की अनुमति के आदेश जिससे वह उपयुक्त नियमों में दिए गए प्रतिष्ठानों में अन्तर्लयित हो सके, केन्द्रीय सरकार द्वारा अवश्य ही जारी किए जाते हैं। यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे मामलों में यदि अधिकारी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 के लिए अभिदान देता रहा

हो तो उक्त योजना की बक्त निधि में से उसे देय राशि के निर्धारण के लिए आदेशों के जारी होने की तारीख अथवा सेवा-निवृत्ति की तारीख इन दोनों में से किसे उसकी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 की सदस्यता समाप्त होने की तारीख माना जाना चाहिए ।

2- वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से परामर्श करने पर उसने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी के सेवा-निवृत्ति की अनुमति के आदेश भूत लक्षी प्रभाव से जारी किए जाते हैं जिससे वह उक्त नियम 5 क(1) में उल्लिखित प्रतिष्ठानों में अन्तर्लंघित हो सके तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 की उसकी सदस्यता आदेशों के जारी होने की तारीख से समाप्त मानी जाएगी न कि उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से तदनुसार उक्त योजना की बक्त निधि से अदायगी का उसका दावा निपटा लिया जाना चाहिए ।

3- अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में उनकी जानकारी तथा मार्ग निर्देशन के लिए ला दिया जाए ।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चोपड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार

No.F.15(3)/78-WLP/GIS
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th March, 1985.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Provision of a further option to join the Scheme to employees who had earlier opted to remain out of the Scheme.

In this Ministry's Office Memorandum No.F.15(3)/78-WLP, dated 20.2.1982 and 14.2.1983, a fresh opportunity was allowed to those Central Government employees, who were in service as on 1.11.1980 and had opted to remain out of the Scheme in accordance with the provision contained in para 4.2 of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, to become members of the Scheme from the 1st January, 1983/1984 as stated therein subject to the prescribed conditions.

2. Though a substantial number of these employees have since become members of the Scheme by availing of the opportunity allowed to them, requests are still being received on behalf of employees who initially opted to remain out of the Scheme and did not also avail of the opportunities allowed in February, 1982 and February, 1983 for one reason or the other, for permission to become members of the Scheme now.

3. The matter has been considered and it has been decided to allow a further opportunity to those of the employees who were in service as on 1.11.1980 and who had opted to remain out of the Scheme, to become members of the Scheme from 1.1.1986, if they submit their requests in writing in the enclosed Form No.10 not later than 30th June, 1985 on the following conditions:-

(i) the membership shall commence from the commencement of normal working hours on the 1st January, 1986;

(ii) no insurance cover shall be provided nor any premium shall be recovered therefor until the commencement of the membership; and

(iii) no benefits shall accrue under the Scheme nor any subscription shall be recovered therefor until the commencement of the membership.

4. On receipt of the written request in Form No.10, the Head of Office shall arrange to get the same pasted in the Service Book alongwith the option already exercised and attest the following entry in the Service Book:-

"Membership of the Central Government Employees Group Insurance Scheme. 1980 allowed with effect from

(contd. from pre-page)

1.1.1986 on his written request in terms of Ministry of Finance, Department of Expenditure, O.M.No.F.15(3)/78-WIP/GIS, dated 30.3.1985 .

5. All employees concerned are also hereby informed that no further opportunity will be given to become members of the Scheme, if they again decide to remain out of the Scheme.

(Hindi version is enclosed.)

K Ratan
(K. RATAN)
Deputy Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Department of the Government of India (as per standard list).

No.F.15(3)/78-WIP/GIS. Dated: the 30th March,1985.

Copy forwarded to:-

1. C&AG of India, New Delhi.
2. UPSC, New Delhi,
3. Election Commission, New Delhi.
4. Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt..
5. Supreme Court of India, New Delhi.
6. All State Governments and Union Territory Administrations.
7. Central Vigilance Commission, New Delhi.
8. Commission for S.C.& S.T., New Delhi.
9. Railway Board, New Delhi.
10. President's Sectt./Vice-President's Sectt./Prime Minister's Office/Cabinet Sectt..
11. Office of the Military Secretary to the President.
12. Planning Commission, New Delhi.
13. Secretary, Staff Side, National Council, JCM, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
14. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM.
15. All India Services Division, Deptt. of Personnel &AR.
16. All Integrated Financial Advisers of Administrative Ministries.
17. Controller of Accounts/Pay & Accounts Officers of All Ministries/Departments.
18. Controller General of Accounts, Ministry of Finance,
19. All offices/Branches in the Deptt. of Expenditure,
20. Deptt. of Personnel and AR, (JCM-Estt.C)

K Ratan
(K. RATAN)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

सं0 एफ0 15(3)/78-डब्ल्यू0आई0पी0/जी. आई. एस.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980- जिन कर्मचारियों ने पहले योजना से बाहर रहने का निर्णय लिया था उन्हें इस योजना में सम्मिलित होने के लिए एक और विकल्प देने की व्यवस्था ।

. . . . . .

इस मंत्रालय के 20.2.1982 तथा 14.2.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी. में, ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो 1.11.1980 को सेवारत थे तथा जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के पैरा 4.2. में निहित प्रावधान के अनुसार योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था, निर्धारित शर्तों के अधीन उसमें उल्लिखित प्रकार से । जनवरी, 1983/84 से योजना के सदस्य बनने के लिए एक नया अवसर प्रदान किया गया ।

2. यद्यपि उनको प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाते हुए बहुत बड़ी संख्या में ये कर्मचारी अब इस योजना के सदस्य बन गए हैं, तथापि, ऐसे कर्मचारियों की ओर से, जिन्होंने प्रारम्भ में योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था तथा किसी न किसी कारण से फरवरी, 1982 तथा फरवरी, 1983 में प्रदान किए गए अवसरों का भी लाभ नहीं उठाया, अब इस योजना के सदस्य बनने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अभी भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

3. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि उन कर्मचारियों को, जो 1.11.1980 को सेवारत थे तथा जिन्होंने योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था, 1.1.1986 से योजना के सदस्य बनने का एक और अवसर प्रदान किया जाए बशर्ते कि वे 30 जून, 1985 से पहले संलग्न फार्म सं0 10 में लिखित रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अनुरोध करें :-

(i) सदस्यता 1 जनवरी, 1986 से सामान्य कार्य समय आरम्भ होने से शुरू होगी ;

(ii) सदस्यता आरम्भ न होने तक कोई बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और न ही उसके लिए कोई प्रीमियम वसूल किया जाएगा ; और

(iii) सदस्यता आरम्भ न होने तक इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा और न इसके लिए कोई अंशदान ही लिया जाएगा ।

4. फार्म संख्या 10 में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्यक्ष इसे, पहले से दिए गए विकल्प के साथ, सेवा-पुस्तिका में चिपकवाने की व्यवस्था करेंगे और सेवा-पुस्तिका में निम्नलिखित प्रविष्टि को अनुप्रमाणित करेंगे :

. . . . 2/.

"केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 की सदस्यता के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय-विभाग के दिनांक 30.3.1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी./जी. आई. एस. के अनुसार उनके लिखित अनुरोध पर 1.1.1986 से अनुमति प्रदान की गई।"

5. सभी संबंधित कर्मचारियों को भी एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे पुनः योजना से बाहर रहने का निर्णय करते हैं तो उन्हें योजना का सदस्य बनने का आगे और कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

के. रतन

(के. रतन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी./जी. आई. एस. दिनांक: 30 मार्च, 1985

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। 3. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय।
5. भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन।
7. केन्द्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली।
8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
9. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/मंत्रि-मण्डल सचिवालय।
11. राष्ट्रपति के सैनिक सचिव का कार्यालय। 12. योजना आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, संयुक्त परामर्श दाता तंत्र, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
15. अखिल भारतीय सेवा प्रभाग, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग।
16. प्रशासनिक मंत्रालयों के सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकार।
17. सभी मंत्रालयों/विभागों के लेखा नियंत्रक/वेतन तथा लेखा अधिकारी।
18. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
19. व्यय विभाग के सभी अधिकारी/शाखाएं।
20. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (जे. सी. एम.-संस्था. ग)

के. रतन

(के. रतन)
उप सचिव, भारत सरकार

परिपत्र संख्या 100/1989
क्रमांक 3

Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Updating of the Scheme.

No.F.7(5)-EV/89
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 15th May, 1989

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT:- *Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 -Updating of the Scheme*

The undersigned is directed to invite the attention of all Ministries/Departments of the Central Government to this Ministry's O.M. No.F.15.3)/78-W.II dated 21st October, 1980 circulating Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 which was introduced w.e.f. 1st January, 1982. In view of the numerous clarifications and facilities issued after the introduction of scheme and enhancement in the rates of subscription and sums assured for all the four Groups of employees w.e.f. 1st January, 1989 it has become necessary to update the scheme. Accordingly the scheme has been updated by incorporating all the clarifications/instructions issued so far. A copy of the same is enclosed for information.

2. A few important salient features of the scheme are as under:-

(i) An employee who joins Government service on or after 2nd January of new year shall be enrolled as a member of the scheme on the next anniversary of the scheme. Insurance Cover on payment of premium at the rate of Rs.4.50 for every Rs.15,000/- of insurance cover will be provided from the date of appointment to 31st December as stated in para 6 of the Scheme.

(ii) A member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 cannot simultaneously be a member of any other Group Insurance Scheme.

(iii) Insurance Cover will be paid to the families/heirs of those employees who die due to any cause, including suicide, while in service.

(iv) An employee who joins service on or after 1st February, 1989 will become member of the scheme with the revised rates of subscription and insurance cover.

(v) Those employees who were members of the Scheme on 31st January, 1989 and have exercised their option against the revised rate of subscription and insurance cover, will continue to subscribe in units of Rs.50/- p.m. till they cease to be in Government service on account of retirement, resignation, death etc.

(vi) In the case of a missing employee insurance cover will be paid after the expiry of a period of seven years and subject to the condition prescribed in para 11.4 of the scheme even if the date of superannuation of the missing employee falls before the expiry of seven years.

(vii) Assignment of insurance cover and accumulation in the Savings Fund to a recognised financial institution for the purpose of obtaining loan is permissible even if the loan is required for purchase of a plot of land or a ready built house or for construction of a house which is in the name of a member of the family of the Government employee and not in his/her own name.

(viii) If a member of the scheme dies without leaving any valid nomination the insurance amounts will be paid to the members of family as defined in para 19.3 of the scheme without production of any Succession Certificate. Other legal heirs will, however, be required to produce Succession Certificate.

(ix) Dues recoverable by Government from members of the scheme shall not be adjusted from the amounts payable under the scheme except the loan taken from a recognised financial institution on assignment of insurance cover and Savings Fund amount.

3. Hindi version of this Office Memorandum and the updated scheme is enclosed.

(Anjali Devasher)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list.

Copy to C&AG,UPSC, all State Governments etc., etc. as per standard list.

(Anjali Devasher)
Deputy Secretary to the Govt. of India

CENTRAL GOVT. EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

Date of effect

1. Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 here-in-after referred to as the 'scheme' was notified on 1st Nov., 1980 and came into force with effect from the forenoon of 1st Jan., 1982.

Objective

2. The 'scheme' is intended to provide for the Central Govt employees, at a low cost and on a wholly contributory and self-financing basis, the twin benefits of an insurance cover to help their families in the event of death in service and a lump-sum payment to augment their resources on retirement.

Application

3.1 The 'scheme' shall apply to all Central Govt. servants including those in the Railways, Posts and Telegraphs and Defence except members of the Armed and Para-Military Forces who have already separate schemes of their own. Contract employees, persons on deputation from State Govts., Public Sector Undertakings, or other autonomous organisations, locally recruited staff in the Indian Missions abroad, casual labourer, part-time and ad-hoc employees will not be covered by the 'scheme'. The 'scheme' will also not apply to persons recruited under the Central Govt. after attaining the age of 50 years. Such Central Govt. servants to whom the 'scheme' applies will hereafter be referred to as 'employees'.

3.2 Re-employed Defence personnel availing the extended insurance cover under the Group Insurance Scheme applicable to the members of Armed Forces shall not be eligible to become members of the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 as long as they continue to avail such insurance cover. On expiry of that benefit and subject to fulfilment of the prescribed conditions, these personnel may, on their request, be considered for membership under the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Membership

4.1 The 'scheme' will be compulsory for all those 'employees' who enter Central Govt. service after the 'scheme' is notified i.e., all those 'employees' entering Central Govt. service after 1st Nov., 1980 will be compulsorily covered under the 'scheme'.

4.2 Those 'employees' who were in Central Govt. service on the date the 'scheme' was notified had an option to opt out of the 'scheme' by 31st January, 1981. Those 'employees' who did not opt out of the 'scheme' by that date were deemed to have become members of the 'scheme' from the date the 'scheme' came into force. Those 'employees' who had opted out of the 'scheme' were, however, allowed further opportunities on 20th February, 1982, 14th February, 1983, 30th March, 1985 and 27th October, 1986 to become members of the 'scheme'. The option on all these occasions was to be exercised in Form No.10. No further choice will be available to the employees who failed to avail themselves of the opportunity given on 27th October, 1986.

4.3 After the 'scheme' has come into force all 'employees' who enter service on or after 2nd January of any year shall be enrolled as members of the 'scheme' on the next anniversary of the 'scheme'.

Subscription for members

5.1 The subscription for the 'scheme' will be in units of Rs.10/- p.m. till 31st Dec., 1989. Thereafter, with effect from 1st Jan., 1990 the subscription for the 'scheme' will be in units of Rs.15/- p.m. All those 'employes' who were members of the 'scheme' on 31st Jan., 1989 have an option to opt out of the scheme with subscription units of Rs.15/- p.m. This option should be exercised by 15th June, 1989. Those 'employees' who do not opt out of the 'scheme' with the subscription units of Rs.15/- p.m. by that date will be deemed to have opted for the 'scheme' with the subscription units of Rs.15/- p.m. effective from 1st Jan., 1990. The option once exercised (or not exercised) will be treated as final and no further choice will be available. Other employees who opt out of the 'scheme' with the subscription units of Rs.15/- p.m. will continue to subscribe for the scheme in units of Rs.10/- p.m. till they cease to be in employment with the Central Govt. on account of retirement, resignation, death etc.

5.2 A Group 'D' employee will subscribe for one unit, a Group 'C' employee for two units, a Group 'B' employee for four units and a Group 'A' employee for eight units. Thus, the rate of subscription for a member of the 'scheme' who opts out of the scheme with the subscription units of Rs.15/- p.m. shall be Rs.15/-, Rs.20/-, Rs.40/- and Rs.80/- p.m. for Group 'D', 'C', 'B' & 'A' employees respectively. In the case of other employees, the rate of subscription for the 'scheme' shall be Rs.15/-, Rs.30/-, Rs.60/- and Rs.120/- p.m. for Group 'D', 'C' 'B' & 'A' employees respectively.

5.3 In the event of regular promotion of an employee from one Group to another, his/her subscription shall be raised, from the next anniversary of the 'scheme', to the level appropriate to the Group to which he/she is promoted. Until the date of next anniversary of the 'scheme' he/she shall continue to be covered for insurance for the same amount for which he/she was eligible before such promotion.

For example, if the revised rates of subscription come into force w.e.f., 1st Jan., 1990, a Group 'D' employee promoted on regular basis to Group 'C' in Feb., 1990 shall continue to subscribe at the rate of Rs.15/- p.m. upto Dec., 1990 and be eligible for the insurance cover of Rs.15,000/- only in addition to the benefits from the Savings Fund appropriate to his subscription. From Jan., 1991 his subscription will be raised to Rs.30/- p.m. and he will become eligible for an insurance cover of Rs.30,000/- in addition to appropriate benefits from the Savings Fund.

5.4 Sometimes 'regular' promotion, e.g., on 'unit further duties' basis cannot be made for various reasons even though it is known that the promotion of the individual is likely to continue on a long term basis. Therefore, unless a promotion has been made for a specified or short period and expected that the employee would revert to a post in a lower group at the end of that period, he/she should be treated to have been promoted, for the purpose of the 'scheme', on a regular basis and subscription should be recovered accordingly. The question, whether an employee is likely to revert to a post in the lower Group may be decided by the administrative authorities in their discretion, taking into consideration the circumstances of each case. Once a person has been admitted to a higher Group, the rate of subscription will continue at the same level, even if that person reverts to a post in the lower Group later on for any reason.

Premium and insurance cover for 'employees' other than members.

6 The 'employees' entering service on or after 2nd Jan., of any year will be given benefit of appropriate insurance cover from the date of joining Govt. service to the date of their becoming members of the scheme on payment of a subscription of Rs.4.50 p.m. as the premium for every Rs.15,000/- of the insurance cover. From the date of anniversary of the 'scheme' they will subscribe at the rate indicated in para 5.2 above.

For example, if the revised rates of subscription come into force w.e.f., 1st Jan., 1990, a Group 'D' employee entering service in Feb., 1990 shall pay a subscription of Rs.4.50 p.m. as premium for an insurance cover of Rs.15,000/- for a period of 11 months upto Dec., 1990 and from Jan., 1991 his subscription will be raised to Rs.15/- p.m. and he shall become eligible for the benefits from Savings Fund in addition to the insurance cover of Rs.15,000/-. Similarly a Group 'C' employee entering service in Feb., 1990 will pay a subscription of Rs.9/- p.m. as the premium for an insurance cover of Rs.30,000/- for a period of 11 months upto Dec., 1990 and from Jan., 1991 his subscription will be raised to Rs.30/- p.m. and he shall become eligible for the benefits from the Savings Fund in addition to insurance cover of Rs.30,000/-.

Insurance Fund and Insurance Cover for [illegible]

7.1 In order to provide an insurance cover to [illegible] the scheme a portion of the subscription shall [illegible] insurance fund to be held in the Public Account of the [illegible]. The amount of insurance cover will be Rs.15,000/- for each unit of subscription of Rs.15/- p.m. and Rs.10000/- for each unit of subscription of Rs.10/- p.m. It will be paid to the [illegible] of those employees who unfortunately die due to any cause, including suicide, while in Central Govt. service.

7.2 The positive and negative balances under the Insurance Fund shall be credited or debited, as the case may be, with the amount of interest calculated on the prevailing rate of interest on the Post Office Savings Bank Deposits, which at present is 5 1/2 % per annum.

Savings Fund

8.1 The balance of the subscription shall be credited to a Savings Fund. The amount in the Savings Fund will be held by the Central Govt. in Public Account. The total accumulations at Savings together with interest thereon will be payable to the member on [illegible] retirement after attaining the age of superannuation or on cessation of his employment with the Central Govt. or to his family on his death while in service.

8.2 The actual benefits from the Savings Fund will be as [illegible] in the Table to be issued for each year. The Table [illegible] constructed on the basis of individual's subscription reduced [illegible] cost of insurance at mortality rate of 2.00 per thousand per [illegible] and the compound interest at the rate of 12% per [illegible] (compounded quarterly). If at any time the rate of interest changes and/or the cost of insurance changes, the benefits available from the Savings Fund will suitably change correspondingly.

8.3 In the case of death of a member while in service, [illegible] payment of the amount of insurance will be in addition to the payment from the Savings Fund.

8.4 The positive balance under the Savings Fund shall be credited with the amount of interest calculated at the rate of interest notified by the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, for the purpose.

8.5 Interest was allowed at 10% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for the period from 1st Jan., 1988 to 31st Dec., 1988 and at 11% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for the period from 1st Jan., 1989 to 31st Dec., 1989. Interest is allowed at 12% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund w.e.f., 1st Jan., 1990.

Recovery of subscription

9.1 The subscription of a member for a month shall fall due at the commencement of the normal working hours on the 1st of that month.

9.2 The subscription as a premium for the insurance cover [illegible] the date of joining Govt. service to the date of membership of the 'scheme' shall initially fall due from the date of joining and subsequently from the commencement of normal working hours on the 1st of every month.

9.3 The subscription for a month shall be recovered by reduction from the salary/wages of the 'employee' for that month irrespective of the date of actual payment of salary/wages for that month.

9.4 The subscription shall be recovered every month for which the month in which the 'employee' ceases to be in employment on account of retirement, death, resignation, removal, etc., from service.

9.5 The Drawing and Disbursing Officer shall recover the subscription from the 'employee' irrespective of their being on duty, leave or suspension.

9.6 No interest shall be levied on arrears of subscription if the non-recovery is due to delayed payments of salary/wages.

9.7 If an employee is on extraordinary leave and there is no payment of his salary/wages for any period, the subscriptions for the months for which no payments of salary/wages are made to him shall be recovered with interest (as fixed by the Government from time to time) in the manner prescribed in the scheme on the occasions to the Savings Fund or not more than three instalments commencing from his salary/wages for the months following the month in which he resumes duty after leave. If an employee dies while on

extraordinary leave the subscription due from him shall be recovered with interest rounded to the nearest whole rupee admissible under the 'scheme' on the accretions to the Savings Fund from the payments admissible to his family under the 'scheme'.

For example, if a Group 'D' employee proceeds on 180 months' extraordinary leave from 5.7.1990 to 4.1.2005 and no salary/wages is paid to him for any day for March, 1990 to [illegible] 1990, the subscriptions totalling Rs.1350/- will be recovered [illegible] with the interest calculated at the compound rate of interest of 12% per annum in not more than three installments commencing from Jan. 1991.

9.8 If an employee proceeds on deputation or on foreign service the borrowing authority/foreign employer shall be requested to effect the recovery of the subscription and credit the same to the relevant head of account. It shall be ensured that the necessary clause to this effect is included in terms of deputation/foreign service. The recovery of this amount will be watched in the same manner as applicable to leave salary and pension contribution. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the 'scheme' on the accretions to the Savings Fund in not more than three installments.

Finance of subscription from General/Contributory Provident Fund

10.1 It will not ordinarily be permissible to finance the 'scheme' from the General/Contributory Provident Fund. However, if at any stage the position of an individual member does not permit him to subscribe to the 'scheme' and to the General/Contributory Provident Fund at the same time, he may be permitted to make as a separate transaction a non-refundable withdrawal from the General/Contributory Provident Fund of an amount equivalent to a year's subscription paid for the 'scheme'.

10.2 The subscription to the 'scheme' will form part of the deduction allowable in respect of life insurance premia, contributions to Provident Fund etc., in computing the total income of the subscriber for the purpose of income-tax, except to the extent of the amount finally withdrawn from the General/Contributory Provident Fund on account of such subscription.

Payments from Insurance Fund / Savings Fund

11.1 If an 'employee' retires on attaining the age of superannuation or otherwise ceases to be in Central Govt. Service and his service book discloses that he has been the member of the 'scheme', the Head of Office shall issue a sanction for the payment of the member's accumulation in the Savings Fund after obtaining a simple application in Form No.4.

11.2 If an 'employee' dies while in service and his service book discloses that he was a member of the 'scheme' the Head of Office shall address the nominees/heirs of the Govt. servant concerned in Form No.5 to submit an application in Form No.6 and on receipt thereof shall issue sanction for the payment of the amount of insurance and the accumulation in the Savings Fund to him (them).

11.3 In the event of death of a member of the 'scheme' while in service, if a person, who is eligible to receive insurance amounts, is charged with the offence of murdering the member of the 'scheme' or abetting in the commission of such an offence, his/her claim to receive insurance amounts shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against such a person. If, on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is convicted for the murder or abetting in the murder, he/she shall be debarred from receiving his/her share of insurance amounts, which shall be paid in equal shares to other eligible persons. However, on the conclusion of the criminal proceedings, if the person concerned is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder, his/her share of insurance amounts shall be paid to him/her without any interest thereon.

11.4 If a member of the 'scheme' is missing and has not been traced, the insurance cover shall be paid to the nominees/heirs of the missing person after expiry of a period of 7 years following the month of disappearance of the member provided the claimants produce a proper and indisputable proof of death or a decree of the court that the employee concerned should be presumed to be dead as laid down in Section 108 of the Indian Evidence Act. The accumulation in the Savings Fund may, however, be paid to the nominees/heirs after lapse of a period of one year following the month of disappearance subject to the fulfilment of the following conditions:-

i) The family must lodge a report with the concerned Police Station and obtain a report that the employee has not been traced after all efforts had been made by the police.

ii) An Indemnity Bond should be taken from the Nominees/heirs of the employee that all payments shall be adjusted against the payment due to the employee in case he/she appears on the scene and makes any claim.

11.5 Full subscription at the rate applicable on the date of disappearance of the employee will continue to be recovered every month from the nominees/heirs of the missing employee for a period of one year following the month of disappearance. Thereafter premium for insurance cover at the rate of Rs.4.50 per month for every Rs.10000/- of the insurance cover will be recovered for a further period of six years or till the month in which equated cover is paid, whichever is later. It will, however, be permissible to recovery of full subscription for one year together with interest thereon at the rate admissible on the accumulations in the Savings Fund is made from the Savings Fund amount to be paid after six year. Similarly, premium for the next six years at the rate of Rs.7.50 per month for every Rs.10000/- of the insurance cover may also be recovered together with interest thereon at the rate applicable to the accumulations in the Savings Fund from the insurance amount to be paid after expiry of the period of seven years following the month of disappearance.

11.6 Insurance amount shall be paid to the nominees/heirs of the missing employee subject to the fulfilment of the conditions mentioned in para 11.4 even if the date of superannuation of the missing employee falls before the expiry of the period of seven years following the month of disappearance.

11.7 The amount payable to the nominees/heirs of a 'employee' who has the benefit of an insurance cover only will be the amount of insurance appropriate to his Group.

11.8 The amount payable to the nominees/heirs of a member of the 'scheme', who dies while in service shall be:-

a) The amount of appropriate insurance to which he was entitled at the time of his death; plus

b) the amount due to him out of the Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group; and

c) the amount in the Fund due to him for the additional [illegible] by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Grade for the period from which the rate of subscription was raised to the date of his death.

Example - 1

If a Group 'D' employee who is a member of the scheme since Jan., 1984 acquires membership in Group 'C' and Group 'B' after 5 years and 15 years of service respectively and dies within 10 years after 30 years of total membership in all these Groups, his nominee (s) shall be paid the sum of the following amounts:-

i) The amount of insurance of Rs.60,000/- due on a monthly subscription of Rs.60/- being a Group 'B' employee on the date of his death;

ii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10/- from Jan., 1984 to Dec., 1989 and monthly subscription of Rs.15/- from Jan., 1990 to Dec., 2013 (total 30 years);

iii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.10 (Rs.20-Rs.10) from Jan., 1984 to Dec., 1989 and monthly subscription of Rs.15/- (Rs.30-Rs.15) from Jan., 1990 to Dec., 2013 (total 25 years);

iv) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.30/- (Rs.60-Rs.30) from Jan., 1990 to Dec., 2013 (total 15 years).

Example -2

If a Group 'D' employee who becomes a member of the 'scheme' since Jan., 1990 acquires membership of Group 'C', Group 'B' and Group 'A' after 5 years, 15 years and 20 years

service respectively and dies while in service after 31 years of total membership in all these Groups, his nominee (s) shall be paid the sum of the following amounts:-

i) The amount of insurance of Rs.1,20,000/- due on a monthly subscription of Rs.120/- for a Group 'A' employee on the date of his death;

ii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.15/- for 31 years;

iii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.15/- (Rs.30-Rs.15) for 26 years;

iv) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.30/- (Rs.60-Rs.30) for 16 years;

v) The amount due from Savings Fund on a monthlysubscription of Rs.60/- (Rs.120 -Rs 60) for 1 year.

11.9 The amount payable to the employee who ceases to be in employment with the Central Govt. on account of resignation, retirement, etc., shall be :-

a) The amount due to him from Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group; and

b) The amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment, promotion to higher Group, for the period from which the rate of subscription was so raised to the date of cessation of his membership.

Example -1

If a Group 'C' employee who is a member of the 'scheme' since Jan., 1983 acquires membership in Group 'B' and Group 'A' after 10 and 20 years of service respectively and retires on super-annuation after 30 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts:-

i) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.20/- from Jan., 1983 to Dec., 1992 and monthly subscription of Rs.20/- from Jan., 1993 to Dec., 2012 (total 30 years).

ii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.30/- (Rs.60-Rs.30) from Jan., 1993 to Dec., 2012 (total 20 years).

iii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.60/- (Rs.120-Rs.60) from Jan.,2003 to Dec., 2012 (total 10 years).

Example -2

If a Group 'D' employee who becomes a member of the scheme in Jan. 1991 acquires membership in Group 'C' and Group 'B' after 15 and 25 years of service respectively and retires on super-annuation after 32 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts:-

i) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.15/- for 32 years;

ii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.15/- (Rs.30-Rs.15) for 17 years; and

iii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs.30/- (Rs.60-Rs.30) for 7 years.

11.10 If any 'employee' dies during a month before the recovery of subscription for that month from him, his dues shall be paid after deducting the subscription.

11.11 If any 'employee' joins later on an All India Service, his case shall be regulated in such a manner as may be decided by the Ministry of Finance.

Withdrawals from Insurance Fund/Savings Fund

12.1 It will not be permissible for any member or beneficiary of the 'scheme' to withdraw any amount out of the insurance fund to which he has been subscribing. The amount due from the fund on the death of a member of the 'scheme' while in service shall be worked out in accordance with para 11.8 and paid to his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

12.2 It will not be permissible for any member of the 'scheme' to withdraw any amount out of the Saving Fund, to which he has been subscribing. The amount due to him from the fund on his cessation of employment on account of resignation, retirement, etc., shall be worked out in accordance with para 11.9 and paid to him, his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

Loans/advances from or against accumulations in Insurance Fund/Savings Fund.

13.1 No loans or advances shall be paid to any member or other beneficiary of the 'scheme' from his/her accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund to which he/she has been subscribing.

13.2 A member of the 'scheme' who has obtained House Building Advance from the Govt. can assign his/her insurance cover and accumulation in the Savings Fund to a recognised financial institution for the purpose of obtaining additional loans for acquiring a plot of land or a ready built house/flat or for building a house/flat. Permission for assignment of the insurance cover and accumulation in the Savings Fund may be given with the specific approval of the Head of Deptt., if the member of the 'scheme' makes a request in writing in Form No.11, subject to the condition that the total amount of House Building Advance sanctioned by the Govt. and the loan raised by the member from the financial institution taken together shall not exceed the cost ceiling limits prescribed by the Ministry of Urban Development.

13.3 If a member of the 'scheme' has a plot of land in the name of any member of his/her family and proposes to construct a house on that plot of land or if a member of the 'scheme' proposes to acquire a ready built house/flat or a plot of land in the name of any member of his/her family, he/she will be permitted to assign his/her insurance cover and accumulation in the Savings Fund for obtaining loan from a recognised financial institution.

13.4 The Head of Deptt. will communicate his permission for assignment of the insurance cover and accumulation in Savings Fund to the 'employee' in Form No. 12. The request of the 'employee' in Form No.11 and communication of permission in Form No. 12 will be pasted in the service record of the employee with the following entry in the service record in red ink:-

"(Name of the employee) has been allowed at his/her request to assign his/her insurance cover and Savings Fund accumulation under the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 to (the name of the recognised financial institution)

vide letter No.....Dt.....".

13.5 At the time of the settlement of the claim of the 'employee' or his/her nominee(s) under the 'scheme' the amount claimed by the financial institution as due from the employee on account of loan will be paid to the institution without any detailed scrutiny and only the balance amount, if any, will be paid to the employee or his/her nominee(s).

Utilisation of accumulations in Insurance Fund/Savings Fund.

14. The accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund shall be at the disposal of the Central Govt. Since the 'scheme' is wholly self-supporting and self-financing, the bulk of these accumulations are proposed to be utilised for ownership housing schemes and other schemes for the benefit of the members of the 'scheme'.

Mode of notification of the scheme

15. The 'scheme' shall be notified to the 'employees' by displaying a copy thereof on the notice board or where no such notice board is provided at a prominent place in a premises where the employees are working. A few copies of the 'scheme' may also be supplied to the recognised unions/associations of the employees.

Action on notification of the 'scheme'.

16. By the 10th of every month following the month in which the 'scheme' is notified, the Head of Office shall supply to the Drawing & Disbursing Officer names, Groups, dates of birth and date of appointment of persons who may be appointed to any service or post under the Central Govt. during the preceding month and who

would be eligible to be the members of the 'scheme' in terms of para 3.0 of the 'scheme'.

Action on the 'scheme' coming into force.

17.1 By the 10th of the month in which the 'scheme' came into force the Head of Office had to supply to the Drawing & Disbursing Officers a statement indicating the name, Group and the date of birth of every 'employee' who had been in the Central Govt. service on the date the 'scheme' was notified, but had not opted out of the 'scheme'.

17.2 Every member of the 'scheme' shall be informed in Form No.1 the date of his enrolment, the subscription to be deducted and the benefits to which he would be eligible. On his regular promotion from one Group to another he will be similarly informed in Form No.2.

17.3 The option exercised by the 'employees' who were already in Central Govt. service on the date the 'scheme' was notified was to be in Form No.3 which had to be pasted in the service book of the individuals concerned.

Register of members:-

18. The Head of Office shall ensure that Group-wise register of member is maintained in the Form No.9 and kept up to date. This register shall be sent to the D.D.O concerned once a year to verify whether appropriate subscriptions are being recovered from all employees who have joined the insurance fund or both the Insurance Fund and the Savings Fund under the 'scheme' and to record a certificate to this effect.

Nominations:-

19.1 The Head of Office shall obtain from every member of the 'scheme', a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may become payable under this 'scheme' in the event of his/her death before attaining the age of superannuation. In the case of 'employees' who join Central Govt. service after the date on which the 'scheme' is notified such nomination shall be obtained alongwith joining report.

19.2 If a member of the 'scheme' happens to be minor, he/she will be required to make nomination on his/her attaining the age of majority.

19.3 If a member of the 'scheme' has a family at the time of his/her making the nomination he/she shall make such nomination only in favour of a member or member(s) of his/her family. For this purpose, family will have the same meaning as assigned to it in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 or Contributory Provident Fund Rules(India) 1962, as the case may be.

19.4 If a female member of the 'scheme' by notice in writing to the Head of Office expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of her family in matters to which the 'scheme' relates, unless she subsequently cancels such notice in writing.

19.5 If nominated member(s) of family subsequently cease to be the member(s) of the family, e.g., minor brother crossing the age of minority, marriage of unmarried sister, remarriage of widow before payment of insurance amounts, etc., nomination made in favour of such member(s) shall become invalid.

19.6 If a member nominates more than one person, he/she should specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominee(s) in such a manner as to cover the whole of the amount payable under the 'scheme' failing which the amount payable under the 'scheme' shall be equally distributed among the nominees.

19.7 The nomination shall be made in Form No.7 or Form No.8 as is appropriate in the circumstances.

19.8 A member of the 'scheme' may at any time cancel a nomination by sending a notice to the Head of Office along with a fresh nomination made in accordance with the above provision.

19.9 The nomination received from the members shall be counter-signed by the Head of Office and pasted in their service books. The Head of Office shall also make an entry in the service book that the nomination has been duly received.

19.10 If a member of the 'scheme' dies without leaving behind a valid nomination, the nomination, if made under GPF/CPF Rules may be accepted for the purpose of this 'scheme' also. Where there is no nomination even for GPF/CPF accounts, amounts payable under this 'scheme' shall be paid as follows:-

a) The entire amount may be paid in equal shares to widow/widows, minor sons and unmarried daughters provided that in the case of more than one widow the second and subsequent marriages were solemnised with the permission of Central Govt. In the case of minor sons and daughters their mother, who is not a Muslim lady, shall be deemed to be the natural guardian to receive the amount due. Guardianship Certificate has to be produced by the minor sons and daughters of a Muslim lady.

b) In the absence of member(s) eligible under (a) above, the payment may be made in equal shares to other members of the family as defined in General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960/Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

c) In the absence of member(s) eligible under (b) above also, payment may be made to other legal heir(s) not covered by items (a) &(b) above.

19.11 In the case of claimants covered by items (a) & (b) in para 19.10 the payment will be made by the Head of Office without insisting on production of Succession Certificate but in the event of payment to the claimants covered by item(c) in para 19.10 Succession Certificate issued by a competent court will have to be produced.

20. Central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977:-

Central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977 introduced by the Dept. of Expenditure O.M. No.60/14/77-IC dated 23rd June, 1977 will continue for those 'employees' who have opted out of the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 till they cease to be in employment with the Central Govt. on account of retirement, resignation, death, etc.

Accounting

21.1 The transactions relating to the 'scheme' shall be accounted for in accordance with the procedure laid down separately.

21.2 Govt. dues recoverable from a member of the 'scheme' shall not be adjusted from the amounts payable under this 'scheme' except as provided in para 13.5.

Interpretation and Clarification:

22.1 If any categories of 'employees' are not specifically classified into Group 'A', Group 'B', Group 'C' or Group 'D' their classification shall be assumed in accordance with the principles laid down in this regard under the Central Civil Service(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

22.2 In the actual implementation of the 'scheme' if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the 'scheme' or if any point requires clarification, the matter may be referred to the Ministry of Finance, whose decision shall be final.

Review of the 'scheme'

The working of the 'scheme' will be reviewed every three years to ensure that the 'scheme' remains self-financing and self-supporting.

Form No.1

Government of India
Ministry of .....
Department/Office .....

Dated .....

MEMORANDUM

Shri .....
.....a Group.....
employee has been enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 w.e.f. .....His monthly subscription of Rs. .....
(Rupees .....) shall be deducted from his salary/ wage commencing from the month of .....
and he will be eligible to the benefits of the scheme applicable to Group..... w.e.f. .....

(Head of Office)

To

Shri .....
Name and designation of the employees

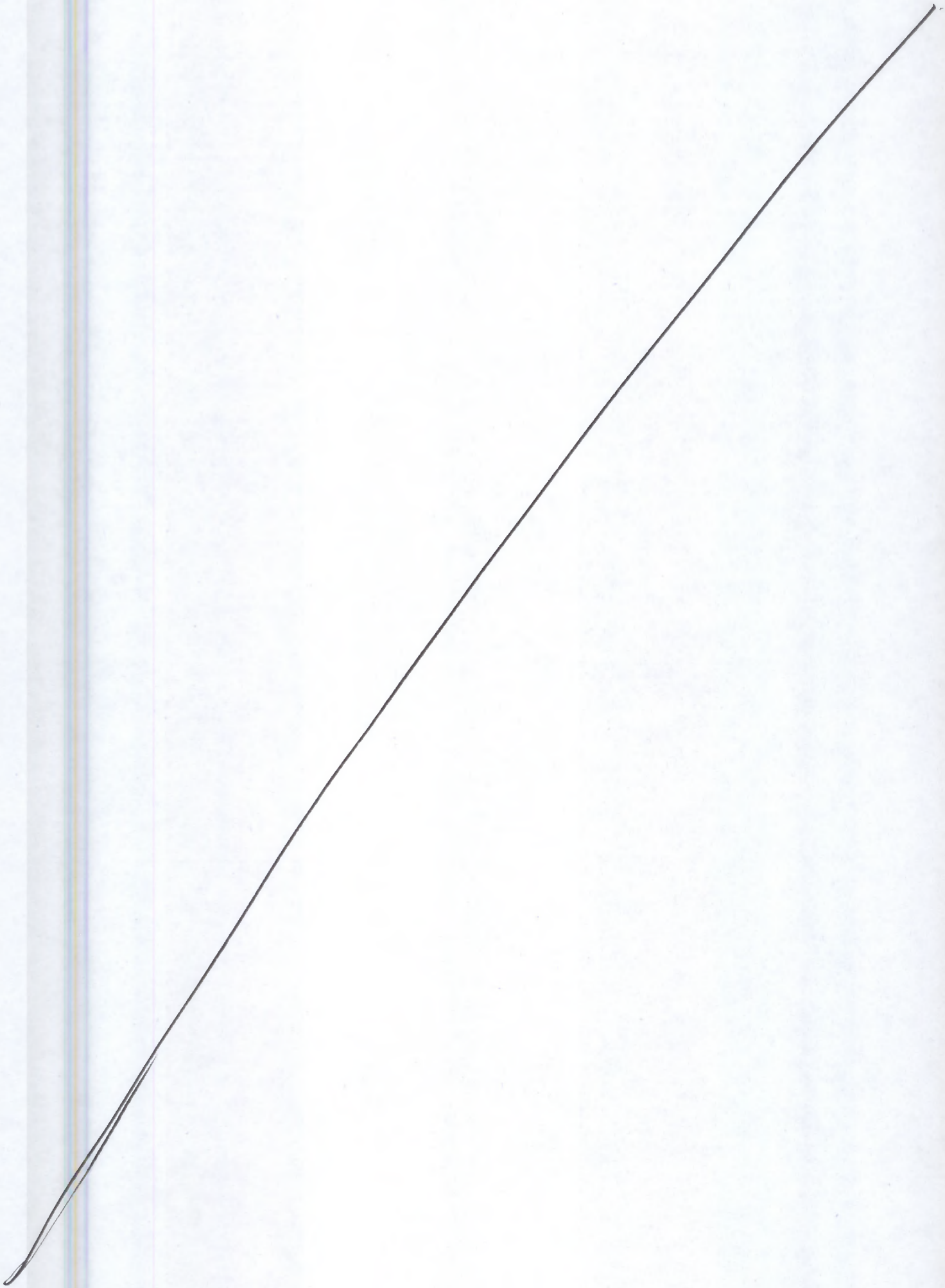

IMMEDIATE

No.45030/1/89-IPS.II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi Dated 30 Jan.,1989

As per list attached.

SUB:- CGEGI Scheme, 1980- Submission of claim alongwith pre-receipted bill, in duplicate in respect of IPS Officers who retires from service or dies while in service or otherwise ceases to be in service to the Central Govt.

...

Sir,

I am directed to refer to Deptt. of Personnel and A.R., Ministry of Home Affairs letter No.110/25/84-AIS(II), dated 6.3.1984 regarding transfer of work under CGEGI Scheme, 1980 pertaining to IPS to the Police Division of Ministry of Home Affairs. It has also been mentioned in this letter that the claim for payment in the prescribed form in respect of IPS officers need not to be forwarded to DPAR, instead the same may please be forwarded to the Police Division of Ministry of Home Affairs.

2. However, it has been observed that some state Govts continue to send the claim alongwith pre-receipted bill to different offices of the Govt. of India leading to avoidable delay in making the payment. It is, therefore requested that the claims alongwith pre-receipted bill, in duplicate duly signed by the officer and counter signed by D.D.O in respect of IPS Officers may be forwarded to US(IPS), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110 001, for making payment under CGEGI Scheme.

AUTHURISED FOR ISSUE

SECTION OFFICER

Yours faithfully,

(RAJESH KR. JAIN)
SECTION OFFICER

S.No.

1. The PAO,Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
2. The Home Secretary,Home(Police)Deptt. of Assam, Dispur.
3. The Home Secretary,Home(Police) Deptt., Govt. of Meghalaya, Shillong.
4. The Home Secretary, Home(Police) Deptt. Govt. of Bihar,Patna.
5. The Accounts Officer, Directorate of Accounts & Treasuries, Guzarat State,O.P.D. Building, New Civil Hospital,Asarwara, Ahmedabad-380016.
6. The Chief Secretary, Home(Police) Deptt., Govt. of Haryana, AIS(GIS) Cell, Chandigarh.
7. The Commissioner-cum-Secretary(Per), Govt. of Himachal Pradesh, Deptt. of Personnel, Accounts Wing, Shimla-171 002.
8. The Home Secretary,Home(Police) Deptt., Govt. of Jammu & Kashmir, Jammu.
9. The Under Secretary,DPAR(Accounts),Govt. of Karnataka,Vidhana Soudha, Bangalore.
10. The Secretary, Govt. of Kerala, Genl. Admn.(Accts.J) Deptt., Trivandrum.
11. The Secretary,Home (Police) Deptt., Govt. of Mahdya Pradesh, Bhopal.
12. The Secretary, Home(Police) Deptt., Govt. of Maharashtra, Bombay.
13. The Home Secretary,Home(Police),Deptt., Govt. of Manipur, Imphal.
14. The Secretary, Appointment & Services Deptt., Govt. of Tripura, Agartala.
15. The Home Secretary, Home(Police) Deptt., Govt. of Orissa, Bhubaneswar.
16. The Superintendent, Welfare & Accounts, O/O Director General, of Police, Punjab, Chandigarh.
17. The Director, Govt. of Rajastham State Insurance & P.F. Deptt. Rajasthan,Jaipur.
18. The Secretary, Home Deptt. Govt. of Sikkim, Gangtok.
19. The Director of Treasuries and Accounts, 485, Anna Salai, Nandanam, Madras-600009.
20. The Joint Director, State Employees Group Insurance Directorate, CGEGI Scheme, Vikas Deep.4th Floor, (6th Lavel), 22, Station Road, Lucknow.
21. The Accounts Officer, Govt. ofWest Bengal,West Bengal Sectt., Finance Deptt., Accounts Branch, Calcutta.
22. The Home Secretary(Home Deptt.),Delhi Admn. Delhi.
23. UIS Section,MHA.

.....

पत्रावली संख्या 10/85

क्रमांक-1

सं0एस0 7(5)-संस्था0 IV/89

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दि. 15 मई, 1989

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 – योजना को अद्यतन बनाना ।

मुझे केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस मंत्रालय के 31 अक्तूबर, 1980 के का0ज्ञा0 सं0 एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू0आई0पी0 की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 परिचालित की गई थी जो 1 जनवरी, 1982 से चालू की गई थी । इस योजना के चालू होने के बाद जारी हुए बहुत से स्पष्टीकरणों/अनुदेशों तथा पहली जनवरी, 1990 से कर्मचारियों के सभी चारों समूहों के लिए अंशदान तथा बीमा-रक्षण की दरों में वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि योजना को अद्यतन बनाया जाए । तदनुसार, अब तक जारी किए गए सभी स्पष्टीकरणों/अनुदेशों को समाविष्ट करके योजना को अद्यतन बनाया गया है तथा उसकी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की जाती है ।

2. इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(i) कोई भी कर्मचारी जो किसी भी वर्ष के 2 जनवरी अथवा उसके बाद की किसी तारीख को सरकारी सेवा में आता है तो उसे योजना की अगली वर्षगांठ पर योजना का सदस्य बनाया जाएगा । बीमा-रक्षण की प्रत्येक 15,000/- रु0 की राशि के लिए 4.50 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमा-रक्षण नियुक्ति की तारीख से 31 दिसम्बर तक दिया जाएगा जैसाकि इस योजना के पैरा 6 में उल्लिखित है ।

(ii) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 का कोई सदस्य एक ही समय में किसी अन्य समूह बीमा योजना का सदस्य नहीं हो सकता ।

..2/-

III: बीमा रक्षण का भुगतान उन कर्मचारियों के परिवारों/ उत्तरा-धिकारियों को किया जाएगा जिनकी सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है जिसमें आत्म-हत्या का कारण भी सम्मिलित है ।

IV: कोई भी कर्मचारी, जो 1 फरवरी, 1989 या उसके बाद सेवा में आता है तो वह अंशदान और बीमा-रक्षण की संशोधित दरों पर इस योजना का सदस्य बनेगा ।

V: वे कर्मचारी, जो 31 जनवरी, 1989 को इस योजना के सदस्य थे तथा उन्होंने अंशदान और बीमा-रक्षण की संशोधित दरों के विरुद्ध अपना विकल्प दिया है, वे 10/-रु० प्रतिमाह की यूनिट में अपना अंशदान देना तब तक जारी रखेंगे जब तक वे सेवा-निवृत्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण सरकारी सेवा छोड़ नहीं देते ।

VI: लापता कर्मचारी के मामले में बीमा-रक्षण 7 वर्षों की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद ही अदा किया जाएगा और यह इस इस योजना के पैरा 11.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा भले ही लापता कर्मचारी की अधिनर्धारिता की तारीख 7 वर्षों के समाप्त होने से पहले ही क्यों न पड़ती हो ।

VII: ऋण लेने के लिए बीमे की राशि और बचत निधि में संचित राशि का भारग्रस्तताप्राप्त संस्थान को समनुदेशन अनुज्ञेय है भले ही ऋण की आवश्यकता उस प्लाट को खरीदने या तैयारशुदा मकान खरीदने अथवा मकान निर्माण करने के लिए हो जो सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के नाम पर हो, उसके अपने नाम पर नहीं ।

VIII: यदि योजना के सदस्य की किसी वैध नामांकन के बिना मृत्यु हो जाती है तो बीमे की राशि किसी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना परिवार के सदस्यों को दे दी जाएगी जैसाकि स्कीम के पैरा 19.3 में निश्चित किया गया है तथापि अन्य वैध दावेदारों के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

...3/-

1×§ योजना के सदस्यों से सरकार द्वारा वसूली योग्य प्राप्य राशियां बीमा-रक्षण और बचत निधि राशि के समनुदेशन पर सान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को छोड़कर, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में से समायोजित नहीं की जाएंगी ।

अंजली दवेशर

§ अंजली दवेशर §
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को मानक सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि - नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को मानक वृष्ठांकन सूची के अनुसार । प्रेषित ।

अंजली दवेशर

§ अंजली दवेशर §
उप सचिव, भारत सरकार

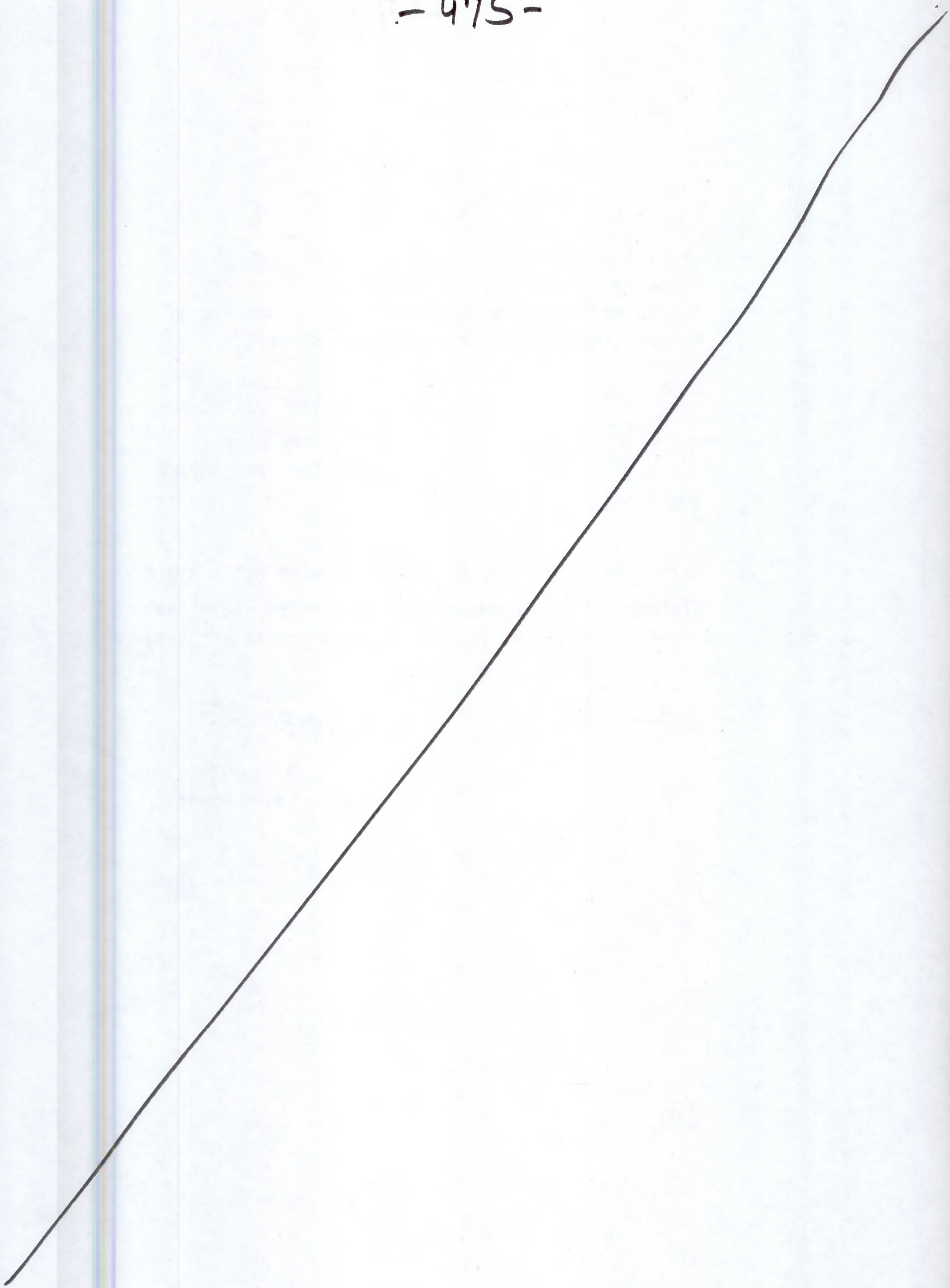

No.11024/1/99-AIS(II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, the 22nd May, 2003

To

The Chief Secretaries of all the
State Governments/UTs

Subject:- Simplification of procedure for payment of insurance/saving fund to the members of the All India Services on their retirement/death under the All India Services(Group Insurance) Rules, 1981

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 10th October, 2001 on the subject mentioned above and to state that the All India Services(Group Insurance) Rules, 1981 were framed under the All India Services Act in which provisions of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 were made applicable *mutatis mutandis* to the members of the All India Services. Accounting procedure relating to Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 as extended to All India Services was issued under the Government of India's instructions issued in the aforesaid rule. The matter of simplification of the aforesaid procedure for payment of insurance/saving fund to the members of the All India Services on their retirement/death has been under consideration of this Department.

2. After consultations with the Governments of States/UTs it has been decided that payment of the insurance/saving fund to the members of the All India Services on their retirement/death while serving in the State Government may be made by the concerned State Government and the amount so paid will be reimbursed from the concerned Central Ministries/Departments controlling the respective All India Services. Payment of the insurance/saving fund to the members of the All India Services under the aforesaid rule, while serving under the Central Government may be made by the respective Ministry/Department controlling the service on receipt of receipted bill from the Central Government office where they were serving at the time of retirement/death. Accordingly, the following changes have been made in the existing accounting procedure under the aforesaid rule:-

(i) In case of All India Services Officers serving in the State Governments the following accounting entries will be made by the State Governments:-

On payment of dues, the following head of account will be debited:
8658 Suspense Accounts
123 - All India Service (Group Insurance Scheme) Payment of dues to beneficiaries. (new sub head to be opened)

After payment, the Accountant General/Accounts Officer of the State Government, as the case may be, should raise claims against the concerned PAO of the DOPT/Ministry of Home Affairs/Ministry of E&F. On receipt of cheque thereof, the same should be classified as "minus debit" under the above head of account.

On receipt of claim on account of payments of dues made to the beneficiaries as above, the PAO concerned, [PAO(DOPT), PAO(MHA), PAO(E&F)] will exercise necessary checks with reference to the records maintained by him (and if required, in consultation with the administrative Ministry/Department concerned) and send a cheque in settlement of the claim to the concerned Accountant General/Accounts Officer of the State Government by debiting the relevant sub-heads under the major head of account "8011-Insurance and Pension Funds" as the case may be.

(ii) In the case of members belonging to Union Territory Cadres, the payments can be made by the respective Union Territories as in the case of State Governments. As they are allowed to operate the heads of account under Public Account of India, the payments can be booked to the final heads of account i.e. "MH-8011-Insurance and Pension Fund" by UT Administration themselves. However, a statement of payments made by them with details thereof as in Annexure 1(copy enclosed) to the Accounting Procedure notified in this Office Memorandum dated 26.12.1981 should be sent on half yearly basis to PAOs of DOPT, Ministry of Home Affairs and Ministry of Environment and Forests so as to enable them to maintain details in the prescribed proforma. Even if no payment is made a 'Nil' statement should be sent to the above mentioned PAOs, who should watch receipt thereof.

(iii) In the case of AIS officers on deputation to Centre, claims for payment would be processed in terms of Note below para 6 of Accounting Procedure notified in this Office Memorandum dated 26.12.1981 by the DDO of the Ministry/Department in which he was serving through DOPT/MHA/Min. of E&F and their PAOs (who shall exercise necessary pre-checks), as the case may be, under intimation to designated officers of the States/Uts concerned in terms of Note below para 6 of Accounting Procedure notified in this Office Memorandum dated 26.12.1981. Suitable entry shall be made in Col. 6 of Annexure-I-Part II and III.

(iv) In case of AIS officers of UT/State cadre on foreign service or deputation(other than Central Government) or working in another State Government the claim will be processed by designated officer/DDO of the parent cadre as per (i) above.

(v) In case of members of AIS officers borne on State/Joint UT Cadre working in Academy, etc. and the AIS probationers on training, the claim will be processed by concerned Institute and settled as per procedure in (ii) above.

5. All the State Governments are requested to take further necessary action in this regard.

Yours faithfully,

(Sangeeta Singh)
Director(S)
26/8/03

Copy to:-

1. Ministry of Home Affairs, Joint Secretary(Police), North Block, New Delhi.

2. Ministry of Environment and Forests, (Shri R. Chandramohan, Joint Secretary), Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.

(Sangeeta Singh)
Director(S)
26/8/03

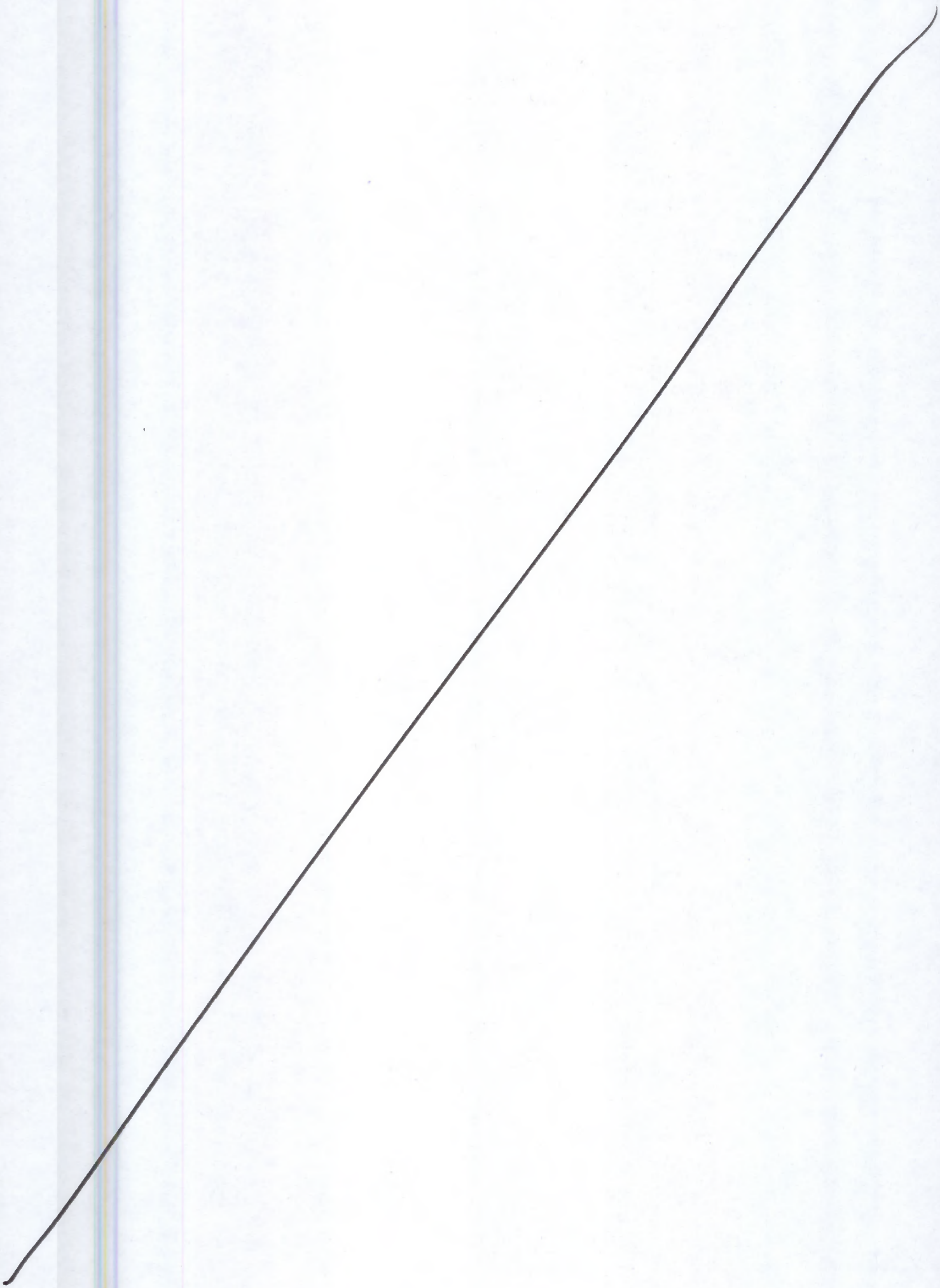

सं.7(2)/संस्था-V/2008
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना- 1980, दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि की बचत निधियों के लिए लाभों की सारणी ।**

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं.7(3)संस्था-V/2007 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसके साथ वर्ष 2008 के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभों की सारणी भेजी गई थी । दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/-रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधियों के लिए वर्ष 2009 हेतु लाभों की नई सारणियां तैयार कर ली गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने दिनांक 01.01.1990 से अंशदान की बढी हुई दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था, 10 रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधियों के लिए लाभों की एक और सारणी वर्ष 2009 के लिए तैयार कर ली गई है और उसकी भी एक प्रति संलग्न है । सारणियों में राशियां दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1982 तक की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक), दिनांक 01.01.1983 से 31.12.1986 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक), दिनांक 01.01.1987 से 31.12.2000 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) और 01.01.2001 से 31.12.2001 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक), दिनांक 01.01.2002 से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक), दिनांक 01.01.2004 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) की दर से ब्याज के आधार पर तैयार की गई है । स्कीम के तहत् दोनों मामलों में मृत्यु दर 10.12.1987 तक 3.75 प्रति हजार प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 3.60 प्रति हजार प्रतिवर्ष रखी गई है । राशि का परिकलन करते समय यह माना गया है कि सम्पूर्ण अंशदान की वसूली कर ली गई है अथवा सदस्य के सेवा समाप्ति के महीने के वेतन से यह वसूल कर ली जाएगी । ऐसा न हो पाने की स्थिति में इसे कर्मचारियों को देय संचित राशि में से काट लिया जाएगा ।

2. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

(मनोज सहाय)
निदेशक

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार ।
प्रतिलिपि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मानक सूची के अनुसार अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

No.7(2)/EV/2008
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

New Delhi, the 22nd December, 2008.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 – Tables of Benefits for the savings fund for the period from 1.1.2009 to 31.12.2009.

.....

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M. No.7(3)/EV/2007 dated 18th December, 2007 forwarding therewith Tables of Benefits under CGEGIS for the year 2008. New Tables of Benefits for the savings fund of the Scheme based on a subscription of Rs.10 per month from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 per month w.e.f. 1.1.1990 onwards have been prepared for the year 2009 and a copy of the table is enclosed. Another Table of Benefits for the savings fund based on a subscription of Rs.10 per month for those employees who had opted out of the revised rates of subscription w.e.f. 1.1.1990 have also been drawn up for the year 2009 and a copy of that table is also enclosed. The amounts in the Tables have been worked out on the basis of interest @ .0% per annum(compounded quarterly) for the period from 1.1.1982 to 31.12.1982, 11% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1983 to 31.12.1986, 12% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1987 to 31.12.2000, 11% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2001 to 31.12.2001, 9.5% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2002 to 31.12.2002, 9.0% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2003 to 31.12.2003 and 8% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2004 onwards. The mortality rate under the Scheme has been taken as 3.75 per thousand per annum up to 31.12.1987 and 3.60 per thousand per annum thereafter in both the cases. While calculating the amount it has been assumed that the subscription has been recovered or will be recovered from the salary of the month in which a member ceases to be in service failing which it should be deducted from accumulated amounts payable.

2. In its application to the employees of Indian Audit and Accounts Department this Office Memorandum issues in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(MANOJ SAHAY)
DIRECTOR

All Ministries/Departments of the Central Government as per standard list.
Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Governments etc. as per standard list.

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSU ANCE SCHEME 1980

Contribution @ Rs. 10/- P.M upto 31.12.89 and Rs. 15 th ughout after 1.1.90

Accumulated value of contribution from 1st January of ye of Entry to the month and year of cessation

Year of cessation of membership - 2009

Year of Entry	Month of cessation of membership: Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1982	15010	15122	15232	15341	15454	15567	15682	15795	15911	16027	16145	16261
1983	13613	13716	13815	13918	14021	14125	14229	14334	14439	14544	14651	14759
1984	12355	12448	12541	12635	12728	12824	12919	13014	13111	13209	13307	13406
1985	11226	11311	11396	11482	11569	11655	11743	11831	11921	12010	12101	12190
1986	10211	10291	10370	10449	10528	10608	10690	10770	10852	10936	11018	11103
1987	9302	9377	9448	9521	9595	9670	9744	9817	9894	9971	10047	10125
1988	8493	8559	8626	8694	8762	8830	8899	8970	9039	9109	9181	9251
1989	7757	7821	7883	7946	8008	8072	8135	8199	8266	8330	8397	8462
1990	7105	7165	7222	7281	7340	7398	7457	7519	7579	7639	7700	7762
1991	6237	6289	6340	6393	6446	6499	6553	6608	6661	6716	6773	6826
1992	5484	5512	5558	5605	5653	5702	5750	5798	5847	5896	5947	5997
1993	4778	4821	4863	4906	4949	4993	5036	5080	5125	5168	5214	5256
1994	4169	4208	4246	4286	4323	4362	4402	4442	4481	4522	4562	4603
1995	3627	3662	3697	3732	3767	3802	3840	3874	3911	3947	3983	4021
1996	3147	3177	3210	3241	3273	3305	3339	3371	3403	3436	3469	3504
1997	2718	2746	2776	2806	2833	2864	2893	2922	2953	2983	3014	3043
1998	2338	2366	2390	2417	2443	2470	2499	2525	2553	2579	2607	2636
1999	2002	2026	2049	2072	2097	2121	2147	2172	2197	2221	2246	2271
2000	1701	1723	1745	1768	1790	1812	1835	1857	1881	1902	1926	1949
2001	1436	1455	1475	1496	1517	1537	1557	1578	1600	1620	1642	1663
2002	1199	1217	1235	1251	1270	1290	1309	1329	1350	1369	1388	1409
2003	982	999	1017	1034	1051	1068	1086	1103	1121	1140	1158	1175
2004	786	802	818	833	849	866	882	898	915	931	948	965
2005	605	620	635	649	664	679	694	709	724	740	755	770
2006	439	452	465	479	493	507	520	534	548	562	577	591
2007	284	297	309	322	334	347	360	373	386	399	412	425
2008	142	153	165	177	188	200	212	224	236	248	260	272
2009	11	21	32	42	53	64	75	86	97	108	119	131

Note:

Basis Used

From	To	Interest*
1.1.82	31.12.82	10%
1.1.83	31.12.86	[illegible]
1.1.87	31.12.00	[illegible]
1.1.01	31.12.01	[illegible]
1.1.02	31.12.02	9.5[illegible]

From	Interest*
1.1.03	9.00%
1.1.04	8.00%
12.09	

Savings Fund: 68.75% from 1.1.82 to 31.12.87; 70% from 1.1.88 and onwards

Insurance Fund: 31.25% from 1.1.82 to 31.12.87; 30% from 1.1.88 and onwards

* Interest c[illegible] ompounded quarterly

-488-

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP IN[S] JRANCE SCHEME 1980

Contribution @ Rs. 10/- P M throughout

Accumulated value of contribution from 1st January o[f] ar of Entry to the month and year of cessation

Year of cessation of membership - 2009

Month of cessation of membership

Year of Entry	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1982	12645	12736	12824	129	13010	13102	13197	13291	13386	13481	13576	13673
1983	11248	11330	11410	114	11575	11660	11743	11827	11912	11999	12086	12172
1984	9987	10062	10134	102	10282	10357	10433	10509	10585	10664	10739	10818
1985	8859	8925	8989	90	9123	9190	9258	9326	9394	9464	9533	9604
1986	7845	7905	7964	80	8082	8142	8204	8264	8326	8387	8450	8513
1987	6936	6988	7042	70	7149	7204	7257	7313	7369	7423	7478	7535
1988	6124	6171	6219	62	6316	6364	6414	6462	6513	6561	6612	6663
1989	5391	5433	5477	55	5561	5607	5649	5694	5738	5782	5827	5874
1990	4738	4775	4816	48	4892	4931	4971	5011	5052	5091	5132	5172
1991	4159	4192	4227	42	4298	4333	4369	4405	4440	4477	4512	4548
1992	3644	3674	3705	37	3770	3802	3833	3865	3897	3930	3961	3994
1993	3187	3213	3242	32	3300	3328	3357	3385	3416	3444	3474	3504
1994	2779	2805	2830	28	2882	2908	2934	2959	2987	3012	3039	3066
1995	2419	2441	2464	24	2510	2535	2557	2581	2605	2629	2653	2677
1996	2098	2118	2140	21	2182	2203	2224	2246	2267	2289	2310	2333
1997	1812	1832	1850	18	1888	1909	1927	1948	1967	1986	2006	2027
1998	1561	1576	1593	16	1629	1646	1664	1683	1700	1719	1736	1754
1999	1334	1350	1366	13	1399	1414	1428	1445	1462	1479	1495	1512
2000	1136	1148	1164	11	1192	1209	1223	1238	1254	1269	1284	1299
2001	957	970	985	9	1010	1025	1038	1053	1067	1080	1094	1109
2002	798	811	823	83	848	861	873	886	899	912	926	936
2003	655	666	678	6	701	712	724	736	748	760	772	784
2004	524	535	545	55	566	577	588	599	610	621	632	643
2005	404	413	423	43	443	453	463	473	483	493	503	514
2006	232	301	310	31	329	338	347	356	366	375	384	394
2007	190	198	206	21	223	231	240	249	257	266	275	284
2008	95	102	110	11	126	133	141	149	157	165	173	181
2009	7	14	21	2	35	43	50	57	65	72	80	87

Note:

Basis Used

From	To	Interest*
1.1.82	31.12.82	10%
1.1.83	31.12.86	11%
1.1.87	31.12.00	12%
1.1.01	31.12.01	11%
1.1.02	31.12.02	9.50%

From	To	Interest*
1.1.03	1.12.03	9.00%
1.1.04	1.12.09	8.00%

* Interest compounded quarterly

Savings Fund :	68.75% from 1.1.82 to 31.12.87
	70% from 1.1.88 and onwards
Insurance Fund :	31.25% from 1.1.82 to 31.12.87
	30% from 1.1.88 and onwards

संख्या 37/19 /मुख्य सचिव/09 /2009
दिनांक 27/1 /2009

By Registered post

No.11024/ 08/2009-AIS-II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, dated the 16th January ,2009.

To
The Chief Secretary,
All State Governments.

Subject:- The All India Service(Group Insurance)Rules, 1981, (CGEGIS, 1980) – Table of benefits for the Saving Fund for the Period for 01-01-2009 to 31-12-2009.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of the Ministry of Finance O.M. No.7(3)/EV/2008 dated 22nd December, 2008 containing table for calculation of amount of Insurance/Saving Fund to the members of All India Services, under the aforesaid Rule.

Yours faithfully,

(RAMA KANT SINGH)
Section Officer

Enclosed: As above

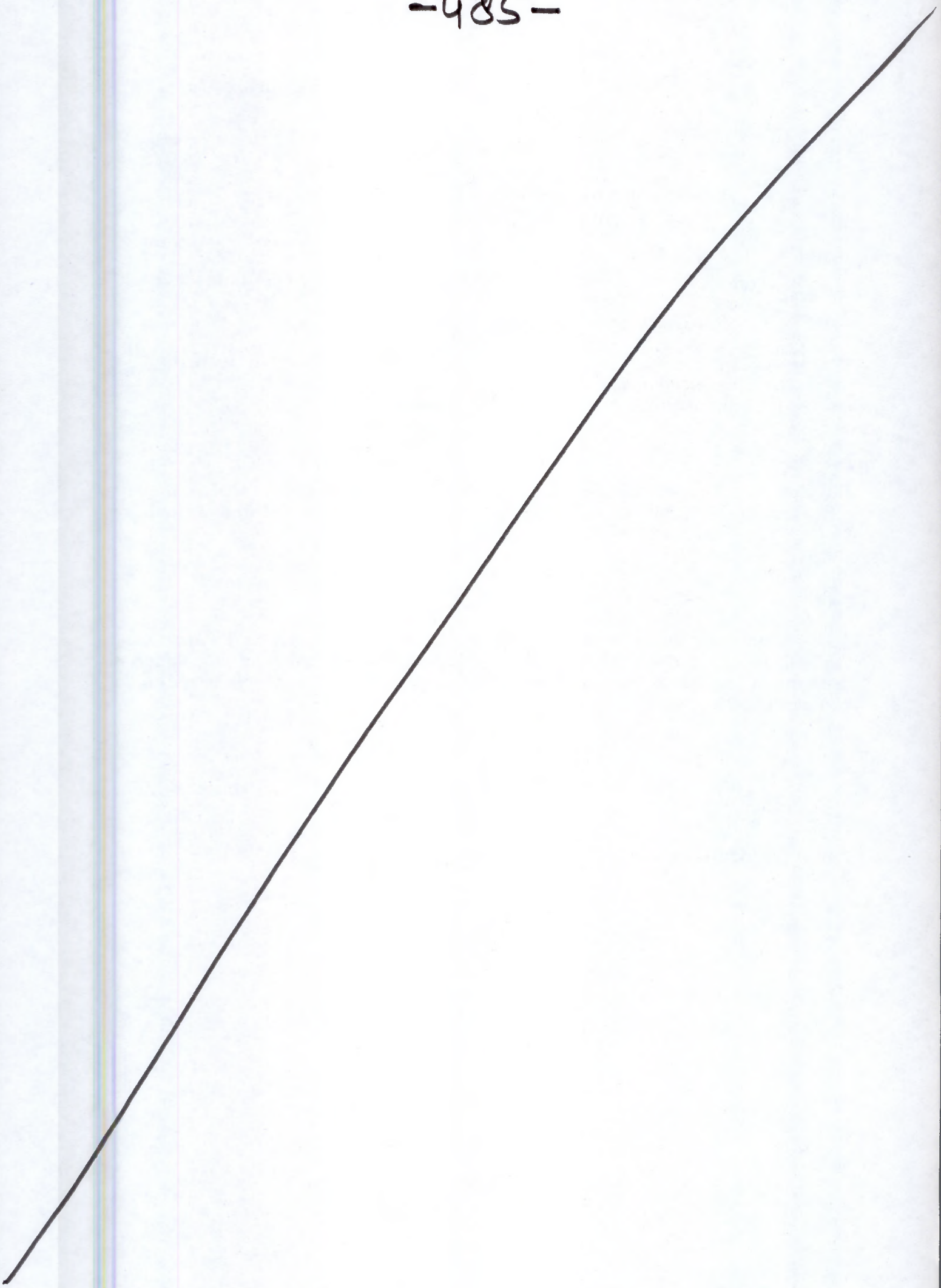

F.No.11024/56/2012.AIS-II
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi - 110001
Dated 9th October, 2012

To

The Principal Secretary (Finance)/Secretary (Personnel)
All State Governments/UTs

Subject: Streamlining of settlement of CGEGIS payment to the beneficiary and remittance thereof.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter No. 11024/1/1999-AIS-II dated 22/05/2003 and 10/03/2005 regarding simplification of procedure of payment of saving/insurance funds to retired AIS officers in which certain directions have been given to the State Government to either make the payment to the retired AIS officers of his cadre and get the amount reimbursed from the central government or forward the claim of the retiring officers to the central government for payment. However, in processing the settlement/payment claims of the retired IAS officers, it is observed that there is possibility of double payment to the Individual as already witnessed in some cases.

2. The State Government/Principal Secretaries(Finance) of all States were directed by this Department vide its letter of even number dated 24/05/2012, to remit in one lump sum amount on the last working day of every month with the required details as prescribed in Para 5.1. of O.M. No. S-11013/2/81/TA/3845 dated 26/12/1981 for speedy settlement of the scheme amount claims to the retired/deceased officer(s). However, it was found that some State Governments have not remitted their CGEGIS contribution of IAS officers for the last two to four years. Further, some State Governments like Jharkhand, Chattisgarh, Uttar-Pradesh and Assam have remitted their CGEGIS contribution irregularly, which caused delay in payment to the retirees.

3. Instances have also come to the notice of this office that some State Governments remit the CGEGIS contributions of the officers in one lump sum just before the retirement of the officers and claim the full benefit of the scheme by preferring claim to PAO, DPAR. This has resulted in the loss of interest to individual as per scheme entitlement. It may be ensured that in case the remittance is delayed by State Government beyond one month, they are liable to pay the interest to PAO. DPAR on delayed remittances.

4. It has also come to the notice of this Department that some States endorsed letter only for reimbursement of payment which was made by them. In this regard, it is directed that the claims for reimbursement of payment, should invariably be preferred by concerned State Accountant General (AG) and always be supported by the retirement order of the officer, the original sanction order and copy of duly filled-up Pre-Receipted Bills (Part-I & Part-II).

5. Therefore in view of Para 1 & 2 above and with reference to the guidelines proposed by PAO(DPAR), this Department have examined the matter for streamlining the procedure. Henceforth, each State may observe the following guidelines for speedy settlement of the claims:-

i. State governments/UTs/Ministries/Departments to send a list of IAS officers borne on their strength on the 1st January while sending the subscription for the month of January (It should be equal to total strength on 1st January of Last year minus retired/death plus new officer inducted during the year) Subscription of subsequent month should always be equal to and calculated on the basis of that strength minus retired officer plus newly inducted Officer. The details of new subscriber inducted to the scheme and deleted due to retirement/death should invariably be mentioned on the forwarding letter.

ii. Non-Payment Certificate(NPC), certifying that the amount of CGEGIS of the member of service has not been paid by the concerned State Government must be furnished along with pre receipted bill.

iii. Certificate to the effect that subscription of CGEGIS of the officer from the date of induction to the scheme up to date of retirement/death has already been remitted to the PAO, DPAR regularly must be recorded on the body of the bill.

iv. Only one pre-receipted bill should be obtained from the retired IAS officer (instead of 2-3) to avoid misuse/duplicate claim by any quarter.

v. State AG office/concerned office of CGEGIS and PAO (DPAR) should have a periodic reconciliation receipt and expenditure on CGEGIS by deputing officer from the state.

6. Therefore, all the State Governments/UTs/Ministries/Departments are requested to follow/adhere to the above guidelines prescribed by this Department so as to Streamline the procedure of receipt and payment and to avoid the possibility of double payment to the Individual and for speedy settlement.

Yours Faithfully,

Deepti

(Deepti Umashankar)
Director(Services)
Tel No. 23093591

Copy to :-

1. Chief Secretaries to the Governments of all States
2. The C. & .A.G. of India.
3. All the Ministries/Departments of Governments of India.
4. All the Accountants General.
5. Ministry of Home Affairs , Joint Secretary (Police), North Block, New Delhi.

6. Ministry of Environment & Forest, Joint Secretary (Sh. Anil Sant), CGO Complex, Lodi Road, New Delhi:
7. Secretary, U.P.S.C.,
8. Director, L.B.S. National Academy of Administration, Dehradun, Mussoorie.
9. Dean, Forest Research Institute and Colleges, Dehradun.
10. Director, S.V.P. National Police Academy, Hyderabad.
11. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat., New Delhi
12. Ad. I Section, Deptt. of Personnel & Training, North Block, New Delhi
13. Controller of Accounts, Ministry of Personnel, P.G. and Pensions, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi
14. Controller of Accounts, Delhi Administration.
15. Director of Accounts, Goa, Daman & Diu, Panaji.
16. Director of Accounts and Budget, A&N Island and Port Blair.

Yours Faithfully,

(Deepti Umashankar)
Director(Services)
Tel No. 23093591